वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का स्त्री शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

विद्यावारिधि की उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध–प्रबन्ध

शोधार्थी

शशिकला यादव

नामांकन संख्या–MUIT0119038065

निर्देशक

डॉ0 हलधर यादव

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग

महर्षि विज्ञान एवं मानविकी स्कूल

महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ

सत्र–2019–20

महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ

सीतापुर रोड, निकट महर्षि विद्या मन्दिर, लखनऊ, 226013

महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ

घोषणा–पत्र

मैं शशिकला यादव यह घोषणा करती हूँ कि मैंने **प्रोफेसर हलधर यादव**, शिक्षा विभाग, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्देशन में शोध कार्य **वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का स्त्री शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन** विषय पर पूर्ण किया है। यह पूर्ण रूप से मौलिक शोध है। इस शोध कार्य को महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षा संकायान्तर्गत **'विद्यावारिधि'** की उपाधि हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सम्पन्न किया गया है।

शोधार्थी

शशिकला यादव

महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
लखनऊ

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **शशिकला यादव** ने विद्यावारिधि उपाधि हेतु **वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का स्त्री शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन** विषय पर शोधकार्य मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। इस विषय पर इनका शोध कार्य सर्वथा नवीन एवं मौलिक है। अतः मैं शिक्षा संकाय, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत **विद्यावारिधि** की उपाधि हेतु इस शोध प्रबन्ध को मूल्यांकनार्थ प्रस्तुत करने का अनुमोदन करता हूँ।

निर्देशक

दिनांकः

डा0 हलधर यादव,
प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
लखनऊ

आभार

"वास्तविक ज्ञान संघर्षमय है।"

आज शोध प्रबंध के रूप में अपनी साधना व मेहनत को साकार होते देखकर मेरे हृदय में जो आनन्द की अनुभूति हो रही है, उसकी अभिव्यक्ति मैं शब्दों में वर्णित करने में असमर्थ महसूस कर रही हूँ। इस सफलता के लिए सर्वप्रथम मैं शक्तिस्वरूपा माँ सरस्वती को कोटिशः नमन करते हुए अपने आभार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ।

सर्वप्रथम मैं विश्वव्यापी शक्तिस्वरूपा के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए प्रार्थना करती हूँ जिसने अपनी कृपा से मुझे शोध कार्य को सफल करने की प्रेरणा दी साथ ही साथ विकट से विकट परिस्थितियों में अपनी असीम शक्ति व कृपा से मुझे अपने कार्य को पूर्ण करने व आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और लड़खड़ाते कदम में साहस का संचार प्रवाहित किया।

मैं महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त करने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय के सहयोग के लिए आभारी हूँ।

अभी तक की सभी सफलताओं के लिए उत्साहवर्धक एवं प्रेरणास्रोत पूज्यनीय पिताजी श्री रमाकान्त यादव एवं ममतामयी माताजी स्व0 श्रीमती कौशिल्या देवी के प्रति हृदय की गहराइयों से सादर नमन व आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने यह स्वप्न देखा था जो मेरे माध्यम से पूरा हो गया। अपने माता–पिता के स्नेह व प्यार से मैं मानसिक रूप से शक्तिशाली हूँ। माता–पिता के सहयोग एवं आशीर्वाद से आज मैं शिक्षा के इस स्तर पर पहुँचने में सफल हुई हूँ। अपने माता–पिता के स्नेह, सहयोग, प्रेरणा और उत्साहवर्धन के प्रति जीवनपर्यन्त ऋणी रहूँगी।

मैं श्रद्धेय गुरू **प्रोफेसर हलधर यादव** शिक्षा संकाय, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय सहित समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गुरूजनों को

नमन व आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देश एवं सुझावों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन किया।

इस शोध यात्रा में सफल बनाने के लिए मेरे कई सहपाठियों ने अपना अमूल्य समय देकर मुझे ऋणी बना दिया। मैं उन सभी सहपाठियों को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य में मेरा सहयोग किया। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रोत्साहित किया।

मैं लखनऊ जिले के उन सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालय की आभारी हूँ जिन्होंने बड़े सुगमता से आँकड़ों के संग्रह में मुझे सहयोग दिया। मैं उन एडेड व स्ववित्तपोषित कालेजों की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सहयोगात्मक रूप से आँकड़ों का संग्रह करने का अवसर दिया।

अन्त में मैं टंकणकर्ता को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ मेरे इस शोध यात्रा को सफल बनाने में सहयोग दिया और शोध कार्य को मूर्त रूप प्रदान किया।

कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण होने के बावजूद उनमें यदा–कदा त्रुटियाँ हो सकती हैं। इन त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ मैं अपनी साधना का प्रसून माँ सरस्वती के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। विद्वानजन अपने अमूल्य सुझावों से मेरा मार्गदर्शन करेंगे, इस विश्वास व आशा के साथ यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत है।

दिनांकः शशिकला यादव

शोधसार
(Abstract)

प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन शून्य परिकल्पना के माध्यम से करने पर आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकल कर आया कि वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा में अन्तर पाया गया। यह अन्तर शहरी, ग्रामीण व मेट्रो शहरी क्षेत्रों के आधार पर पाया गया। शोध का दूसरा उद्देश्य वर्तमान में स्नातक सतर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष पाया गया कि वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष में पाया गया कि स्नातक स्तर की विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा को प्रभावित करते हैं। परिकल्पना परिक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर उनके परिवार के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् शिक्षा की दशा को परिवार प्रभावित नहीं करता चाहे विद्यार्थी एकल परिवार में हों या संयुक्त परिवार में रहती हो। परिणाम परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् शिक्षा की

दिशा को परिवार प्रभावित नहीं करता है। परिवार एकल हो या संयुक्त, दोनों विद्यार्थियों की दिशा के लिए उपयुक्त हैं। एकल परिवार भी शिक्षा की दिशा को तय कर सकता है और संयुक्त परिवार भी शिक्षा की दिशा को तय कर सकता है। इस प्रकार बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा, दिशा पर विकास निर्भर करता है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	**शीर्षक पेज**	(i)
2	**घोषणा–पत्र**	(ii)
3	**प्रमाण–पत्र**	(iii)
4	**आभार**	(iv-v)
5	**शोध सार**	(vi-vii)
6	**तालिका सारणी**	(xv-xviii)
7	**चित्र सारणी**	(xix-xxi)
अध्याय–1	**समस्या की पृष्ठभूमि**	1–47
1.1	**प्रस्तावना**	1–4
1.2	**भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य**	4–5
1.3	**भारत में महिला शिक्षा का इतिहास**	5–6
	1.3.1. प्राचीन वैदिक काल में स्त्री शिक्षा	6–8
	1.3.2. मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा	8–9
	1.3.3. ब्रिटिश इंडिया में स्त्री शिक्षा	9–10
	1.3.4. स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा	10
	1.3.4.1. दुर्गाबाई देशमुख समिति	11–12
	1.3.4.2. हंसा मेहता समिति	12
	1.3.4.3. कोठारी आयोग	12–13

	1.3.4.4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986	14–15
1.4	**शोध की आवश्यकता एवं महत्व**	15–16
1.5	**महिला शिक्षा की आवश्यकता**	16–18
1.6	**स्त्री शिक्षा का महत्व**	19–20
	1.6.1. परिवार के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व	20
	1.6.2. समाज के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व	21
	1.6.3. आर्थिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व	21
	1.6.4. राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व	21
	1.6.5. निर्णय लेने की क्षमता हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व	22
	1.6.6. आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व	22
	1.6.7. नेतृत्व के लिए स्त्री शिक्षा का महत्व	22
	1.6.8. महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व	23
	1.6.9. समानता हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व	23–24
1.7	**महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं या समस्याएं**	24–25
	1.7.1. आर्थिक समस्या	26
	1.7.2. संकीर्ण विचारधारा एवं जागरूकता की कमी	26–27
	1.7.3. सामाजिक कुप्रथाएं	27
	1.7.4. सांस्कृतिक परम्पराएं	28
	1.7.5. महिला विद्यालय और स्कूल का अभाव	28

	1.7.6. अध्यापिकाओं का अभाव	28
	1.7.7. आवागमन की सुविधा का अभाव	29
	1.7.8. अदृश्य अवरोध	29—30
1.8	**महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास**	31—32
1.9	**महिला शिक्षा के उद्‌देश्य**	32—33
	1.9.1. शिक्षा के सामान्य उद्‌देश्य	34
	1.9.2. जनतांत्रिक देश में शिक्षा के उद्‌देश्य	34
	1.9.3. समाजवादी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा के विशिष्ट उद्‌देश्य	34
1.10	**महिला शिक्षा के लाभ**	35—36
1.11	**स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति**	36—39
1.12	**महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका**	39—40
1.13	**महिला शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम और नीतियाँ**	41
1.14	**ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम**	41
1.15	**महिला शिक्षा के लिए सरकार की योजनाएं**	41—42
	1.15.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम	42
	1.15.2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना	42
	1.15.3. इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	43
	1.15.4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना	43
	1.15.5. प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना	43

	1.15.6. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम	44
1.16	**शोध के उद्देश्य**	44–45
1.17	**शोध की परिकल्पनाएं**	45–46
1.18	**शोध का कथन**	46
1.19	**मुख्य बिन्दुओं की परिभाषाएं**	46
	1.19.1. भारत में स्त्री शिक्षा	46
	1.19.2. स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा	47
1.20	**समस्या का सीमांकन**	47
अध्याय–2	**सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन**	48–76
2.1	**प्रस्तावना**	48–49
2.2	**सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य**	50
2.3	**सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता**	50–51
2.4	**सम्बन्धित साहित्य के कार्य व महत्व**	51–52
2.5	**सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के स्रोत**	52–53
2.6	**स्त्री शिक्षा की दशा से सम्बन्धित अध्ययन**	53–58
2.7	**स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित अध्ययन**	58–62
2.8	**स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अध्ययन**	62–66
2.9	**विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्बन्धित साहित्य का सर्वे**	66–69
2.10	**सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का सारांश**	69–76

अध्याय–3	**शोध अभिकल्प**	77–90
3.1	**प्रस्तावना**	77–78
3.2	**शोध के उद्देश्य**	78
3.3	**शोध की परिकल्पनाएं**	78–79
3.4	**शोध विधि**	79–80
	3.4.1. सर्वेक्षण अनुसंधान के उद्देश्य	80
3.5	**शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण**	80
	3.5.1. स्त्री शिक्षा की दशा	80
	3.5.2. स्त्री शिक्षा की दिशा	80
	3.5.3. स्त्री शिक्षा के विकास	81
	3.5.4. बालिका सशक्तिकरण	81
3.6	**अध्ययन के चर**	81
	3.6.1. स्वतंत्र चर	81
	3.6.2. आश्रित चर	81
3.7	**शोध की जनसंख्या**	82
3.8	**शोध के न्यादर्शन**	82–83
3.9	**शोध का उपकरण**	84–85
3.10	**प्रदत्तों का एकत्रीकरण**	85–86
3.11	**प्रदत्तों की प्रकृति**	86
3.12	**प्रदत्तों का विश्लेषण**	86
3.13	**शोध में प्रयुक्त उपकरण**	86–87

3.14	सांख्यिकीय प्रविधियाँ	87—90
अध्याय—4	आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या	91—120
4.1	स्थानीय आधार पर न्यादर्श का वितरण	91—92
4.2	पाठ्यक्रम के आधार पर न्यादर्श का वितरण	92—93
4.3	परिवार के आधार पर न्यादर्श का वितरण	93—94
4.4	प्रथम उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	94—97
4.5	द्वितीय उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	98
4.6	तृतीय उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	98—108
4.7	चतुर्थ उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	109—117
4.8	पंचम उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	118
4.9	षष्ठी उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण	119—120
अध्याय—5	शोध का परिणाम, शैक्षिक निहितार्थ एवं आगामी शोध हेतु सुझाव	121—136
5.1	अध्ययन के परिणाम	121—130
5.2	अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ	130—131

	5.2.1. अभिभावकों के पक्ष से	131—132
	5.2.2. छात्रों के पक्ष से	132—133
	5.2.3. शिक्षकों के पक्ष से	133—134
	5.2.4. प्रशासकों के पक्ष से	134—135
5.3	**भावी शोध हेतु सुझाव**	135—136
सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची		137—142
परिशिष्ट		143—146

तालिका सारणी

तालिका संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
4.1	स्थानीय आधार पर न्यादर्श का वितरण	91
4.2	पाठ्यक्रम के आधार पर न्यादर्श का वितरण	92
4.3	परिवार के आधार पर न्यादर्श का वितरण	93
4.4	वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर तालिका विवरण	94
4.5	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी और मेट्रो क्षेत्र के आधार पर तालिका विवरण	95
4.6	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तालिका विवरण	96
4.7	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में मेट्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तालिका विवरण	97
4.8	वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा पर तालिका का विवरण	98
4.9	वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा के तालिका का विवरण	99
4.10	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका का विवरण	100

4.11	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका का विवरण	101
4.12	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका का विवरण	102
4.13	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका का विवरण	103
4.14	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	104
4.15	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	105
4.16	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	106
4.17	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	107
4.18	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	108

4.19	वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा के तालिका विवरण	109
4.20	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	110
4.21	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	111
4.22	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0काम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	112
4.23	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	113
4.24	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	114
4.25	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	115
4.26	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	116

4.27	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर तालिका विवरण	117
4.28	वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा की तालिका विवरण	118
4.29	वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा की तालिका विवरण	119

चित्र सारणी

चित्र संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
4.1	स्थानीय आधार पर न्यादर्श का वितरण	91
4.2	पाठ्यक्रम के आधार पर न्यादर्श का वितरण	92
4.3	परिवार के आधार पर न्यादर्श का वितरण	93
4.4	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी और मेट्रो क्षेत्र के आधार पर चित्र	95
4.5	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चित्र	96
4.6	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में मेट्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चित्र	97
4.7	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	100
4.8	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	101
4.9	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	102

4.10	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	103
4.11	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	104
4.12	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	105
4.13	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	106
4.14	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	107
4.15	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	108
4.16	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	110
4.17	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	111

4.18	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0काम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	112
4.19	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	113
4.20	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	114
4.21	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	115
4.22	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	116
4.23	बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र	117
4.24	वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा का चित्र	118
4.25	वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा का चित्र	119

प्रथम अध्याय

==

समस्या की पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना (Introduction):-

राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिला और पुरूष दोनों समाज के दो पहिए की तरह कार्य करते हैं। किसी एक के योगदान से राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। दोनों मिलकर समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि स्त्री को शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि कोई एक पक्ष यदि कमजोर होगा, तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पायेगी। परन्तु देश की व्यवहारिकता तो कुछ और ही है। समान अवसर होते हुए भी आज भी समाज पुरूष प्रधान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर 64.46 फीसदी है जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।

संस्कृत में पंक्ति प्रसिद्ध है–

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरूः

इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरू नहीं है। यह बात पूरी तरह सच है कि बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बालक का यह प्रारम्भिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार

बन जाता है। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में इतने असामाजिक तत्व उभर आये हैं, जिन्होंने माँ–बहनों का रिश्ता खत्म कर दिया और भोग–विलास की जिंदगी जीना अधिक उपयोगी समझने लगे हैं। रिश्तों के महत्व को पूरी तरह नकार दिया जा रहा है जिससे स्त्री के स्त्रीतत्व को नकारा जा रहा है। यही कारण है कि कस्बों से लेकर शहरों की माँ–बहने असुरक्षित हैं।

असुरक्षा के कारण ही बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक घटनाओं के जाल में फँसकर महिलाओं का जीवन नर्क बनता जा रहा है। शादी करने का झाँसा देकर महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अधिकतर महिलायें आत्महत्या कर लेती हैं।

शिक्षित समाज होने के बावजूद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक शिक्षित महिला भी यौन शोषण जैसे अपराध से जूझती रहती है। जिसके कारण महिलाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह तनाव (Depression) की शिकार हो जाती हैं, अन्त में शिक्षित होते हुए आत्महत्या जैसी भावनाओं से जूझने लगती हैं। वास्तव में कहा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, किसी भी पुरूष की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की शिक्षा पुरूषों से सौ गुना अधिक उपयोगी है। इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए सरकार को और अधिक प्रयासरत होने की जरूरत है। अभी भी स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा कम है। स्त्रियों का अशिक्षित होना समाज में हो रहे शोषण को बढ़ावा दे रहा है।

स्त्री शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरूषों की तरह शामिल करने से सम्बन्धित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गयी विशेष शिक्षा पद्धति को सन्दर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरूषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना ही शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरूष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परम्परा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी, माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था, परन्तु इसके बावजूद भी कतिपय रूढ़िवादी कारणों से एक लम्बे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया था।

"महिलाओं को सदैव असहायता (Helplessness) तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता (Service dependence on others) का प्रशिक्षण दिया गया।" [1]

–(स्वामी विवेकानन्द)

वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में रखकर, पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करने के कार्यक्रम के कर्तव्य का ज्ञान देने मात्र को ही उस समय की स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था। परन्तु आज परिस्थितियाँ बदल गयी हैं, आज स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करके समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में पुरूषों के साथ योगदान कर रही हैं, वे आज घर की चारदीवारी के अन्दर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी, यन्त्रवत कार्य करने वाली अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं हैं, वरन् वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर हैं। वास्तव में आज महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गये हैं। निःसन्देह माता का संयमित जीवन ही योग्य व मेधावी सन्तान को इस दुनिया में ला करके भारत के भविष्य को सुख व वैभव के प्रकाश से युक्त कर सकता है।

प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल की अनेक महान, वन्दनीय व गौरवान्वित महिलाओं ने अपने आदर्श जीवन से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का अतुलनीय कार्य किया है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार को है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सभी को मार्ग प्रशस्त करती है। लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा का योगदान सर्वांगीण रूप से है।

1.2 भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य (Present condition of women education in India):-

भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12 प्रतिशत) और बिहार (51.50 प्रतिशत) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15–24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरूषों के मामले में यह 9.8 प्रतिशत है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15–18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं। इनमें से अधिकतर घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या किसी परिस्थिति के कारण नामांकन नहीं करा पाती हैं।

इस प्रकार देखा जाय तो अधिकतर महिलायें किसी न किसी कारण शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती। वैवाहिक जीवन के बाद आज के समय में भी लड़कियों के शिक्षा प्राप्ति में बाधायें आने लगती हैं। वैवाहिक जीवन को बनाये रखने के लिए अधिकतर लड़कियाँ या महिलायें शिक्षा से समझौता कर जाती हैं, जबकि वैवाहिक जीवन पुरूषों का भी होता है लेकिन उनके शिक्षा और विकास में बाधाएँ नहीं आती हैं। महिलाओं के पास पुरूषों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ जाता है। एक स्त्री को अपनी सभी प्रकार की जिम्मेदारी व रिश्ते को निभाने के लिए शिक्षा से समझौता करना पड़ता है। यदि स्त्री शिक्षित होना चाहती है तो उसे जिम्मेदारियों के बोझ के साथ शिक्षित होना पड़ता है। वर्तमान समय में भी कुछ रूढ़िवादी विचार स्त्रियों के शिक्षा में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ एक स्त्री के लिए कितना कठिन होता है कि शिक्षा के साथ–साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाय।

आँकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति यह है कि लड़कियों की शादी करके जिम्मेदारी मुक्त हो जाओ। वर्तमान परिवेश में भी ग्रामीण क्षेत्र रूढ़िवादिता से ओत–प्रोत है। यदि कोई स्त्री शादी करना नहीं चाहती तो ग्रामीण समाज उसे दबाव बनाकर शादी करवाता है। ग्रामीण समाज में स्त्री के लिए शिक्षा की अपेक्षा शादी महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से रूढ़िवादी विचारों से मुक्त नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी यह देखने को मिलता है कि यदि स्त्री विवाहित है तो उसे अपने सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ–साथ शिक्षा या करियर को लेकर चलना पड़ता है, यदि पुरूष विवाहित है, तो वह स्वतंत्र रूप से शिक्षा या करियर में आगे बढ़ जाता है। जबकि स्थिति दोनों की बराबर है लेकिन एक स्त्री जिम्मेदारियों से दबी है, जबकि पुरूष जिम्मेदारियों से स्वतंत्र, यह है रूढ़िवादिता।

1.3 भारत में महिला शिक्षा का इतिहास (History of Women Education in India):-

"भारत में महिला शिक्षा की दशा एवं दिशा को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के महिला शिक्षा के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी दशा को समझ पायेंगे और वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा, उनकी समस्यायें और शिक्षा से जुड़ी सशक्तिकरण के बारे में हम विस्तार से जान पायेंगे।" [2] स्त्रियों की शिक्षा को मुख्य तीन भागों में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है–

1. प्राचीन वैदिक काल में स्त्री शिक्षा।
2. ब्रिटिश इंडिया में स्त्री शिक्षा।
3. स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा।

1.3.1 प्राचीन वैदिक काल में स्त्री शिक्षा (Women Education in Ancient Vaidic Period) :–

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरूषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धान्त के अनुसार, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा शुरू हुई। उदाहरण के लिए शिक्षा की देवी सरस्वती। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उस समय में कुछ विदुषी महिलायें भी हुई। उस समय की विख्यात महिलाओं में **गार्गी** का नाम इतिहास में आता है। इनके बारे में कहा जाता है कि महिलाएं वेद पुराण की विशेषज्ञ एवं पुरूषों के साथ शास्त्रार्थ करने में सक्षम थी। उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होता था।

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केन्द्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा मन्दिर, आश्रमों और गुरूकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये ही उच्च शिक्षा के केन्द्र भी थे। जबकि परिवार पुरोहित, पण्डित, सन्यासी और त्यौहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। विभिन्न धर्मसूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की सर्वश्रेष्ठ गुरू है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। जैसे–जैसे सामाजिक विकास हुआ, वैसे–वैसे शैक्षणिक संस्थायें स्थापित होने लगीं। वैदिक काल में परिषद, शाखा और चरण जैसे संघों का स्थापन हो गया था, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा स्थापित की गयीं।

किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना है। स्त्री दशा किसी देश की संस्कृति का मान दण्ड मानी जाती है। समुदाय का स्त्रियों के प्रति

दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रखता है। हिन्दू समाज में इसका अध्ययन निश्चयतः उसकी गरिमा को द्योतित करता है। हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों को अत्यन्त आदरपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, सैन्धव सभ्यता के धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना, उसके समाज में उन्नत स्त्री दशा का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया। उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरूषों के ही समान थे। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। दम्पति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं–कहीं कन्या के नाम पर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथापि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिए धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की गयी थीं। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थीं। ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो विदुषी तथा दार्शनिक थीं और उन्होंने कई मन्त्रों एवं ऋचाओं की रचना भी की थी। **'विश्वतारा'** को **'ब्रह्मवादिनी'** तथा **'मन्त्रदृष्टि'** कहा गया है जिसने ऋग्वेद के एक स्त्रोत की रचना किया था। **द्योषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इन्द्राणी, सिकता, निवावरी** आदि विदुषी स्त्रियों के कई नाम मिलते हैं जो वैदिक मन्त्रों तथा स्त्रोतों की रचयिता हैं। ऋग्वेद में वृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गये, किन्तु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि मर्यादा पुरूषोत्तम राम बिना पत्नी के **अश्वमेघ यज्ञ** नहीं कर सकते। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वैदिक व रामायण काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार व सम्मान प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल में बाल–विवाह का प्रचलन होने के कारण स्त्रियों की शिक्षा में कुछ व्यवधान होने लगे थे फिर भी इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि उस काल में **शैला, सीता, उर्मिला, विद्योत्तमा** जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता, त्याग व समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। बौद्धकाल के प्रारम्भिक वर्षों में स्त्रियों को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, परन्तु बाद में महात्मा

बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को नया जीवन मिला। परन्तु यह शिक्षा भी केवल जानी–मानी व कुलीन घरानों की स्त्रियों तक सीमित रही थी। परिणामतः भारत में बहुत लम्बे समय तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही थी। परन्तु उस समय भी **संघमित्रा** जैसी विदुषी नारियों ने स्त्रियों का नाम रोशन किया था।

1.3.2 मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा (Women Education in Muslim Period):-

मुस्लिम काल में भी सामान्य स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित ही थी। उस काल में बाल–विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से प्रायः वंचित ही रह जाती थी।

इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उस समय अल्पायु की बालिकाओं को कुछ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा मिल जाती थी। मुस्लिम बालिकायें मस्जिद से जुड़े मकतबों में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थीं। मध्यम वर्ग के हिन्दुओं की लड़कियाँ परिवार में पारिवारिक शिक्षा के रूप में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती थीं। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गों की बालिकायें अपने घरों में शिक्षा प्राप्त करती थीं। सम्भ्रांत, कुलीन तथा शाही परिवार प्रायः अपने घरों पर ही मौलवी अथवा अन्य विद्वानों को बुलाकर परिवार की स्त्रियों को शिक्षा हिन्दू तथा मुस्लिम विदुषियों की चर्चा इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिगोचर होती है। **रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, चाँदबीबी, गुलबदन, जैबुनिशा, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, बीबी अमरो** आदि विदुषियों के नाम मध्यकालीन भारत के स्त्री शिक्षा के इतिहास में सामान्य वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर दुर्लभ ही रहते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था अति सीमित थी। मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था में समानता के अवसर दिखायी नहीं पड़ते हैं। स्त्रियों की दशा भी मुस्लिम काल में बहुत दयनीय थी।

1.3.3 ब्रिटिश इंडिया में स्त्री शिक्षा (Women Education in British India):-

ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में नारी शिक्षा को अनावश्यक समझकर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्रियों के अनेक अन्धविश्वासों से घिरे रहने तथा भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यन्त रूढ़िवादी होने के कारण भी सम्भवतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा में कोई रूचि नहीं ली। कम्पनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए गये ईसाई व्यक्तिगत प्रयासों से प्रारम्भ हुआ। भारत पर अंग्रेजी शासन के दौरान **कस्तूरबा गाँधी, मीरा बहिन, भीखाजी कामा** जैसे अनेकानेक विदुषी महिलाओं ने अपने देशप्रेम त्याग व योग्यता से महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। मिशनरियों ने भारत में अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें सहस्रों लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती थीं।

सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों के शिक्षा के प्रसार के सभी सम्भव प्रयास किये जाने की सिफारिश की जाने लगी, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। सन् 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। परिणामतः माता–पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करने लगे थे तथा शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए अलग बालिका विद्यालय खोलने प्रारम्भ कर दिये थे। **आर्य समाज, ब्रम्ह समाज** जैसी समाज सुधारक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ था। सन् 1917 से 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता–आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। इसी समय भारतीय नारी संगठन (Women Indian Association) तथा राष्ट्रीय महिला परिषद (National Council of Women) की स्थापना हुई। सन् 1927 में प्रथम अखिल भारतीय नारी सम्मेलन (All India Women Conference) हुई। इसी दौरान बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए **शारदा एक्ट** पारित हुआ। इन सभी समाज सुधारक कार्यों में

स्त्री शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 30 हजार नारी शिक्षा संस्थायें थीं जिनमें लगभग पचास लाख स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण कर रहीं थीं।

इस प्रकार 1854 से लेकर 1947 आते–आते स्त्रियों की शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने लगी। धीरे–धीरे स्त्रियों को शिक्षा के साथ–साथ सभी प्रकार के कार्यों में भागीदारी मिलने लगी। गौरतलब है कि स्त्रियों की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत आते–आते स्त्रियों की शिक्षा की दर में वृद्धि होने लगी और स्त्रियाँ विकास के नये रास्ते पर चलने लगीं।

1.3.4 स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा (Women Education in Indepenent India):-

स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर लीं गई। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरूष शिक्षा के समानान्तर पहुँचाया जाए। 1958 में जिस समिति का गठन किया गया उसे **दुर्गाबाई देशमुख समिति** के नाम से जाना जाता है।

1.3.4.1 दुर्गाबाई देशमुख समिति (Durga Bai Deshmukh Committee):-

दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से ही पता चलता है कि यह समिति स्त्रियों के उत्थान के लिए बनायी गयी थी। सन् 1958 में भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। इस समिति का नाम **राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (National Committee on Women Education)** रखा गया। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता करने के कारण इस समिति को **दुर्गाबाई देशमुख समिति** के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान हेतु सुझाव देना था। समिति ने जनवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। जो निम्न प्रकार हैः–

1. भारत सरकार को कुछ समय के लिए स्त्री शिक्षा की एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
2. भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत निश्चित योजना के अनुरूप स्त्री शिक्षा का विकास करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
3. भारत सरकार को समस्त राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि प्रदान करनी चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
5. पुरूषों तथा स्त्रियों की शिक्षा के अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए।
6. स्त्री शिक्षा की समस्याओं को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अलग से गठन करना चाहिए।
7. स्त्री शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव को सरकार ने स्वीकारते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने 1965 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (National Council of Women Education) का गठन किया। इस समिति का कार्य स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उसमें सुधार हेतु नीतियों, कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं से सम्बन्धित सुझाव देना है। साथ ही साथ यह समिति स्त्री शिक्षा की प्रगति व मूल्यांकन करके आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। इसी के साथ स्त्री शिक्षा के समस्याओं का सर्वेक्षण करके अनुसंधान कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था भी करती है।

1.3.4.2 हंसा मेहता समिति (Hansa Mehta Committee):-

हंसा मेहता समिति का गठन सन् 1962 में किया गया। इस समिति की अध्यक्षता **श्रीमति हंसा मेहता** ने की। श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में बनी समिति के कारण इस समिति को **हंसा मेहता समिति** के नाम से जाना जाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम में लिंग के आधार पर अन्तर नहीं होना चाहिए। समिति का उद्देश्य

है कि लड़का, लड़की के आधार पर पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा कि भारत में जनतंत्रीय तथा समाजवादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। अतः शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्तिगत, क्षमताओं, रूझानों तथा रूचियों के आधार पर होना चाहिए। शिक्षा का सम्बन्ध किसी लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। इस समिति का विशेष रूप से कहना था कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न हो जिससे समानता को खण्डित होना पड़े। हंसा मेहता समिति विशेष रूप से समाज में समानता को बनाये रखने के कार्य के रूप में उल्लेखनीय है। हमारा संविधान समानता को पहला मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित करता है और कहता है कि समानता सभी का पहला अधिकार होना चाहिए।

1.3.4.3 कोठारी आयोग (Kothari Commission):-

सन् **1964** में कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष **डॉ0 दौलत सिंह कोठारी** ने अपना प्रतिवेदन **सन् 1966** में शिक्षा आयोग को दिया। शिक्षा आयोग को दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता करने के कारण इस आयोग को **कोठारी आयोग** के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट रूप से कहा जाय तो शिक्षा आयोग का दूसरा नाम **कोठारी आयोग** है। कोठारी आयोग ने भी महिला शिक्षा पर विचार किया और अपने कुछ सुझाव दिए। कोठारी आयोग ने मानव संसाधनों के विकास, परिवारों की उन्नति तथा बालकों के चरित्र–निर्माण में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया और स्त्री शिक्षा पर कुछ सुझाव भी दिये।

1. भारतीय संविधान में लिये गये संकल्प की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकारिक प्रयास किये जायें।
2. लड़कों तथा लड़कियों को एक ही विद्यालय में नामांकन कराने के लिए जनमत तैयार किया जाय।
3. उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाय।
4. लड़कियों के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय।

5. लड़कियों के लिए अल्पाकालीन शिक्षा (Part Time Education) और व्यवसायिक शिक्षा (Vocational Education) की व्यवस्था की जाय।
6. लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
7. लड़कियों के लिए लड़कों से पृथक कालेज स्थापित किये जाय।
8. लड़कियों के पाठ्यक्रमों में शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान तथा सामाजिक कार्य को शामिल करके इसको उपयोगी बनाया जाय।
9. स्त्री शिक्षा के लिए अनुसंधान ईकाइयों (Research Units) की स्थापना की जाय।
10. विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालीन शिक्षा (Part Time Education) और अविवाहित स्त्रियों के लिए पूर्णकालीन शिक्षा (Whole Time Education) की व्यवस्था की जाय।
11. स्त्री शिक्षा के संचालन के लिए राज्य तथा केन्द्र स्तर पर प्रशासनिक तन्त्र (Administrative Setup) का गठन किया जाय।

1.3.4.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 (National Education Policy-1986):-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **1986** में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई है। शिक्षा को स्त्रियों के स्तर (Status) में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम (POA-1992) में स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित कई बातें निम्नवत् हैं। POA अर्थात् Programme of Action.

1. पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमों, पाठ्यवस्तुओं, नीति निर्धारकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण व निर्धारित कार्यक्रमों तथा शिक्षा संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा नये मूल्यों के विकास को उन्नत किया जायेगा।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यमों से स्त्री अध्ययनों (Women's Studies) को उन्नत या बढ़ावा दिया जायेगा।

3. स्त्री विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. स्त्री शिक्षा में आने वाली बाधाओं तथा निरक्षरता को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रयासों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. महिलाओं की भागीदारी विभिन्न स्तरों की व्यावसायिक तकनीकी तथा वृत्तिक शिक्षा में विशेष बल दिया जायेगा।

6. यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे सभी प्रकार की शिक्षा में यौन विभेद को समाप्त किया जा सके।

स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के प्रति पूर्व प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आज के समय में स्त्रियों को पुरूषों के समान शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियाँ शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे बालिकायें सुगमतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकें और बालिकाओं का शैक्षिक नामांकन व धारणा प्रभावी रूप से बढ़ सके।

1.4 शोध की आवश्यकता एवं महत्व (Importance and Need of Research):-

महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराईयों जैसे– दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलायें देश के श्रम बल में हिस्सा ले पायेंगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा सम्बन्ध दिखाया गया है। सर्वेक्षण से यह बात सामने आयी है कि महिलायें जितनी अधिक शिक्षित होंगी, उनके बच्चों की परवरिश

व पोषण उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लम्बे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती हैं।

एक महिला यदि शिक्षित होगी तो वह एक घर, परिवार, समाज व राष्ट्र को शिक्षित करेगी। महिला शिक्षा पर शोध की आवश्यकता का होना जरूरी है। शोध के माध्यम से यह पता चलेगा कि देश में महिलाओं की दशा क्या है और उनकी दिशा कहाँ तय की जा सकती है। महिलाओं के विकास को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है या कितनी है? हमें अभी किस पहलू पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम शोध के माध्यम से देश की महिलाओं की दशा का अध्ययन कर पायेंगे। शोध ही एक माध्यम है जिससे प्रत्येक पहलू पर कार्य किया जा सकता है। एक महिला के साथ किस प्रकार उसकी स्थिति को सुधारा जा सकता है यह शोध के माध्यम से पता चल सकता है। स्त्री समाज में अबला का रूप ग्रहण न करे जिससे स्त्री शिक्षा पर शोध की आवश्यकता है। देश में स्त्रियों के प्रति हो रहे अत्याचार को एक शिक्षित स्त्री के माध्यम से रोका जा सकता है। स्त्री की दिशा और विकास को शोध के माध्यम से तय किया जा सकता है। वैसे हमारा देश स्त्री शिक्षा के मामले में पुरूषों से कन्धा मिलाकर चल रहा है लेकिन अभी भी कहीं न कहीं पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियाँ शिक्षा के मामले में पीछे हैं।

1.5 महिला शिक्षा की आवश्यकता (Need of Women Educaton):-

आज के युग में महिला कितनी ही सदाचारी एवं सभ्य क्यों न हो, मगर वह शिक्षित नहीं है तो उसकी विशेषताओं व गुणों का कोई मान्य नहीं है, उसकी समझदारी भरी बात को दरकिनार कर दिया जाता है। अशिक्षित महिलाओं को लोग रूढ़िवादी प्रथाओं रूपी जंजीरों में जड़ने की कोशिश कर उनको हर बात पर दबाया जाता है। आज के समय में भारत में महिला, पर्दा और लज्जा प्रथा की दीवारों से बाहर आ चुकी हैं क्योंकि वह पर्दा प्रथा से बहुत दूर निकल चुकी हैं। इसलिए आज इस शिक्षा प्रधान युग में यदि महिला शिक्षित नहीं हो तो उसका इस युग में कोई तालमेल नहीं हो सकता

और ऐसा न होने से वह महत्वहीन बन जायेगी। महिलाओं का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पढ़ने से वह अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज तथा देश का विकास कर सकती है। शिक्षित महिला देश के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और सफलता हासिल कर सकती है। केवल शिक्षित महिला ही देश के विकास में आई बाधाएं जैसे, सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादी प्रथाओं आदि का विरोध कर उन्हें समाज से उखाड़ फेंक सकती है। इसलिए आज महिला को शिक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में लिया जा रहा है।

महिला शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि किसी परिस्थिति में महिला का जीवन स्वयं पर निर्भर हो जाता है तो एक शिक्षित महिला अपना जीवन यापन आसानी से कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर परिस्थिति से सभी को बाहर निकालती है। एक शिक्षित महिला घर और बाहर दोनों परिस्थितियों को समझ कर आगे बढ़ती है। एक शिक्षित स्त्री दहेज रूपी बुराई को भली–भाँति समझती है और उसे समाप्त करने की पूरी कोशिश करती है। आज के समय में दहेज को उपहार का रूप दे दिया गया है। इस उपहार से कैसे बचना है यह एक शिक्षित स्त्री ही समझ सकती है। रूढ़िगत विचारधाराओं में जकड़ा इस समाज को एक शिक्षित स्त्री ही रास्ता दिखाने का कार्य कर सकती है। एक शिक्षित स्त्री पुरूष और स्त्री के कार्यों और जिम्मेदारियों के अन्तर को समाप्त कर सकती है। वर्तमान समय में भी यदि एक सत्री समाज द्वारा बनाये गये पुरूष कार्य को करती है तो यह रूढ़िगत समाज पहले उसकी उपेक्षा करता है फिर उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार इन कुरीतियों और अन्तर को समाप्त करने के लिए स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी और आवश्यक है।

जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत है। शिक्षा ही है जो मनुष्य व जानवर में अन्तर को बताती है। यह शिक्षा पुरूष के लिए हो या महिला के लिए। दोनों को समान रूप से शिक्षित करती है। यदि शिक्षा किसी प्रकार भेदभाव नहीं करता तो समाज और परम्परायें किस प्रकार स्त्री और पुरूष की शिक्षा को आवश्यक व अनावश्यक बता सकते हैं। अब यदि दोनों के लिए शिक्षित होना समान है

तो स्त्री को शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि एक शिक्षित स्त्री सबसे पहले एक बेटी, बहन, बहू और एक माँ होती है। यदि बेटी, बहन, बहू और माँ संस्कारवान होगी तो एक परिवार संस्कारवान होगा। माँ के संस्कार से बच्चे का संस्कार जुड़ा होता है। यदि माँ शिक्षित ही नहीं होगी तो संस्कारवान कहाँ से होगी। संस्कार और शिक्षा का गहरा सम्बन्ध है। इसलिए एक स्त्री को शिक्षित होना आवश्यक है। एक माँ के रूप में देश के भविष्य को पैदा करने वाली को शिक्षित होना आवश्यक है। देश का भविष्य आज के युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। यदि युवा पीढ़ी संस्कारवान होंगे तभी देश का भविष्य बनेगा।

एक शिक्षित स्त्री ही प्राथमिक उपचार को सही ढंग से कर सकती है। बच्चे की परवरिश करने में शिक्षित व अशिक्षित स्त्री में अन्तर होता है। एक शिक्षित महिला सभी परिस्थितियों के साथ ताल–मेल बिठाने की कोशिश करती रहती हैं। स्त्री का शिक्षित होना समाज को 'बन्द समाज' की जगह 'खुले समाज' के रूप में प्रतिष्ठित करता है। शिक्षित स्त्री ही समाज में हो रहे अत्याचार व रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठाकर उसे समाप्त करने में सक्षम होगी। एक शिक्षित स्त्री ही सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर समाज को विकास की नई दिशा देने में कामयाब हो पायेगी। जब तक स्त्री शिक्षित नहीं होगी तब तक वह अपने आर्थिक अधिकारों को समझ नहीं पायेगी और विकास की मुख्य धारा से खुद को जोड़ने में सक्षम नहीं होगी। एक शिक्षित स्त्री ही विभिन्न प्रतिष्ठित राजनैतिक पदों पर बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त कर भारत को विश्व के मानचित्र पर सशक्त देश के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ व सफल हो पायेगी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता उसके निर्णय क्षमता के विकास हेतु आवश्यक है, विशेषकर त्वरित और महत्वपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता स्त्री की आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाने हेतु आवश्यक है। महिला अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में यदि सजग है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है। वह आश्रिता नहीं है। वर्तमान समय में स्त्रियों का सबसे बहुमूल्य वस्तु आत्मसम्मान है जिसे एक शिक्षित स्त्री ही बचाये या बनाये रख सकती है। आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्त्री का शिक्षित होना आवश्यक है। एक सुशिक्षित

स्त्री बहुत दृढ़ता एवं शालीनता से अपने पतियों को यह बता देती है कि कब और कहाँ उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। नेतृत्व के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है। एक महिला का तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण शिक्षित होना अति आवश्यक है। महिलाओं को अपनी मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन करने हेतु शिक्षित होना आवश्यक है। इस प्रकार एक स्त्री को विभिन्न कार्यों, जिम्मेदारियों व देश के उत्थान के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के एक स्त्री का जीवन अन्धकार कुएँ के समान है, जिसे दिन व रात का फर्क महसूस नहीं होता है।

1.6 स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education):-

देश के किसी भी समाज या राष्ट्र के निर्माण के लिए महिला शिक्षा का विशेष महत्व है, महिला शिक्षा का महत्व निर्विवाद रूप से मान्य है। यह बिना किसी तर्क या विचार–विमर्श के ही स्वीकार करने योग्य है क्योंकि महिला शिक्षा से महिला पुरूष के समान आदर और सम्मान का पात्र बन सकती है। प्राचीन काल में नारी ज्यादा शिक्षित नहीं होती थी, वह गृहस्थी के कार्य में व्यस्त रहते हुए पतिव्रता धर्म का निर्वाह करती थी। तब भी नारी देवी के समान श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखी जाती थी। तब नारी नर की अनुगामिनी होती थी और यही उसकी काबिलियत थी। आज के विज्ञान के युग में महिला की योग्यता शिक्षित होना है। जिस तरह शिक्षा के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह नारी शिक्षा के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता व प्रतिभा का परिचय दे रही है। धीरे–धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के महत्व को उसके विविध और विस्तृत आयामों के सन्दर्भ में शामिल किया गया है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों को सुनिश्चित किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए **स्वामी विवेकानन्द** जी ने कहा था कि **"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।"** [3] इस प्रकार विवेकानन्द जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि किसी भी देश का उत्थान व विकास तभी सम्भव है जब उस देश की महिलायें पूर्ण रूप से शिक्षित हों। देश की आधी आबादी महिलाओं की है यदि शिक्षित नहीं होगी तो देश का विकास सम्भव नहीं है। एक पंख से तात्पर्य है कि किसी एक पहलू को विकसित करके विकासशील नहीं बन सकते। जब स्त्री व पुरूष समान रूप से कार्य करेंगे तभी कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। वैसे भी ईश्वर स्त्रियों को कुछ अलग शक्ति प्रदान किया है जिसके कारण उन्हें शक्ति का रूप माना गया है। एक स्त्री ही खुद को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है। इस विभिन्न रूप को शिक्षित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा का महत्व आदि से लेकर चला आ रहा है।

स्त्री शिक्षा के महत्व को बताते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री **पंडित जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था कि **"यदि जनता में जागृत पैदा करनी है तो महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव व शहर आगे बढ़ता है एवं सारा देश आगे बढ़ता है।"**[4] भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एक शिक्षित स्त्री का महत्व कहाँ तक है। नेहरू जी का कहना था कि एक स्त्री के शिक्षित होने से एक परिवार के साथ–साथ एक गाँव और गाँव के साथ–साथ एक शहर भी शिक्षा की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार एक स्त्री को शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण यह हमसे या आपसे छुपा नहीं है।

आज महिला शिक्षा का महत्व इस बात में है कि महिलाओं को स्वयं के ताकत के बारे में जागृत किया जाय, जिससे वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक बन सकें। महिलाएँ जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक वाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं। परिवार की अधूरी नारी को जागरूक बनाकर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश मजबूत होता है।

स्त्री शिक्षा के महत्व को निम्न बिन्दुओं में प्रदर्शित कर सकते हैंः–

1.6.1 परिवार के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education in Family Field):-

परिवार के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और उनके क्रमिक विकास, स्वस्थ योगदान के रूप में देखा जा सकता है। एक शिक्षित स्त्री ही परिवार का सम्पूर्ण रूप से देख–भाल कर सकती है।

1.6.2 समाज के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education in Society Field):-

समाज में फैली कुरीतियों जैसे– रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा और पारिवारिक हिंसा जैसे मामलों में एक शिक्षित स्त्री ही इन सबसे समाज को मुक्त करा सकती है। समाज में ऊँच–नीच का भेदभाव स्त्री–पुरूष का अन्तर, कार्यों का बँटवारा आदि को एक शिक्षित स्त्री दूर कर सकती है। समाज के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है।

1.6.3 आर्थिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education in Economic Field):-

वर्तमान समय में स्त्रियाँ पुरूषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरूषों के समान नौकरियाँ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक शिक्षित महिला ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन कर स्त्रियाँ देश और समाज की सेवा में तत्पर हैं। देश और समाज की सेवा के लिए स्त्री का शिक्षित होना महत्वपूर्ण है।

1.6.4 राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Eudcation in Political Field):-

महिलायें राजनीति के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराकर देश के नेतृत्व में अपनी सहभागिता दे रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षित होना जरूरी नहीं है ये पुराने विचार चले आ रहे थे वर्तमान समय में राजनीति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। एक शिक्षित नेता देश को सुचारू रूप से अग्रसारित कर सकता है। वर्तमान समय की स्त्रियाँ शिक्षित होकर राजनैतिक पदों को सुशोभित कर रही हैं।

1.6.5 निर्णय लेने की क्षमता हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education for Decision Making):-

एक स्त्री का शिक्षित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शिक्षित स्त्री ही सही निर्णय ले सकती है। महत्वपूर्ण और त्वरित निर्णय क्षमता का विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। स्त्रियाँ यदि सुशिक्षित होंगी तो वे निर्णय प्रक्रिया में निश्चित रूप से भागीदार होंगी। स्वतंत्र निर्णय लेने के साथ–साथ पुरूषों द्वारा अनुचित रूप से लिये गये निर्णयों का विरोध कर पायेंगी।

1.6.6 आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education for self confidence and self respect):-

स्त्रियों को अपने आत्मविश्वास को बनाये रखने व आत्मसम्मान को बचाये रखने के लिए शिक्षित होना अति महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित स्त्री ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली–भाँति समझ सकती है। अपने सभी रिश्तों के साथ किस प्रकार ताल–मेल बिठाना है एक शिक्षित स्त्री ही कर सकती है। एक शिक्षित स्त्री बच्चों का प्रभावशाली ढंग से पथ–प्रदर्शन कर सकती है।

1.6.7 नेतृत्व के लिए स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education for Leadership):-

नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले जिस क्षेत्र से महिला जुड़ी है उस क्षेत्र के तकनीकी, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। यह जानकारी शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है। एक शिक्षित स्त्री ही नेतृत्व कौशल का मार्ग बढ़ा सकती है। इसलिए नेतृत्व के लिए शिक्षित स्त्री का होना अति महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित स्त्री समाज में परिवर्तनकारी भूमिका बखूबी निभा सकती है। सशक्त नेतृत्व के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है।

1.6.8 महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education for Changing in Women Mentality and Attitude):-

महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। हमें यह देखने को मिलता है कि एक शिक्षित स्त्री का व्यवहार व अशिक्षित स्त्री का व्यवहार पूरी तरह अलग होता है। शिक्षित स्त्री परिस्थिति के अनुसार अपने आपको परिवर्तित कर लेती है जबकि अशिक्षित स्त्री को परिवर्तित करना नाकों चने चबाना है। एक शिक्षित महिला अपनी मानसिकता को समझकर उसे सामाजिक रूप से व्यवहार में परिवर्तन करती है। शिक्षित महिला की मानसिकता और प्रवृत्ति विस्तृत होती है। शिक्षित महिला के विचार खुले होते हैं। स्त्रियों की स्वस्थ मानसिकता उन्हें परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनायेगी और वे अपनी रूचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्य करके अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास करेंगी।

1.6.9 समानता हेतु स्त्री शिक्षा का महत्व (Importance of Women Education for Equality):-

एक शिक्षित स्त्री चाहे वह परिवार हो, समाज हो कालेज हो आदि सभी जगह पर सभी के समानता की बात करती है। यह शिक्षा ही है जो सभी को समानता का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के बिना एक दूसरे का अन्तर ही समझ में नही आयेगा। क्योंकि शिक्षा एक मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। शिक्षा के सशक्त भागीदारी के बिना समानता की कल्पना नहीं की जा सकती।

स्त्री शिक्षा के महत्व को गुरूदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “प्राथमिक शिक्षा लड़कों तथा लड़कियों के लिए समान होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में गुरूदेव के विचार में लड़के व लड़कियों के पाठ्यक्रम समान होने चाहिए।”[5] दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना चाहिए। गुरूदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक देश में स्त्री पुरूष समान रूप से शिक्षित नहीं हो जाते और एक दूसरे से कन्धे से कन्धा मिलाकर नहीं चलते तब तक देश का उत्थान सम्भव नहीं है। इस प्रकार गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्त्री शिक्षा के महत्व के प्रति सचेष्ट थे।

मालवीय जी स्त्रियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मालवीय जी का कहना था कि स्त्री, पुरूष के शिक्षा में अन्तर नहीं होना चाहिए। दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देना चाहिए। मालवीय जी प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर लड़के और लड़कियों के लिए सह शिक्षा को स्वीकार करते थे लेकिन माध्यमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों की शिक्षा अलग–अलग होनी चाहिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मदन मोहन मालवीय जी किशोर मनोविज्ञान से परिचित थे।

गाँधी जी स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे। गाँधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरूष और स्त्री का कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है लेकिन उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएँ समान होती हैं इसलिए दोनों को अपने–अपने विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। गाँधी जी ने स्पष्ट किया कि स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। पत्नी व माता के रूप में स्त्री पुरूष से भिन्न होती है परन्तु निर्माता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उसे अपने सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान होता है। गाँधी जी स्त्रियों को संगीत और नृत्य से दूर रखना चाहते थे। गाँधी जी का मत था कि ये क्रियायें वासना को जन्म देती हैं। गाँधी जी स्त्री और पुरूष की शिक्षा में इतना अन्तर करते थे कि स्त्रियों को गृहकार्य की अतिरिक्त शिक्षा दी जाए। स्त्री को समाज में बराबर का स्थान देकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर गाँधी जी ने समाज का बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार स्त्री शिक्षा का महत्व सभी जगह देखने को मिलता है।

1.7 महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं या समस्यायें (Problems or Barrier in way of Women Education):-

भारतीय समाज पुरूष प्रधान है। महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर के चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परन्तु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम दुनिया की सुपर पॉवर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परन्तु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलायें भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरूष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरूषों के औसत वेतन में काफी अन्तर आता है। देश में महिला सुरक्षा अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं।

हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। सरकार स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास कर रही है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है लेकिन पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है।

किसी भी देश या समाज के विकास मापकों से बच्चों और महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करती है क्योंकि बच्चा जहाँ देश का भविष्य है वहीं माता उसकी पहली शिक्षिका, पोषिका और मार्गदर्शिका है। अब यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा और यदि आज के युवा अन्धकार में होंगे तो देश का क्या होगा? वर्तमान समय में तमाम प्रयासों के बावजूद भी देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक हैं भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 13 करोड़ हैं वर्तमान समय में बालिकाओं के दाखिले के मामले में स्थिति काफी खराब है। देश में अशिक्षा, निर्धनता एवं गरीबी के कारण सभी तरह की

असमानताएं महिलाओं और पुरूषों में देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण के मामले में किशोरियों की स्थिति बेहद खराब है, जिससे अभी लक्ष्य तो दूर अपेक्षित मुकाम पाने में भी हम असफल हैं।

स्त्री शिक्षा की विभिन्न बाधाओं एवं समस्याओं को निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है:–

1.7.1 आर्थिक समस्या (Economic Problem):-

हमारे देश में अशिक्षा के प्रमुख कारणों में आर्थिक पिछड़ापन एक मुख्य कारण है। आर्थिक रूप से सशक्त न होने के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा चलाये गये बहुत से प्रयासों में बच्चे प्राथमिक स्तर तक तो शिक्षित हो जाते हैं लेकिन उच्च प्राथमिक सेकेण्डरी और उच्चतर स्तर के शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बहुत से परिवार में यह देखने को मिलता है कि यदि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो बेटे की शिक्षा के लिए अग्रसर होते हैं लेकिन बेटी की शिक्षा को द्वितीय स्तर पर रखते हैं। ऐसे में स्त्री शिक्षा का विकास एक समस्या बनकर रह जाता है। मध्यवर्गीय परिवार में अधिकतम परिवार लड़कियों को छात्रावास में रहकर बाहर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत सी लड़कियां आर्थिक समस्या के कारण प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। आज के समय में लड़के और लड़कियों को कहने के लिए समान अवसर दिया जाता है। वास्तविक में यह समानता दिखायी नहीं देती।

1.7.2 संकीर्ण विचारधारा एवं जागरूकता की कमी (Lack of Awareness and Narrow Mind):-

वर्तमान समय में भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। अधिकतर परिवार लड़कियों को प्राथमिक और सेकेण्डरी स्तर के शिक्षा के बाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सोच है कि लड़की को दूसरे के घर जाना है ज्यादा पड़कर क्या करेगी। घर में ही तो रहना है। ऐसे में ये परिवार व माता–पिता यह भूल जाते हैं कि यदि बेटी शिक्षित नहीं होगी तो अपने परिवार, बच्चे,

समाज और देश के प्रति जागरूक कैसे होगी। महिला शिक्षा से तात्पर्य नौकरीपेशा करने से नहीं है बल्कि एक शिक्षित महिला एक परिवार की मार्गदर्शिका होती है। स्त्री शिक्षा के अभाव का मुख्य कारण स्त्रियों को सभी क्षेत्र में उपेक्षित होना पड़ता है क्योंकि यदि समाज में कोई घटना जैसे– बलात्कार हुआ तो यह समाज यह नहीं कहता कि पुरूष के संस्कार में कमी है या पुरूष दोषी है बल्कि पूरा दोष स्त्री या लड़की को दे दिया जाता है। पुरूषों को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि यह सब करना उनका काम है। बलात्कार को कार्य का रूप दे दिया जाता है। इस समाज में रह रहे संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं।

दूसरी तरफ माता–पिता या परिवार से जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। यदि ये लोग स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक होते तो इस प्रकार की विचारधारा नहीं लाते। अधिकतर परिवार या माता–पिता जो कम शिक्षित होते हैं। उनकी सोच पूरी तरह से संकीर्ण होती है उनका मानना है कि स्त्री शिक्षा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि शिक्षा उनके विचार मे नौकरी तक सम्बन्धित होती है। जागरूकता की कमी और संकीर्ण मानसिकता के कारण लड़कियाँ शैक्षणिक उदासीनता से ग्रसित होकर उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेगी।

1.7.3 सामाजिक कुप्रथाएँ (Social Tradition):-

हमारे देश में प्रचलित बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज और सभी प्रकार के गलत कार्यों के लिए स्त्रियों को दोषी मानना स्त्री शिक्षा के मार्ग में प्रबल बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। यद्यपि सरकार ने इन कुप्रथाओं के विरूद्ध कानून बनाकर प्रतिबन्धित कर दिया है, लेकिन समाज अब तक इन कुप्रथाओं को अपने जीवन की परम्परा मानकर ढ़ो रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान को देख सकते हैं। यदि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो शिक्षा से उसे इसलिए विमुख होना पड़ता है क्योंकि लड़की को ससुराल की सम्पत्ति समझी जाती है। शादी के बाद एक लड़की का जीवन ससुराल वालों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। लड़की को कदम–कदम पर ससुराल वालों की स्वीकृति चाहिए। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि पति का पत्नी पर पूर्ण

अधिकार है। एक पत्नी पति पर पूर्ण अधिकार रखते हुए भी अपने विचारों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं होती है। पत्नी को सभी कार्य के लिए पति की स्वीकृति चाहिए। जबकि पति के लिए ये स्वीकृति अनिवार्य नहीं होता है।

1.7.4 सांस्कृतिक परम्पराएँ (Cultural Traditions):-

भारतीय नारियों की पिछड़ी स्थिति का कारण सांस्कृतिक परम्पराएँ भी हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक यही मान्यता चली आ रही है कि पुत्र ही कर्मकाण्ड कर सकता है। जिस माता–पिता के पुत्र नहीं है वहाँ पुत्री को यह अधिकार दिया जाता है। वर्तमान समय में भी प्रथम अधिकार पुत्र को है। इन्हीं सब सांस्कृतिक परम्पराओं ने स्त्रियों को शिक्षा से दूर करने में कामयाब है। क्योंकि प्रथम दृष्टया पुत्र ही सब कुछ है।

1.7.5 महिला विद्यालय और स्कूल का अभाव (Lack of Women College and School):-

बहुत से माता–पिता अपने बेटियों को सह विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते। प्रायः गाँवों व छोटे शहरों में यह देखने को मिलता है कि अभिभावक सह–शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं लड़के लड़कियों के शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। किशोरावस्था में लड़कों लड़कियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण अभिभावकों को सह विद्यालय में न भेजने पर मजबूर करता है। महिला विद्यालय और स्कूल का अभाव भी महिला शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। यदि महिला विद्यालय पर्याप्त रूप में हो तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।

1.7.6 अध्यापिकाओं का अभाव (Lack of Women Teachers):-

स्कूल या कालेज में अध्यापिकाओं के कमी के कारण स्त्री शिक्षा प्रभावित होती है। पुरूषों की अपेक्षा महिला अध्यापकों की कमी स्त्री शिक्षा के स्तर को गिरा रहा है।

अध्यापिकाओं के अभाव के कारण लड़कियाँ अपनी समस्याओं और परेशानियों को अध्यापकों तक नहीं पहुँचा पाती हैं और विद्यालय जाने से डरने लगती हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा को प्रभावित करती है। अध्यापिकाओं की कमी।

1.7.7 आवागमन की सुविधा का अभाव (Lack of Transport):-

आवागमन की असुविधा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को गाँव या कस्बे से दूर विद्यालय जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूर विद्यालय होने के कारण अधिकतर अभिभावक लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। ऐसे में लड़कियों के सामने एक ही विकल्प होता है कि जो पास या नजदीक में है उसी की पढ़ाई कर डालो। आवागमन की असुविधा होने के कारण कई प्रतिभाशाली लड़कियों की प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है।

1.7.8 अदृश्य अवरोध (Barrier of Nonvisual):-

स्त्रियों की शिक्षा और विकास के मार्ग में ऐसे अदृश्य अवरोध होते हैं जो स्त्रियों की शिक्षा व विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे अवरोध कई रूपों में दिये हैं। कहीं शारीरिक शोषण, कहीं मानसिक शोषण तो कहीं भावात्मक शोषण इस कदर अदृष्य रूप में होते हैं कि स्त्रियाँ इस शोषण को किसी से बयां नहीं कर पाती हैं क्योंकि स्त्रियों को इस बात का डर होता है कि ये समाज दोषी हमें ही बनायेगा। इस प्रकार वे सभी शोषण को चुप–चाप सह लेती हैं। मानसिक शोषण की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे देश में इसे शोषण की श्रेणी में माना ही नहीं जाता है। एक स्त्री के साथ पल–पल मानसिक शोषण होता है लेकन स्त्री इसे भाग्य या कर्म की दुहाई देकर बर्दाश्त करती जाती है। मानसिक शोषण एक गम्भीर समस्या है लेकिन इस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। मानसिक रूप से यदि कोई स्त्री स्वस्थ्य नहीं होगी तो वह शिक्षा या विकास के बारे में सोच भी नहीं सकती है। यदि एक लड़की की कम उम्र में शादी कर दिया जाता है तो ससुराल में मानसिक शोषण की शिकार स्त्री कभी बाहर निकल ही नहीं पाती है। उसका जीवन दायरा पति, सास, ससुर घर परिवार तक सीमित हो जाता है।

एक स्त्री को हर बुरे कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह एक मानसिक शोषण ही तो है। उसका लक्ष्य घर, परिवार तक सीमित होकर कुण्ठित हो जाता है। एक स्त्री को बार–बार अस्वीकृति मिलने के बाद उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है यह वह स्त्री ही बयां कर पाती है। ऐसी स्थिति में स्त्री आगे बढ़ने की चाहत को भाग्य मानकर ठुकरा देती है और खुद को वहीं तक सीमित कर लेती है।

पुरूष समाज द्वारा स्त्रियों को भावनात्मक धरातल पर चोट पहुँचाई जाती है। उनके स्वाभिमान को आहत किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संवेदनशील निर्बल लड़कियां परिस्थिति से पलायन कर जाती हैं और अपने अस्तित्व को संकुचित कर लेती हैं। दूसरी ओर स्वतंत्र विचारधाराओं वाली प्रतिभाशाली स्त्रियों के विकास में परिवार और समाज अदृश्य बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिभाशाली स्त्रियों का जीवन दोराहों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ परिवार दूसरे तरफ विकास। यहाँ स्त्रियाँ अपने विकास के साथ समझौता कर लेती हैं क्योंकि स्त्रियों के साथ सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि एक स्त्री अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। यह पुरूष प्रधान समाज तरह–तरह के ताने और गलत नजरिये के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता है। ऐसे में स्त्री के लिए पुरूष के सहारे को अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि पुरूष सभी प्रकार से विकास करने व जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र हैं एक तरफ स्त्री–पुरूष में समानता की बात की जाती है, दूसरे तरफ दोनों के लिए अलग–अलग नियम यह समाज बनाता है।

"Menopause condition is nonvisual Barrier, Menopause refers to the end stage of a natural transition in a women's reproductive life when ovaries stop producting eggs and as women is no longer able toget pregnant naturally. Perimenopause means the period around menopause and is a transitional stage of two to tenyears, before complete assationof themenstrual period. Post menopause period is very important since itimfluences psychological, social andemotional aspects due to the physiological changes. Psychological problems affect the physical wellbeing resulting in chronic fatique, sleep problems and changes in the appetile. It affectsthe mood with the feelings of sadness, emptiness, hopelessness

and ohfsphoria.It affects the waysof thinking, interfeking with concentration and decision making."[6]

1.8 महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास (Government Efforts for Women Education):-

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरूआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गयी थी। यह महिला और बाल विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। महिला सामाख्या कार्यक्रम की शुरूआत 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखण्ड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखण्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तक यूनिफार्म और नोटबुक बाँटने का फैसला किया है।

भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न आयोगों का गठन कर 'स्त्री शिक्षा' में मूलभूत सुधार के प्रयत्न किये हैं। इन आयोगों ने स्त्री–शिक्षा से जुड़ी समस्त बाधाओं एवं रूकावटों का अध्ययन कर उनके उत्थान हेतु प्रयास कर स्त्रियों की शिक्षा को उचित दशा व दिशा देकर सरकार के प्रयासों को सफल बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास और उन्हें सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन सारे प्रयासों पर जोर दे रही है जो आधी आबादी को पूर्णतया प्रदान करने वाले हैं। सरकार गाँव व जंगल में अपनी पहचान खो चुकी

महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदमताल मिलाती महिलाओं के साथ है और आज वह उन्हें विकास के वह सारे मानक देने को तैयार है जो उन्हें सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। सरकार महिलाओं की बुनियादी आवश्यकता शिक्षा को लेकर काफी गम्भीर है और उनके लिए कल्याणोन्मुख विकासपरक, सशक्तिकरण जैसे रास्ते खोलने के लिए कटिबद्ध है।

1.9 महिला शिक्षा के उद्देश्य (Aim of Women Education):-

महिला शिक्षा के उद्देश्य एक नहीं अनेक हैं। महिला शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर होने में सहायता करती है और उसमें खुद पर भरोसा करने के गुणाों का विकास करती है। शिक्षित नारी आज पुरूष के समान 'अधिकार' प्राप्त कर सकती है। शिक्षित महिला में आज पुरूष की शक्ति और पुरूष का वही अद्भुत तेज दिखायी पड़ता है। महिला के द्वारा महिला अपनी प्रतिज्ञा और शक्ति से कई अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिखायी देती है। नारी शिक्षित होने के परिणामस्वरूप आज देश और समाज के एक से एक ऐसे बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है। शिक्षित महिला आज कल के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर कामयाबी हासिल कर रही है। आज नारी एक महान नेता, समाज सेविका, चिकित्सक, निदेशक, वकील, अध्यापिका, मंत्री, प्रधानमन्त्री आदि महान पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करके अपनी अद्भुत क्षमता व योग्यता का परिचय दे रही है और देश के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

शिक्षा के संदर्भ में भारतीय विद्वानों में **रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, जगद्गुरू शंकराचार्य, एनी बेसेन्ट, डॉ0 राधाकृष्णनन, डॉ0 जाकिर हुसैन** आदि भारत के महान शिक्षाशास्त्रियों ने स्त्री व पुरूष शिक्षा के समान उद्देश्य बताये हैं।

महात्मा गाँधी के अनुसार, "सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करें।"

गाँधी जी स्त्री–पुरूष को समान मानते थे और उनके अनुसार स्त्री–पुरूष एक–दूसरे के पूरक हैं। वे स्त्री–पुरूष दोनों को शिक्षा का समानाधिकार देने के पक्ष में

थे। यही कारण है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत स्त्री शिक्षा के लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के मत में, "उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाती हैं।" प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री टैगोर की शैक्षिक अवधारण का जीवन्त रूप 'शांति निकेतन' है। जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय है। स्त्रियों के सम्बन्ध में टैगोर के विचार अत्यन्त उदार थे। वे स्त्री–पुरूषों में समानता के पक्षधर थे। उनकी संस्था शांति निकेतन और विश्वभारती के द्वार स्त्रियों के लिए पूर्णतः खुले थे।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, "शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद है।"[7] वे शिक्षा द्वारा मनुष्य का पूर्ण निर्माण करना चाहते थे स्वामी जो स्त्रियों की दयनीय दशा तथा पतन का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त अशिक्षा को मानते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि **"स्त्री जाति की उन्नति के बिना भारत कभी भी विकास नहीं कर सकता।"** इसीलिए उन्होंने गृहस्थों को उपदेश देते हुए कहा कि पुत्रों की भाँति पुत्रियों का भी पालन–पोषण करो **"पुत्रेण दुहिता समा।"** स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए स्वामी जी ने कहा, **"पहले सारी स्त्रियों को शिक्षित करो।"**

इस प्रकार उपरोक्त विचारकों के विचारों को स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में जानने के उपरान्त निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट किये जाते हैः–

1. ज्ञान और अनुभूति पर बल।
2. अध्यात्म एवं धर्म का समावेश।
3. चरित्र का निर्माण।
4. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास।
5. नागरिक और सामाजिक कर्तव्यबोध।
6. सामाजिक कुशलता की उन्नति।
7. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण।
8. स्त्री शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक।

इस प्रकार स्त्री व पुरूष शिक्षा के समान व सामान्य उद्देश्य निर्धारित किये गये। स्त्री–पुरूष के शिक्षा उद्देश्यों में बहुत कम अन्तर होता है वह है गृह विज्ञान से सम्बन्धित।

1.9.1 शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- ❖ शारीरिक विकास का उद्देश्य।
- ❖ बौद्धिक विकास का उद्देश्य।
- ❖ व्यावसायिक विकास का उद्देश्य।
- ❖ चारित्रिक विकास का उद्देश्य।
- ❖ सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य।
- ❖ आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य।
- ❖ समरस विकास का उद्देश्य।
- ❖ आत्मानुभूति का उद्देश्य।

1.9.2 जनतांत्रिक देश में शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. नेतृत्व विकास का उद्देश्य।
2. नागरिकता के विकास का उद्देश्य।
3. अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य।
4. सौन्दर्यानुभूति विकास का उद्देश्य।

1.9.3 समाजवादी प्रजातान्त्रिक देश में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य।
2. नेतृत्व विकास का उद्देश्य।
3. राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य।
4. शिक्षा की सार्वभौमिकता का उद्देश्य।
5. अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास।

1.10 महिला शिक्षा के लाभ (Advantage of Women Education):-

महिला शिक्षा से महिलाओं में आत्म–निर्भरता का गुण उत्पन्न होता है, वह स्वावलंबन के गुणों से युक्त होकर पुरूष को चुनौती दे सकती है। अपने स्वावलंबन के गुणों के कारण ही महिला पुरूष की दासी व अधीन नहीं रहती है, अपितु वह पुरूष के समान ही स्वतंत्र व स्वच्छन्द होती है। शिक्षित होने के फलस्वरूप ही आज नारी समाज में सुरक्षित है और आज समाज महिला पर कोई अत्याचार नहीं करता। शिक्षित महिला के प्रति आज समाज में दहेज का कोई शोषण चक्र नहीं चलता है। शिक्षित महिला को आज अनेक अनेक रूढ़िवादी प्रथाओं को सहना नहीं पड़ता है। नारी शिक्षा के कारण ही आज के समय में पुरूष व समाज दोनों से सम्मानीय है। महिला शिक्षा के लाभ को किरण बेदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित किया हैः–

"एक स्वस्थ और शिक्षित महिला राष्ट्र के लिए सम्पदा होती है। वह समाज के समृद्ध में उसी प्रकार योगदान करती है जैसे एक निरक्षर निर्धन और अस्वस्थ महिला कमजोर कुपोषित बच्चों को जन्म देकर समाज का बोझ बढ़ाती है। अतः महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दे केवल महिलाओं के ही नहीं है। उनका सम्बन्ध समूचे समाज और राष्ट्र से है।"**किरण बेदी**

स्त्री शिक्षा के लाभ को परिवार के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। समाज की सबसे छोटी ईकाई परिवार है। स्त्री परिवार में माँ, बहन, पुत्री पत्नी आदि अनेकों भूमिकाओं में दृष्टिगत होती हैं। माँ ही बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। अपने बच्चों विशेषकर बालिकाओं के उत्थान और समाज में उसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय माँ को ही जाता है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चे को सभी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है शुरू से प्रेरणादायक रूप में भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षित महिला परिवार को एक धागे में पिरो कर रखने का प्रयास करती है। एक शिक्षित महिला परिवार के छोटे–बड़े के सम्मान व प्यार का ध्यान रखती है। इस प्रकार एक शिक्षित महिला का परिवार के सन्दर्भ में लाभ है।

कार्य विभाजन के रूप में स्त्री शिक्षा के लाभ को देख सकते हैं। समाज के हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी महती भूमिका का परिचय दिया है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषवादी सोच ने इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ये अलग बात है। स्त्री और पुरूष को जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये की तरह प्रयोग किये जाते हैं। कहते हैं कि यदि एक पहिया कमजोर व टूट जाये तो गाड़ी को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है। स्त्री शिक्षा जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए लाभान्वित करती है।

स्त्रियों को शिक्षित करने से अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से लाभ है। आज के बदलते परिवेश में स्त्रियाँ घर परिवार के साथ–साथ व्यवसायिक कार्यक्षेत्र में अपनी पैठ बना रही हैं। कहीं–कहीं तो महिलाओं ने पुरूषों से बेहतर प्रदर्शन किया है और समाज के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाया है। परिवार के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर स्त्रियाँ बड़ी तीव्रता के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहीं हैं। वर्तमान समय में भागीदारी की दृष्टि से स्त्रियाँ कृषि, पशु व्यवसाय, हथकरघा आदि क्षेत्रों में योगदान दे रहीं हैं। महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र का कोई अर्थ परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्रियाँ अपनी भागीदारी को निभा न रहीं हों। महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अवैतनिक कार्य के रूप में देखा जाता है। महिलायें विश्व का दो तिहाई कार्य करती हैं, विश्व आय में 10 प्रतिशत कमाती हैं, अपने लिए 1 प्रतिशत बचाती हैं। इस प्रकार स्त्रियों के कार्यों की सीमाएं निर्धारित नहीं हैं।

इस प्रकार स्त्री शिक्षा से स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले सभी क्षेत्रों के कार्यों में लाभ होगा। इसलिए स्त्रियों को शिक्षित करके देश को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया जा सकता है। स्त्री शिक्षा से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

1.11 स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति (Present Status of Women Education):-

स्त्री शिक्षा के परिणामस्वरूप भारत में स्त्रियों की स्थिति में पहले से काफी सुधार आया है। भारत में महिला साक्षरता पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। फिर भी देश

में बेरोजगार और अशिक्षित स्त्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत देश में आज भी अधिकतर लड़कियाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय नहीं जाती हैं। बहुत कम लड़कियों का विद्यालय में प्रवेश करवाया जाता है। ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति शहरी स्त्रियों की अपेक्षा और अधिक खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं बेरोजगार व अशिक्षित हैं। अधिकतर ग्रामीण स्त्रियाँ घर व परिवार तक सीमित होती हैं। ग्रामीण की अपेक्षा शहरी स्त्रियाँ घर परिवार के अलावा व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण स्त्रियाँ शहरी स्त्रियों की अपेक्षा कम शिक्षित हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ अपने जीवन का दायरा घर परिवार तक मानती हैं। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बहुत कम है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। देश की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में साक्षरता के मामले में पुरूष महिलाओं से काफी आगे हैं। पुरूषों की साक्षरता दर **84.7** है, वहीं स्त्रियों की साक्षरता दर **70.3** है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा सभी रूढ़िवादी परम्पराएं, ब्राह्मणवादी विचारक, प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक सभी ने समाज में महिलाओं की स्थिति की दशा को सुधारने से सम्बन्धित विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया। विभिन्न प्रकार के सांकेतक आँकड़े भारत में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्टिभूमि समझाने में काफी सहयोग देते हैं। महिलाएँ इस देश में लगभग आधी जनसंख्या की सूचक हैं। समकालीन समाज में तकनीकी विकास और प्रौद्योगिक विकास के बाद महिलाओं ने काफी प्रगति की है। समाज का कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। वर्तमान समय में स्त्रियाँ सभी क्षेत्र में अपना स्थान बना चुकी हैं। भारत में वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत हद तक बेहतर हो गयी है। महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचाना गया है। महिला उद्यमियों द्वारा अपने लिए और समाज में रह रही बेसहारा महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर प्रबन्धन, संगठन और व्यापार के नये अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति महिला उद्यमियों के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की महिला उद्यमियों को महिला शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में स्त्रियों की स्थिति कुछ हद तक उज्जवल है। लेकिन साक्षरता दर के मामले में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों से कम है। भारत की कुछ अमीर, प्रतिष्ठित महिला उद्यमी इस प्रकार हैं:—

कावेरी कलानिधि— देश के शीर्ष भुगतान व्यवसायी के रूप में, सन टी0वी0 समूह की मुख्य कार्यकर्ता और मालकिन।

चंदा कोचर— आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के प्रमुख प्रबंधन के रूप में अपने करियर की शुरूआत करने वाली, आज भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक है।

शिखा शर्मा— एम0डी0 और सी0ई0ओ0, एक्सिस बैंक।

मल्लिका निवासन— अध्यक्ष (TAFE)

अरूणा जयन्ती— सी0ई0ओ0, कैपजेमिनी भारत।

जिया मोदी— सह संस्थापक, AZB पार्टनर्स।

विनीता बाली— प्रबन्धक निदेशक, ब्रिटानिया बाली।

शोभना भरतिया— अध्यक्ष और सम्पादकीय निदेशक, एच0टी0 मीडिया।

चित्रा रामकृष्णा— संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।

किरण मजूमदार शॉ— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बायोकान।

अमृता पटेल— अध्यक्ष डेयरी विकास बोर्ड।

रेणुका रामनाथ— संस्थापक, प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुणकों वैकल्पिक एसेट मैनेजमेंट।

स्वाति परिमल— वाइस पिरामल हेल्थ केयर लिमिटेड।

राधिका राय— एक भारतीय मीडिया मालिक और सह अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक एन0डी0टी0वी0।

वंदना लूथरा— भारत की अग्रणी स्लिमिंग ब्यूटी और फिटनेस ब्रांड, सौन्दर्य स्वास्थ्य केन्द्र।

समकालीन भारत में स्त्रियों की स्थिति सभी क्षेत्रों में उभर कर सामने आया है। अरून्धती भट्टाचार्या जो भारतीय स्टेट बैंक का शीर्ष पद सम्भाल रही हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। बैंकिंग की चुनौतीपूर्ण नौकरियों में अपनी सफलतम भूमिकाओं के साथ स्त्रियों ने लिंगभेद से जुड़े दुराग्रह को भी समाप्त किया है। एक तरफ शिक्षित, साधन सम्पन्न स्त्रियाँ जो भारत में उच्च वर्गीय अमीर महिलाओं में से हैं, जो जनसंख्या का केवल एक प्रतिशत का ही निर्माण करती हैं, ऐसी स्त्रियों पर हमें गर्व है जो भारत के उद्यमिता उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचाती हैं।

भारत में महिलायें आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं जबकि आर्थिक विकास के क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी लगभग 25.7 प्रतिशत आँकी गयी है। यदि हम भारत के राज्यों पर प्रकाश डाले तो उसमें केवल कुछ राज्य ही आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रदर्शित करते हैं– उत्तर प्रदेश 39.84 प्रतिशत, गुजरात में 39.72 प्रतिशत, केरल में 38.91 प्रतिशत, पंजाब में 33.77 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 32.12 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति बेहतर है लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए उतना नहीं है। कहीं न कहीं अभी भी पुरूष प्रधानता दिखायी देता है। इसके दो कारण हो सकते हैं एक यह कि स्त्रियाँ पुरूषों की अपेक्षा मानसिक व शारीरिक रूप से अपने आपको कमजोर समझती हैं, दूसरा पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की जिम्मेदारियाँ अधिक होती हैं। स्त्रियों को अपने व्यवसाय के साथ–साथ घर परिवार की जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है जबकि पुरूष वहीं व्यवसाय के प्रति प्रथम जिम्मेदारी निभाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी सन्तोषजनक नहीं है।

1.12 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका (Role of Education in Women empowerment):-

महिला का अर्थ होता है नारी व स्त्री और सशक्तिकरण का अर्थ होता है शक्ति या सत्ताधिकार सम्पन्न बनाना है। महिला सशक्ति का तात्पर्य है महिला को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता देना। महिलाओं को समानाधिकार देना।

महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा पहला और मुख्य साधन है। केवल शिक्षित नारी ही आने वाली भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन कर सकती है। पढ़ाई–लिखाई से महिलाओं में फैसले लेने की क्षमता का विकास होता है, बिना शिक्षा प्राप्त किये स्त्री फैसले लेने में असमर्थ होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी रूप से, सोचने, समझने और जीने की स्वतंत्रता देती है। सशक्तिकरण का सम्बन्ध महिलाओं के जीवन के आत्मनिर्णय से है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया समाज को पारम्परिक पितृ सत्तामक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक बनाते हैं। एक स्त्री जब खुद को सशक्ति अनुभव करती है तो उसमें भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, आन्तरिक या बाहरी सभी दृष्टिकोण से आत्मविश्वास जागृत होता है। स्त्री सशक्तीकरण में स्त्री की आत्म अभिव्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की आत्मा सम्मिलित होती है। महिला सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजीनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है। महिला सशक्तिकरण निडरता, सम्मान और जागरूकता–तीनों शब्द महिला सशक्तीकरण में सहायक हैं। यदि वास्तव में स्त्रियों को न्याय दिलाना है तो उनकी जाँच–परख प्रणाली को अधिक कार्य–कुशल बनाना होगा और अराजकता फैलाने वाले समाज अराजक तत्वों को सजा देनी होगी स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है। यदि स्त्री शक्ति की रूप है तो स्त्री को शक्ति नहीं बल्कि बराबर के अधिकार की और पुरूषों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। यदि पुरूष यह सोचने लगें कि स्त्री हमारी शरीर की अर्धांगिनी है तो देश का विकास आधे अंग अर्थात केवल पुरूषों से कैसे सम्भव हो सकता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण का होना पुरूषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने से है। इस प्रकार आज की स्त्रियां सशक्त की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं।

भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ और कार्यक्रमों का निर्माण किया है जो इस प्रकार हैं:–

1.13 महिला शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम और नीतियाँ–

"माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958–59), हंसा मेहता समिति (1964–65), फुलरेनु गुहा समिति 1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जनार्दन रेड्डी समिति 1992, कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना 1997, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना (2004), बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (2005–06), महिलाओं हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (1988–2000) आदि।"[8]

1.14 ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम–

जैसे– काम के बदले अनाज योजना (1977), अंत्योदय कार्यक्रम (1978) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डबाकरा) 1982, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम 1987, किशोरी शक्ति योजना 2001, महिला स्वयं सिद्ध योजना 2001 इत्यादि।

इस प्रकार कई सारी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार स्त्रियों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में स्त्रियाँ स्वयं सशक्त है। इस सशक्ती को पुरूषों के द्वारा स्वीकार करने की जरूरत है। प्रत्येक स्त्री अपने क्षेत्र में शक्तिपूर्ण है उसे समझने की आवश्यकता है।

1.15 महिला शिक्षा के लिए सरकार की योजनाएं (Government Planning for woemn Education):-

महिला शिक्षा को देश के प्रत्येक कोने में पहुँचाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है जो निम्न हैं–

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम।
- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला)।

- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना।
- प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP)

1.15.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम–

यह कार्यक्रम सरकार द्वारा बेटियों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया। इस योजना में सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के प्रति जागरूकता जागृत करना है। सरकार इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से माता पिता बेटी के लिए कुछ न कुछ जमा करें जिससे आगे चलकर बेटी का भविष्य उज्जवल हो सके। इस योजना के अन्तर्गत सुकन्या समृद्धि लाडली लक्ष्मी योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि को जोड़ा गया। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत एक रिपोर्ट तैयार की गयी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019–20 तक कुल 848 करोड़ मंजूर हुए थे। सरकार द्वारा 2021 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 622.48 करोड़ रूपये जारी किये गये थे।

1.15.2 किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला):–

इस योजना के अन्तर्गत किशोरियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। 19 नवम्बर 2010 को 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की सशक्तीकरण के लिए शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 2000–2001 में किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए "किशोरी सशक्तीकरण योजना" शुरू किया गया। 2009 तक यह योजना चलता रहा। यह योजना देश के पिछड़े हुए 200 जिलों में चलाई गयी थी। बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से 1 अप्रैल 2011 से इसे "सबला योजना" के नाम से पूरे भारत में लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से किशोरियों को अपने को

सशक्त बनाने का अवसर मिला। इस योजना का आर्थिक संचार पूर्ण रूप से सरकार द्वारा किया जाता है।

1.15.3 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजनाः—

यह एक ऐसी योजना है जो राजस्थान सरकार **श्री अशोक गहलोत** ने पूर्व प्रधानमन्त्री **श्रीमती इंदिरा गाँधी** की **103**वीं जयंती पर आरम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि 5 चरणों में पूर्ण की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से माता तथा बच्चे दोनों में कुपोषण को कम किया जा सकता है। यह योजना बहुत ही लाभदायक है। इस योजना से गरीब गर्भवती महिलाओं को काफी मदद मिलेगी।

1.15.4 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजनाः—

केन्द्र सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नामक योजना की शुरूआत 2004 में की। इस योजना के अन्र्तगत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना के चलते देश के सभी पिछड़े वर्ग और गाँव में रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है।

1.15.5 प्रधानमन्त्री उज्जवला योजनाः—

देश के प्रधानमन्त्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** द्वारा **प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना** को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई गयी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। महिलाओं को स्वस्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई। जिन महिला की आयु 18 वर्ष से ऊपर है या जिनके पास बैंक पास बुक और BPL राशन कार्ड है उन्हें इसका लाभ प्राप्त होता है। सरकार गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन

लगवाने के लिए 1600 रूपये की मदद राशि भी देती है। इस योजना को संक्षेप में PMUY के नाम से जाना जाता है।

1.15.6 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP):

कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। STEP का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए 1977 में तैयार और प्रारम्भ किया गया था। भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मौजूदा 11 संस्थाओं के अलावा 8 MSTI (M.P.) तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, तेलांगना, जम्मू तथा कश्मीर में स्थापित किये जा रहे हैं। संस्थाओं का नाम **"महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण"** कर दिया गया है।

1.16 शोध के उद्देश्य (Aim of Research):-

कोई भी शोधकार्य उद्देश्यरहित नहीं हो सकता। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य निरर्थक है क्योंकि शोधार्थी को शोध समस्या के लिए पहले से योजना बनानी होती है। शोधार्थी योजना के अनुसार उद्देश्य को निर्धारित करता है। शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या के अन्तर्गत अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए कुछ उद्देश्यों को निश्चित किये हैं जिन्हें शोधार्थी शोध के चयनित विषय के अन्तर्गत पूर्ण करेगी।

प्रस्तुत शोध समस्या के लिए शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया गया हैः–

1. स्नातक स्तर के महिला विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

3. वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।
4. वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।
5. वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।
6. वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

1.17 शोध की परिकल्पनाएँ (Hypothesis of Research):-

शोध समस्या का एक प्रस्तावित जाँचनीय उत्तर ही प्राक्कल्पना कहलाता है। जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका अस्थायी समाधान (Tentative Solution) जाँचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। शोध की परिकल्पनाएँ शोध को मार्ग दिखाने का कार्य करती हैं। जब हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो उन्हीं परिकल्पनाओं में से एक परिकल्पना स्थायी समस्या समाधान के रूप में शोध मार्गदर्शन का कार्य करती है। परिकल्पनाओं के साथ शोध करना आसान हो जाता है। एक अच्छी शोध प्राक्कल्पना की पहचान उसकी कुछ कसौटियों (Criteria) या विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है–

1. प्राक्कल्पना जाँचनीय होना चाहिए।
2. अध्ययन किये जाने वाले क्षेत्र की अन्य प्राक्कल्पनाओं की बनायी गई प्राक्कल्पना के साथ तालमेल होना चाहिए।
3. प्राक्कल्पना मितव्ययी होना चाहिए।
4. प्राक्कल्पना में तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होना चाहिए।
5. प्राक्कल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धान्त एवं तथ्यों से सम्बन्धित होना चाहिए।
6. प्राक्कल्पना से अधिक से अधिक अनुमिति (inference) किया जाना सम्भव होना चाहिए।

7. प्राक्कल्पना को प्राप्य वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से सम्बन्धित होना चाहिए।

8. प्राक्कल्पना को सम्प्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए।

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य के लिए कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किये हैं, जो निम्नवत् है–

1. स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.18 शोध का कथन (Statement of Research):-

वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का स्त्री शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन।

1.19 मुख्य बिन्दुओं की परिभाषाएं (Definition of main points):-

1.19.1 भारत में स्त्री शिक्षा (Women Edcucation in India):

प्रस्तुत शोध में स्त्री शिक्षा का अर्थ वर्तमान में जो शिक्षा स्त्रियों के लिए उपलब्ध है एवं जो शिक्षा उनको दी जा रही है।

1.19.2 स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा (Direction and Condition of Women Education) :

वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा जिन रूपों में उन्हें प्रदान की जा रही है उसी की दशा या स्थिति एवं उनकी दिशा का अध्ययन करना।

1.20 समस्या का सीमांकन (Limitation of Problem):

यह शोध लखनऊ जनपद में स्थिति विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों पर किया जायेगा।

***

द्वितीय अध्याय

==

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना (Introduction):-

अनुसंधान की प्रक्रिया में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण व वैज्ञानिक चरण है, क्योंकि शोधार्थी अपने अतीत से संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है और अतीत के ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सदियों से एकत्रित ज्ञान का लाभ उठाते हुए नवीन ज्ञान को अपने शोध का आधार बनाता है। किसी भी शोधकार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि शोधार्थी अपने शोध समस्या से सम्बन्धित अपने सभी शोधकार्य करके शोध की समस्या से सम्बन्धित ज्ञान को एकत्र करे।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध एवं अभिलेखों से है, जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी समस्या का चयन, परिकल्पना निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को शोध सम्बन्धित भिन्न–भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को अपनी समस्या को सीमित करने एवं उसे दिशा देने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अभी तक उस समस्या पर कितना कार्य हो चुका है किस–किस क्षेत्र में तथा कौन सी विधि का प्रयोग किया गया। पूर्व में सम्बन्धित शोध कार्य से क्या निष्कर्ष निकला और वर्तमान में उस समस्या पर कौन सा कार्य किया जा सकता है। आगे किस पहलू पर शोध कार्य किया

जा सकता है। इन सब प्रश्नों के उत्तरों पर सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण या अध्ययन करने से प्रकाश पड़ता है। अध्ययन के पश्चात् ही शोधकर्ता यह निश्चित कर पाता है कि प्रस्तुत शोध ज्ञान की नवीन खोज होगी या पहले की अनविष्ट ज्ञान की पुष्टि है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं:–

बोर्ग के शब्दों में, "सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी भी शोधार्थी को इस योग्य बना देता है कि वह किये गये शोध कार्य को ढूंढकर उसका अध्ययन कर सके। सम्बन्धित साहित्य के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने शोध की विधियाँ, उपकरणों आदि का चयन करने में सम्बन्धित साहित्य की सहायता ले सकता है।"

ट्रेवर्स के अनुसार, "किसी भी क्षेत्र की समस्याओं एवं तथ्यों से परिचित होने के लिए उस विषय से सम्बन्धित साहित्य को पढ़ना आवश्यक होता है, सम्बन्धित साहित्य की समस्याओं एवं तथ्यों के ज्ञान से शोधकर्ता विषय हेतु संगत तथा असंगत बातों की जानकारी प्राप्त करवाता है।"

जॉन डब्लू बेस्ट के अनुसार, "सम्बन्धित साहित्य समस्त मानवीय पुस्तकों और पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है तथा जो जीवधारियों से भिन्न प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ पुनः नये सिरे से कार्य प्रारम्भ करते हैं, मनुष्य अतीत से संचित व अधोलिखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं।"

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं को देखते हुए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अनुसंधान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसका लक्ष्य सम्बन्धित क्षेत्र में अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजना, वर्तमान समस्याओं के समाधान योजना, विरोधी सिद्धान्तों की सत्यता को परखना, नवीन प्रवृत्तियों एवं तथ्यों की खोज करना, जीवन एवं उसके परिवेश से सम्बन्धित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना आदि होता है।

2.2 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के उद्‌देश्यः–

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन करने से कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट होते हैं जो निम्नवत् हैंः–

1. यह अनुसंधान के लिए सिद्धान्त, व्याख्यायें, विचार तथा परिकल्पनाएँ प्रदान करता है जो नवीन समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते हैं।
2. अनुसंधान के क्षेत्र में किये गये कार्य का वर्णन करता है। कार्य कितना और किस विधि से किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त होता है।
3. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है।
4. चयनित समस्या के लिए किस विधि का प्रयोग सर्वमान्य होगा, इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
5. यह परिणामों के विश्लेषण में सहायता करता है तथा उपयोग, निष्कर्षों तथा तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है।
6. समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणाएँ, सीमांकन तथा परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है।

2.3 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की आवश्यकताः–

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता को हम निम्नवत् दर्शाते हैंः–

1. प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरों द्वारा किये गये शोध के आधार पर अपनी शोध समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली–भाँति परिचित हो।
2. शोधकर्ता सम्बन्धित साहित्य से अपनी रूचि के अनुरूप शोधकार्य का क्षेत्र चुनता है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करता है।
3. शोधकर्ता साहित्य से शोध की समस्या का चयन करता है और साहित्य पुनर्निरीक्षण के आधार पर परिकल्पनाएँ बनाता है।
4. यह समस्या समाधान हेतु शोध विधि का स्पष्ट सुझाव देता है।
5. तुलनात्मक शोध आँकड़ों को प्राप्त करने एवं विश्लेषण करने में सहायक होता है।

6. सम्बन्धित साहित्य का गम्भीर अध्ययन शोधार्थी के ज्ञानकोष में वृद्धि करता है।

2.4 सम्बन्धित साहित्य अध्ययन के कार्य व महत्वः–

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से कई दृष्टिकोणों में लाभ होता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के कुछ महत्व निम्नवत् हैं:–

1. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से शोधार्थी का ज्ञान विस्तार होता है। अपने शोध से सम्बन्धित सभी प्रकार के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ने में महत्वपूर्ण होता है।
2. शोधार्थी को अपने समस्या को सीमित करने एवं उसे दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्बन्धित शोध में जिन पहलू पर कार्य नहीं हुआ होता है। समस्या चयन में यह पहलू सहायक होता है।
3. मौलिक तथा उपयोगी अनुसंधान तभी सम्भव है, जब शोधार्थी को उस क्षेत्र में किये गये कार्य की पूर्ण जानकारी हो, अन्यथा उसी कार्य की पुनरावृत्ति होती रहेगी।
4. सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से समस्यागत चरों को परिभाषित करने में तथा समस्यागत संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में भी सहायता मिलती है।
5. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन समस्यागत परिकल्पनाओं के निर्माण में अनिवार्य ही है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन सोचने के लिए ठोस आधार प्रदान कराता है।
6. सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोध–सामग्री एकत्र करने, उपयुक्त साधनों, उपकरणों, विधियों एवं परीक्षाओं को खोजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
7. सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोध–सामग्री का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के तरीके का अनुभव हो जाता है। साहित्य के अध्ययन से शोध–विधि के गुण–दोष के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
8. सम्बन्धित साहित्य शोध के परिणामों की व्याख्या करने में भी सहायता करता है। प्राप्त परिणाम व पूर्व में उपलब्ध हुए परिणामों के साथ तुलना करके उनके

औचित्य का निर्धारण करना सम्भव होता है। इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को एक सही दिशा का ज्ञान हो जाता है। सम्बन्धित साहित्य शोधार्थी के शोध में मार्गदर्शन का काम करता है।

2.5 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के स्रोतः–

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के स्रोत से तात्पर्य शोध में किये गये पूर्व शोध अध्ययनों से होता है। किसी भी शोधार्थी को अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोध सामग्री की आवश्यकता होती है। शोध सामग्री से तात्पर्य सम्बन्धित शोध में प्रयोग किये गये लिखित एवं संकलित स्रोत से है। शोध सामग्री से शोधार्थी की सूझ एवं अन्तर्दृष्टि का विकास होता है। सम्बन्धित साहित्य के सूचनाओं के स्रोत दो प्रकार के होते हैं– 1. प्रत्यक्ष स्रोत, 2. अप्रत्यक्ष स्रोत

1. प्रत्यक्ष स्रोतः शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा साहित्य के रूप में सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत कुछ इस प्रकार हैं–

- शोध से सम्बन्धित जो शोध कार्य हो चुके हैं उनमें साहित्य पत्रिकाएँ आदि हैं। इनका सम्बन्ध साहित्य की नवीन घटनाओं से होता है। साहित्य के क्षेत्र में इस स्रोत को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है।
- दूसरा मुख्य स्रोत साहित्य प्रबन्ध है। शोध से सम्बन्धित शोध–प्रबन्ध को प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- शोध विषय से सम्बन्धित निबन्ध पुस्तिकाएँ, वार्षिक पुस्तकें तथा बुलेटिन शोध चाहे दार्शनिक हो या सर्वे प्रकार के, दोनों स्रोतों का शोध ग्रन्थ में शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है।

2. अप्रत्यक्ष स्रोतः– शिक्षा के अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में कुछ शैक्षिक स्रोत निम्नवत् हैं–

- शिक्षा के विश्व–ज्ञानकोष।
- शिक्षा सूची पत्र।
- शिक्षा सार।

- पत्रिकाएँ एवं सहायक पुस्तकें।
- मोनोग्राफ, बुलेटिन एवं वार्षिक पुस्तकें।

इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से एक शोधकर्ता को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययन करने से शोध कार्य को पूर्ण करने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोध से सम्बन्धित स्रोत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान शोध समस्या के अनुसार सम्बन्धित शोध स्तरों को तीन श्रेणियों में बाँटकर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

1. स्त्री शिक्षा की दशा से सम्बन्धित अध्ययन।
2. स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित अध्ययन।
3. स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अध्ययन।

2.6 स्त्री शिक्षा की दशा से सम्बन्धित अध्ययन–

द्विवेदी, अमित रत्न और ठाकुर, गोपाल कृष्ण (2020), सारथी, कुमारी (2020), बैरवा, मुकेश कुमार (2016), दिशा (2017), पाण्डे, एम0 आर0 (2017), बोनेला गणपति, डॉ0 पी0 आरजू (2014), कम्बो, प्रेरणा (2005), त्रिपाठी अनुराधा (2009), यादव, शशिकला (2013) ने स्त्री शिक्षा की दशा से सम्बन्धित अध्ययन किये। स्त्री शिक्षा की स्थिति के बारे में उपरोक्त सभी ने बारीकी से अध्ययन करके अपने शोध व लघु शोध को पूर्ण किया। उपरोक्त सभी ने विभिन्न विषयों पर शोधकार्य किये।

द्विवेदी, अमित रत्न और ठाकुर, गोपाल कृष्ण (2020) ने भारतीय सन्दर्भ में नारी शिक्षा का अध्ययन किया। शिक्षा प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि वह अपने में समग्रता को समाहित करें, सिर्फ किसी वर्ग विशेष तक की शिक्षा की पहुँच न होकर समाज के प्रत्येक वर्ग किस सीमा तक उसकी पहुँच है और क्या होना चाहिए। इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है। दोहरी नीति की शिकार रही आदिवासी समाज की स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है इस शोध पत्र में

विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। भारत सरकार के लिए शिक्षा के लिए कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनकी शिक्षा में उन्नति किया जा सके। इस प्रकार इस शोध पत्र में स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर उसे सम्पूर्ण रूप से उपयोगी बनाने के लिए कार्य किया गया है। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय यह इस शोध पत्र में उल्लिखित है।

- ❖ **सारथी कुमारी (2020)** ने "महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन किया।"[9] समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल एवं बुद्धिमान होना जरूरी है और यह सब शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्त्री की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान पूरी तरह दे पायें, राष्ट्र की आधी जनसंख्या का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। परिवार की आवश्यकताओं के साथ–साथ शिक्षा के प्रति भी स्त्रियों का योगदान आवश्यक है, जिससे सामाजिक उत्थान के साथ–साथ राष्ट्र का विकास हो सके। इस अध्ययन में स्त्रियों को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य है। यह अध्ययन स्त्रियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने का कार्य किया है।
- ❖ **पाण्डे, एम0 आर0 (2017)** ने "मराठावाड़ा में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं का उनकी बौद्धिक क्षमता और व्यक्तित्व विकास में योगदान एक अभ्यास"[10] नामक शोध कार्य किया गया। इस शोध कार्य का उद्देश्य बालिका शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना है। बालिकाओं का बौद्धिक विकास शिक्षा की दशा पर निर्भर करता है। इस शोध में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति को बदलने का कार्य किया गया है। शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं की मानसिक व बौद्धिक स्तर को समझकर उसे अग्रसारित किया जा सकता है।
- ❖ **बैरवा, मुकेश कुमार (2016)** ने "बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन का अध्ययन सवाई माधोपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में"[11] शीर्षक पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य में परिणामस्वरूप पाया गया कि बालिकाओं ने बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन के प्रति अधिक सहमति जतायी। इस शोध कार्य के माध्यम से पता चला कि बालिका

शिक्षा के पिछड़ेपन के मुख्य कारणों में पारिवारिक तथा सामाजिक कारणों का मुख्य भूमिका रहा। बालिकाओं ने पारिवारिक कारणों को विशेष कारण के रूप में लिया। बालिकाओं के सर्वे से पता चला कि बालिकाओं के शिक्षा का मुख्य कारण पारिवारिक हस्तक्षेप है।

- **दिशा (2017)** लेख में सम्पादित लेख "भारत में महिला शिक्षा की समस्यायें और मुद्दे"[12] में कहा गया कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा एक विकट समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। स्त्रियों की शिक्षा राष्ट्रीय विकास में एक अहम भूमिका अदा करती हैं। भारत की आधी जनसंख्या का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस लेख में बताया गया है कि स्त्रियों की शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक अभिन्न अंग है। आर्थिक कमी के कारण स्त्रियों की शिक्षा में सुधार और विस्तार नजर नहीं आ रहे हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री **पंडित जवाहर लाल नेहरू** ने "देश के चरित्र का सबसे विश्वसनीय संकेतक महिलाओं की स्थिति कुछ और नहीं है।" **उन्होंने** कहा कि "मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत की प्रगति को भारत के स्त्रियों की प्रगति से मापा जा सकता है।"

- **बोनेला गणपति, डॉ0 पी0 आरजू (2014)** ने "भारत में स्त्रियों के शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया।"[13] अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया कि शिक्षित स्त्रियाँ समाज के स्वरूप व स्थिति बदलने में सक्षम हैं। भारत में स्त्री सशक्तिकरण सामाजिक व राजनीतिक पहलू के अलावा आर्थिक पहलू को भी सशक्त बना सकती हैं। यह स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए एक अवसर है, क्योंकि इससे स्त्रियों को अपने जीवन शैली में शिक्षा की समानता व असमानता के अन्तर को दूर करके सभी प्रकार की चुनौतियों का जवाब देने में मदद मिलती है।

- **यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013)** ने "अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया।"[14] अध्ययन के उपरान्त निष्कर्ष रूप में पाया गया कि बालिका शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अवरोधन अधिक से अधिक देखने को मिलता है। अधिकांश छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने

की इच्छा रखती हैं। अधिकांश छात्राओं ने स्वीकार किया कि घर–परिवार के कार्यों के कारण उनकी शिक्षा बाधित होती है। साथ ही गरीबी, प्रेरणा का अभाव, माता–पिता का शिक्षित न होना भी बाधक तत्वों के रूप में सामने आया है। वर्तमान समय में भी छात्र व छात्राओं की शिक्षा में अन्तर देखने को मिलता है।

- ❖ **सिंह, गीता (2014)** ने "मुस्लिम महिलाओं की दो पीढ़ियों की शैक्षिक महत्व के सन्दर्भ में अध्ययन"[15] किया, जिसमें शोधार्थी मुस्लिम बालिकाओं में शैक्षिक पिछड़ेपन को अनुभव किया। इस शोध में उपकरण के रूप में सर्वे विधि का उपयोग किया गया है। इस शोध का उद्देश्य मुस्लिम वर्ग की महिलाओं में शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देना है। इस शोध कार्य में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक दशा पर कार्य किया गया है। इस शोध में जनसंख्या के रूप में 'हरियाणा' राज्य के मेवात' जिले को चुना गया है। समाज में महिला शिक्षा की शक्ति को बताना इस शोध का शैक्षिक निहितार्थ है। इस शोध के परिणाम से यह संकेत मिलता है कि शिक्षा महिलाओं की निर्णय क्षमता को मजबूत बनाती हैं। इस शोध में निष्कर्ष रूप में यह देखने को मिलता है कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया गया है।
- ❖ **कम्बो, प्रेरणा (2005)** ने "मलीन बस्तियों में रहने वाले बालक–बालिकाओं के शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन"[16] की। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि शिक्षा के अभाव में वहाँ रह रहे बालिकाओं व स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय है। उन पर किये जा रहे अत्याचार को वे सरलता से सहन कर लेती हैं। शैक्षिक अभाव के कारण इस तरह जीवन–यापन करने पर मजबूर हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य मलीन बस्तियों में अशिक्षित बालिकाओं को शिक्षित करने का है। इस अध्ययन में उपकरण के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर व समय दिया जाय तो मलीन बस्तियों की बालिकायें पूरी तरह शिक्षित हो जायेंगी। इस शोध से यह पता चलता है कि सुविधाओं के अभाव के कारण ये बालिकायें शिक्षा से वंचित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। परन्तु मलीन बस्तियों में जनसंख्या के अनुसार परिषदीय विद्यालय न होने के कारण बालिकायें शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

- **त्रिपाठी, अनुराधा (2009)** ने "भारत में स्त्री शिक्षा बदलते आयाम का समालोचनात्मक अध्ययन"[17] की। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के बदलते स्वरूप को दर्शाना है। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रगति तथा प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया गया। इस शोध अध्ययन से यह बताने की कोशिश की गयी है कि स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक कैसी रही। कब–कब स्त्रियों को शैक्षिक रूप से पतन का सामना करना पड़ा और कौन से काल में स्त्रियों को सम्मान मिलता गया। इस शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में सर्वे विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध के माध्यम से निष्कर्ष रूप में पाया गया कि स्त्री शिक्षा की प्रगति में अनेक बाधायें एक समस्या का रूप लेकर खड़ी हैं, जैसे– रूढ़िवादिता, शिक्षा के प्रति अज्ञानता, शिक्षा के प्रति रूचि का न होना आदि। इस शोध अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है कि शोध के माध्यम से स्त्री शिक्षा को उन्नति के मार्ग पर लाया जा सकता है।
- **यादव, शशिकला (2013)** ने "कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की स्थिति"[18] का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति व योजना के लक्ष्य समूह की स्थिति से है। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। यह शोध बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सार्थक प्रयास से सम्बन्धित है। अध्ययन के द्वारा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। महाराजगंज जनपद के अन्तर्गत प्रथम से लेकर पाँचवें चरण में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय को इस लघु शोध को जनसंख्या के रूप में लिया गया है। इस अध्ययन के सुझाव के रूप में बालिकाओं के सर्वांगीण

विकास हेतु शिक्षणेत्तर क्रिया कलापों का संचालन किया जाय, जिसमें बालिकाओं को अपने को विकसित करने का अवसर उपलब्ध हो सके।

2.7 स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित अध्ययनः–

श्रीवास्तव, रश्मि (2016), सलीम, मोहम्मद (2016), नायर, शैलजा वी (2014), गुप्ता, सत्येन्द्र (2013), महर्षि, शर्मा निम्मी (2013), कौर रविन्दर नागिन्दर और हरमन प्रीति (2013), जैन नेहा (2011), चौहान नीति (2011), दिवाकर रजत (2010), द्विवेदी, किरन (2009), चट्टोपाध्याय, कमला देवी (2008) ने अपने शोध में स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित अध्ययन किये जिसमें स्त्रियों की दिशा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

❖ **महर्षि शर्मा निम्मी (2013)** ने "महिलाओं में कानूनी अधिकारों के प्रति राजनैतिक संचेतन एक अध्ययन"[19] शीर्षक पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य स्त्रियों की दिशा को प्रदर्शित करना है। निष्कर्ष स्वरूप यह पाया गया कि इस शोध में स्त्रियों को एक अधिकारी व कर्मचारी के रूप में दिशा निर्धारित की गयी। स्त्रियों की दिशा केवल चहारदीवारी तक सीमित न होकर वह सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इस शोध में एक महिला की राजनैतिक दिशा तय की गयी है। इस शोध से चता चलता है कि राजनीति के क्षेत्र में महिलायें बढ़ चढ़कर दिशा तय कर रही हैं। एक महिला अधिकारी के सम्मुख आम महिला अपनी समस्या को निर्भय होकर रख सकती है। वास्तविक समस्यायें व आवश्यकताएँ सामने आने पर ही उपयुक्त और सार्थक नीतियाँ और कार्यक्रमों को महिलाओं द्वारा ही बनवाया जा सकता है। महिलायें अब अपने विशेषाधिकार की तरह अपनी दिशा तय करने लगी हैं।

❖ **कौर, रवीन्दर, नगिन्दर एवं हरप्रीत (2013)** ने "महिला शिक्षकों की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन"[20] किया। इन्होंने कुल 1000 शहरी व ग्रामीण महिला शिक्षिकाओं का चयन किया। इस अध्ययन में कुल 106 परीक्षण पदों का उपयोग किया गया। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक समस्याओं की तुलना

करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओं की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना है। निष्कर्ष रूप से दोनों में सार्थक अन्तर पाया गया।

❖ **सलीम मोहम्मद (2016)** ने "भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन"[21] किया। इस शोध का उद्देश्य भारतीय स्त्री की उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और रोजगार की दिशा तय करता है। महिलाओं की दिशा को इस शोध के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। महिलाओं के नामांकन में उच्च शिक्षण संस्थाओं में कुछ वृद्धि देखने को मिलती है। यह वृद्धि स्त्रियों की दिशा को तय करता है। स्त्रियों की दिशा भारतीय अर्थ–व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। भारतीय स्त्रियों की दिशा रोजगार के क्षेत्रों में उच्च कोटि की होनी चाहिए। इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष यह निकलता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी का नामांकन अधिक से अधिक रूप में किया जाय।

❖ **चट्टोपाध्याय, कमला देवी (2008)** ने अपने चयनित शोध कार्य में "स्त्रियों की राजनीतिक भूमिका"[22] के इतिहास को समझने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि महिलाओं को अपने शोध की जनसंख्या के रूप में चयनित किया। इस शोध का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में स्थान मिलना चाहिए। स्त्रियों की दिशा सभी क्षेत्रों में विभाजित की जाय। इस शोध में महिलाओं के लिए समान अधिकार का समर्थन किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि शिक्षा महिलाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

❖ **शांतलिन, एस0 (2014)** ने "महिलाओं का शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण का वैयक्तिक अध्ययन"[23] पूंडुचेरी संघ साथ क्षेत्र के सम्बन्ध में किया। महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से दिशा तय करने का कार्य किये जा रहे हैं। इस अध्ययन में यह बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा को आधार बनाकर स्त्रियों की दिशा सभी क्षेत्रों में तय किया जा सकता है। इस शोध में महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता की बात कही गयी है। एक शिक्षित महिला आर्थिक व

सामाजिक रूप से मजबूत होती है। इस प्रकार महिलाओं की दिशा को शिक्षा के माध्यम से तय किया जा सकता है।

- ❖ **यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013)** ने "अनुसूचित जाति के संदर्भ में बालिका शिक्षा की दिशा का अध्ययन"[24] प्राथमिक स्तर पर किया। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के अवरोधन 29 प्रतिशत पाये गये। वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। इस शोध अध्ययन से यह पता चलता है कि छात्राएं अधिकतर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं। इन छात्राओं की दिशा उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। अधिकतर शिक्षा अवरोधन का कारण गरीबी, प्रेरणा का अभाव, माता–पिता का शिक्षित न होना है। इन सब कारणों से अधिकतर बालिकायें उच्च शिक्षा की दिशा तय नहीं कर पाती हैं।
- ❖ **दिवाकर, रजत (2010)** ने "उच्च माध्यमिक स्तर की शहरी व ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन"[25] किया। इस शोध का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार कानून के फलस्वरूप बालिका शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुई है। शहरी बालिकाओं में उच्च शिक्षा प्राप्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है। शहरी बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि ग्रामीण बालिकाओं की तुलना में कम पायी गयी।
- ❖ **चौहान, नीति (2011)** ने "राष्ट्रीय मुक्त विद्यालओं शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन पर अध्ययन"[26] किया। इस शोध के निष्कर्ष रूप में पाया कि राष्ट्रीय विकास शिक्षा संस्था में नामांकन की स्थिति बेहतर हुई है। माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी अधिक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर भी बालिकाओं ने अधिक से अधिक सहभागिता व्यक्त की। उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा बालिकाओं की दिशा को तय करता है। बालिकाओं को आगे चलकर किस दिशा में करियर बनाना है यह उच्च शिक्षा पर निर्भर करता है।
- ❖ **गुप्ता, सत्येन्द्र (2013)** ने "सरस्वती विद्या मन्दिर संस्थाओं के शैक्षणिक योगदान का अध्ययन बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) के सन्दर्भ में"[27] किया। इस अध्ययन में

पाया कि लगभग 22 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक सरस्वती विद्या मन्दिर की स्थापना की गयी। सरस्वती विद्या मन्दिर की स्थापना का उद्देश्य अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार किया जाय। इस शिक्षा के माध्यम से बालक व बालिकाओं की दिशा तय करने के लिए समान रूप से शैक्षणिक कार्य चल रहे हैं।

- **जैन, नेहा (2011)** ने अपने लघु शोध में "बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का योगदान के सन्दर्भ में टॉक जिले का अध्ययन"[28] किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष रूप में पाया गया कि नामांकन संख्या की बढ़ती उपस्थिति दर इन विद्यालयों की लोकप्रियताओं को दर्शाता है। इस विद्यालय का यह उद्देश्य है कि छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ दिया जाय। यहाँ के बालिकाओं को सभी प्रकार के कौशलों का भी ज्ञान दिया जाय। इन बालिकाओं को उच्च शिक्षा की दिशा तय करने की प्रेरणा दी जाती है। यह विद्यालय सभी प्रकार की बालिकाओं के लिए उपयोगी है।
- **नायर, शैलजा बी (2014)** ने "अहमदाबाद शिक्षा समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान का वैयक्तिक अध्ययन"[29] किया। इस अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि स्त्री और पुरूष कर्मचारियों की नियुक्ति समान रूप से किया जाता है। यह समानता ही स्त्रियों की दिशा को इंगित करता है। शिक्षा के द्वारा आज स्त्रियों की दिशा समान है। ऐसी बहुत सारी शिक्षा संस्थायें हैं जो अहमदाबाद शिक्षण समिति द्वारा संचालित की जा रही हैं।
- **द्विवेदी, किरन (2009)** ने "भारत की दिशा विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा में महिला भागीदारी पर शोध अध्ययन"[30] किया। निष्कर्ष रूप में प्राप्त हुआ कि भारत जैसे विशाल देश में जिसमें 50 प्रतिशत महिला भागीदारी होने के बावजूद महिला और पुरूष व्यावसायिक भागीदारी में असमानता है। कई राज्यों में पुरूषों की अपेक्षा महिला का व्यावसायिक प्रतिशत बहुत कम है। जो यह दर्शाता है कि स्त्रियों की दिशा व्यवसाय के मामले में पुरूषों से पीछे दिखायी पड़ता है। विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा में महिला सहभागिता के प्रोत्साहन के लिए

राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर प्रोत्साहन कार्यक्रमों व उनके मूल्यांकन की तीव्र आवश्यकता है।

- ❖ **श्रीवास्तव, रश्मि (2016)** ने "लैंगिक विषमता और बालिका शिक्षा का पिछड़ापन और उसके उपचारी मापन पर अध्ययन"[31] किया। जिसमें पाया गया कि बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण की मुख्य भूमिका है। स्त्रियों की दिशा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सभी प्रकार के पिछड़ेपन को दूर करना होगा।

2.8 स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अध्ययनः—

कौशिक, विभा (2016), सिंह, कुमुद (2016), नसीमा, अख्तर (2016), नाथ, विनिता (2015), सुल्तान, रजिया (2013), पाण्डेय (2013) शेखर (2014), शर्मीला एन0 अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013), एम0 जजीत और एम0 जयन्ता (2012) चौहान, सी0पी0 एस0 (2011), सिंह, रघुराज (2009), गुप्ता, कोमल (2008), रामचन्द्रन, विमला (2016), जैन, कमलेश (2014), चट्टोपाध्याय, अरून्धती (2012), कुमार, नीरज (2007), किशोर, राज (2011), जावली, नन्दनी (2005) ने स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अध्ययन अपने शोध व लेख में किया जिसमें स्त्री शिक्षा के विकास को विकसित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

- ❖ **कौशिक, विभा (2016)** ने "विश्लेषणात्मक अध्ययन एक कक्षा शिक्षण के रूप में"[32] किया। इस शोध कार्य में विभा ने निष्कर्ष रूप में देखा कि बालिका सशक्तिकरण एक रचनात्मक शिक्षण नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण बालिका के विकास से सम्बन्धित है। इस शोध में यह पाया गया कि बालिकाओं को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम व्याख्यान नहीं है बल्कि करके सीखने का ज्ञान स्थायी रूप में सुरक्षित रहता है। इस शोध के माध्यम से यह वास्तविकता आयी कि सभी क्षेत्र में लड़कियां सीख कर विकास की तरफ अग्रसर हो रही हैं। शोध में यह देखा गया कि लड़की हो या लड़के सभी एक मस्तिष्क लेकर पैदा होते हैं। दोनों में ज्ञान प्राप्त करने में कोई अन्तर नहीं होता है। जबकि पारंपरिक स्कूली शिक्षा

बालिकाओं को हतोत्साहित करती है। बालिकाओं का विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बालिकाएं बालकों के समान विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं।

- **सिंह, कुमुद (2016)** ने "उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया का राजनीति शास्त्रीय विश्लेषण"[33] प्रकरण पर शोध कार्य किया। अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार भी केन्द्रीय सरकार के पदचिन्हों को लेकर महिला को सशक्त और विकसित करने के प्रयास में जुड़ी है। स्त्रियों को सरकारी नौकरियों, व्यक्तिगत सेवाओं एवं राजनैतिक व्यवस्था में पुरूषों के समान अधिकार, उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। शासकीय महिला उत्थान एवं विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप महिलायें पूर्व की अपेक्षा वर्तमान सामाजिक परिवेश में अवश्य सशक्त हुई हैं।
- **नसीमा, अख्तर (2016)** ने "जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विधिक अध्ययन"[34] का शोध किया जिसमें पाया कि युवतियों के शिक्षा के परिदृश्य की कल्पना, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को जानना, जिले में महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को जानना था। इस शोध में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास पर सरकार अधिक से अधिक धन खर्च करती है, लेकिन सरकार के लक्ष्य के अनुसार महिला शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है।
- **नाथ, विनिता (2015)** ने "दारांग जिले में महिला शिक्षा के विकास"[35] पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास दर लक्ष्य तक पहुँचाना था। इसका मुख्य उद्देश्य पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा के विकास को देखना था। शिक्षा के प्रसार व विकास के कारण समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। इस शोध कार्य के निष्कर्ष रूप में पाया गया कि हमारी परम्पराओं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की मुख्य स्रोत हैं। महिला शिक्षा का परिणाम 19वीं शताब्दी का विकास था। महिला शिक्षा के विकास का परिणाम है कि स्त्रियाँ सम्मानजनक स्थिति में हैं।

❖ **सुल्तान, रजिया (2013)** ने "सन् 1947 के बाद से दारांग जिले में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन"[36] किया। अध्ययन के परिणामस्वरूप देखने को मिला कि बाल विवाह महिला शिक्षा के विकास में मुख्य बाधा थी। समाज की विडम्बना थी कि लड़कियाँ सह–शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा दर गिरती गयी। एक तरफ समाज और दूसरी तरफ माता–पिता की आर्थिक स्थिति भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधा बनी। माता–पिता का अशिक्षित होना भी बालिका शिक्षा के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सुविधाओं का अभाव और माता–पिता का बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच भी मुख्य कारण है बालिका शिक्षा के विकास में।

❖ **पाण्डेय (2013)** ने "महिला ग्राम प्रधान ने कायम की मिसाल"[37] नामक लेख स्त्रियों के विकास को इंगित करता है। इस लेख में बस्ती जिले के ग्राम पंचायत आमा टिनिच ग्राम की सरपंच सुमन सिंह के शैक्षिक विकास की योग्यता को दर्शाता है। सुमन सिंह ने सरपंच के रूप में अति पिछड़े गाँव को मात्र दो वर्षों के अन्दर अति विकसित ग्राम पंचायत की श्रेणी में ला दिया। शिक्षा के क्षेत्र में करियर तय करने वाली सुमन ने समाज सेवा करने को तय किया, क्योंकि समाज में पिछड़े परिस्थितियों को देखते हुए सुमन को समाज सेवा में अपने आपको वंचित नहीं रख सकीं। शैक्षिक विकास के कारण ही सुमन ने ग्राम विकास की रूपरेखा तैयार की। एक शिक्षित महिला इस प्रकार विकसित सोच रख सकती है। इस लेख से यही प्रदर्शित होता है कि एक अति पिछड़े गाँव में एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला विकास को ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।

❖ **शेखर (2014)** ने "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी"[38] लेख में महिलाओं के प्रति उत्कृष्ट दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। इस शोध में महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान समय में महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी परिस्थितियों में अपने आपको विकास की ऊँचाइयों पर ले जा रही हैं। शोध कार्य में यह बताने का प्रयास

किया गया है कि महिलायें सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसर हैं। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर हैं।

❖ **शर्मिला, एन0 अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013)** ने अपने "समाज में महिला शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में"[39] वर्णन करते हुए कहती हैं कि महिला देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला शिक्षा का विकास करना देश की स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। महिला शिक्षा की कमी देश के विकास के लिए एक बाधा हो सकती है। इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच साक्षरता दर के बीच का अन्तर कम होता दिखायी दे रहा है।

❖ **एम0 जजीत और एम0 जयन्ता (2012)** ने अपने पत्र "महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा"[40] के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा कि महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना अति आवश्यक है। महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों पर जोर देना चाहिए। महिलाओं का शैक्षिक विकास तभी हो सकता है जब महिलायें शैक्षिक कार्यक्रमों में बराबरी की भागीदार बनेंगी। शिक्षा के माध्यमों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो लिंगभेद से ऊपर उठकर महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो।

❖ **चौहान, सी0पी0एस0 (2011)** ने अपने पत्र में "उच्च शिक्षा में महिलाओं की बराबर भागीदारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट"[41] तैयार की जिसमें कहा गया कि स्त्रियों का विकास तभी हो सकता है, जब वे उच्च शिक्षा से वंचित न हो। शैक्षिक विकास के लिए स्त्रियों का उच्च शिक्षित होना अति आवश्यक है।

❖ **सिंह, रघुराज (2009)** ने "वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च अध्ययन को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन"[42] किया, जिसमें पाया गया कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति बालकों की तुलना में कम है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त बालिकायें स्वयं और देश के विकास में पूर्ण योगदान देंगी।

❖ **गुप्ता, कोमल (2008)** ने "आवासीय विद्यालयों में रह रही बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्राप्ति में आने वाली तरह–तरह की समस्याओं का अध्ययन"[43] किया। अध्ययन में पाया गया कि गैर–आवासीय बालिकाओं की शैक्षिक प्राप्ति आवासीय बालिकाओं की अपेक्षा कम पायी गयी।

2.9 विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्बन्धित साहित्य का सर्वे–

❖ **रामचंद्रन, विमला (2016)** ने अपने आलेख में "बालिका शिक्षा के प्रति भारतीय परिदृश्य"[44] के बारे में कहा कि यदि लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने के साथ–साथ उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहन दिया जाय, तो महिला शिक्षा का विकास चरमोत्कर्ष पर होगा। तीन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति की सर्वांगीणता, सामग्री एवं प्रक्रिया।

❖ **जैन, कमलेश (2014)** ने अपने आलेख "नारी सशक्तिकरणः कल, आज और कल"[45] में उल्लेख किया है नारियों की मनःस्थिति को समझना अति आवश्यक है। स्त्रियों की आकांक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण आज अधिक से अधिक स्त्रियाँ तनाव की शिकार होती जा रही हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के अनुसार पूरे विश्व में महिलाओं की सोच में समानता देखने को मिलती है। लेखक का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण ने महिलाओं को समाज में सशक्त होने के लिए अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

❖ **चट्टोपाध्याय, अरून्धती (2015)** ने अपने आलेख में "भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तिकरण"[46] में कहा है कि– स्त्रियों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा, रूढ़िवादिता प्राचीन परम्परा आदि है। स्त्रियों को अपने अधिकारों को जानने के लिए स्त्रियों तक योजनाओं का माध्यम होना अति आवश्यक है। स्त्रियों का अधिक से अधिक शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना अति

आवश्यक है। जब तक महिलायें जागरूक नहीं होंगी तब तक इन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी और शोषण की शिकार होती रहेंगी।

❖ **कुमार, नीरज (2007)** ने अपने आलेख में लिखा है कि "स्त्रियों के बेसिक मापदण्डों"[47] में सरकार ने काफी बदलाव किया है। स्वतंत्रता के बाद से आज की स्थिति में काफी बदलाव आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी से विकास हो रहा है। संविधान के 74वें संशोधन में यह देखने को मिला है कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हो रही है। लिंगभेद समाप्त करने के लिए सरकार काफी हद तक प्रयासरत है और सफलता भी प्राप्त कर रही हैं।

❖ **किशोर, राज (2011)** ने "जिन्होंने सम्भाली पढ़ाई लिखाई की कमान" [48] लेख में साक्षरता को दर्शाने की कोशिश की गई है। लेखक का कहना है कि सरकारी बूते पर सम्पूर्ण साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में लेखक ने कुछ महिला सरपंचों के शैक्षिक प्रयासों को जानने की कोशिश की है। कुछ महिला सरपंचों ने शैक्षिक महत्व को समझकर निरन्तर इसके विकास में योगदान दिया और कुछ महिला सरपंचों ने अपने–अपने गाँव या इलाके में शिक्षा प्रचार–प्रसार करने का व्यापक प्रयास कर रही हैं।

❖ **जावली, नन्दनी (2005)** ने अपने लेख "आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं पर पड़ते प्रभाव का विश्लेषण"[49] करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महिलाओं के संघर्ष को उदारीकरण प्रक्रिया ने अधिक बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए अवसर की कमी नहीं है, लेकिन इनके जीवनशैली को तनावपूर्ण बना देती है। इससे महिलाओं की मानसिक स्थिति और अवसर के बीच संघर्ष सा होता रहता है। इस संघर्षपूर्ण जीवन से एक महिला का निकलना अति आवश्यक है।

❖ **एलिजाबेथ (2004)** ने "वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के माध्यम में आने वाली बाधाओं का अध्ययन"[50] किया। अध्ययन स्वरूप पाया गया कि वंचित

वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का यदि तुलना किया जाय तो यह पाया जाता है कि इनकी स्थिति अभी भी प्रतिकूलता लिए हुए है। सामाजिक प्रभाव का असर वंचित वर्ग की बालिकाओं पर ज्यादा देखने को मिलता है। वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्राप्ति में अवरोधक मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भौतिक कारक हैं।

❖ **श्रीवास्तव, गौरी (2003)** ने "ग्रोथ इन हायर एजूकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया"[51] शोध के अध्ययन में पाया कि बालिकाएं उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में अपनी सहभागिता शुरू कर दी हैं। आज के समय में लड़कियां व्यावसायिक शिक्षा में बढ़–चढ़कर प्रवेश ले रही हैं। आज के समय में एम0 कॉम0, इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, चिकित्सा और अन्य पाठ्यक्रमों में बालिकायें इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रही हैं। ये सभी पाठ्यक्रम बालिकाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं।

❖ **श्रीवास्तव, माधवी (2002)** ने "रीवा जिले में उच्च शिक्षा के प्रगति का शोध अध्ययन"[52] किया जिसमें मुख्य उद्देश्य के रूप में महिला उच्च शिक्षा के मार्ग में अवरोध को लिया। महिला उच्च शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं की पहचान करना, पुरूष उच्च शिक्षा व महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उन्नति का सुझाव देना था। इन्होंने न्यादर्श के रूप में जिन बालिकाओं को लिया गया, उसमें से 50 बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थीं। कुछ बालिकायें ऐसी थीं जिन्होंने अधिस्नातक शिक्षा पूरी नहीं की। निष्कर्ष के अनुसार देखा गया कि रीवा जिले में महिला उच्च शिक्षा की गति बहुत धीमी है।

❖ **नायर, ऊषा (1991)** ने अपने शोध अध्ययन में "भारत में महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी एवं वृत्तिक शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने हेतु उपायों का अध्ययन"[53] किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सभी क्षेत्र में विकास को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना था। निष्कर्ष स्वरूप यह पाया गया कि भारतीय महिलाओं में नीतिगत विकास के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अनौपचारिक रूप से भी महिलायें विकास की ओर बढ़ रही हैं।

2.10 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का सारांशः—

सम्बन्धित शोध साहित्य के अध्ययन के अभाव में कोई भी शोध पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक शोधार्थी को सम्बन्धित साहित्य के बारे में ज्ञान न हो तब तक शोधार्थी का शोध व ज्ञान दोनों अधूरा है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधार्थी के लिए एक पथप्रदर्शक के रूप में काम करता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को अपने शोध कार्य के लिए आधार बनता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को शोध से सम्बन्धित विभिन्न आकल्प तैयार होता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वह अपने शोध कार्य को किस दिशा में पूर्ण करे। शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित अध्ययन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित समस्याओं पर पूर्व में हो चुके कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। शोधार्थी को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अपनी शोध समस्या को आगे किस दिशा में बढ़ाना है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को शोध विधि का आधार मिलता है।

शोधार्थी की शोध समस्या **"वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का स्त्री शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन"** है। शोधार्थी ने वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा या स्थिति से सम्बन्धित अध्ययन किया जिसमें स्त्री शिक्षा की दशा पर अनेकों शोध कार्य किये जा चुके हैं। पूर्व में हो चुके शोध कार्यों से शोधार्थी को स्त्री शिक्षा की दशा के बारे में जानकारी हुई। स्त्री शिक्षा की दशा को जानने के लिए, **द्विवेदी, अमित रत्न और ठाकुर, गोपाल कृष्ण (2020), सारथी, कुमारी (2020), बैरवा, मुकेश कुमार (2016), दिशा (2017), पाण्डेय, एम0आर0 (2017), बोनेला, गणपति, डॉ0 पी0 आरजू (2014), यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013), सिंह, मीता (2014), कम्बो, प्रेरणा (2005), त्रिपाठी, अनुराधा (2009), यादव, शशिकला (2013)** का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया कि वर्तमान समय में भी स्त्रियों की शिक्षा की दशा बहुत अच्छी नहीं है। जबकि आज के समय में स्त्री को पुरूष से कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन अभी भी शैक्षिक दृष्टि से स्त्रियों की दशा पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

स्त्री शिक्षा की दशा को जानने के लिए **सारथी, कुमारी (2020)** का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामस्वरूप यह देखा गया कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अहम है। समाज के लिए स्त्रियों की शैक्षिक दशा को सुधारना अति आवश्यक है। समाज के लिए स्त्री का स्वरूप, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल एवं बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। **बैरवा, मुकेश कुमार (2016)** ने बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन का अध्ययन सवाई माधोपुर जिले के सन्दर्भ में किया। इस शोध के अध्ययन स्वरूप पाया गया कि महिलाओं की शिक्षा की दशा पिछड़ेपन को इंगित करता है। **दिशा (2017)** के लेख में देखा गया कि भारत में महिला शिक्षा की समस्यायें एक विकट समस्या के रूप में उभर कर सामने आयी हैं। **यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013)** ने बालिका शिक्षा का अध्ययन बेसिक स्तर पर किया जिसमें यह देखने को मिला कि प्राथमिक स्तर पर भी बालिका शिक्षा की दशा बहुत अच्छी नहीं है। **सिंह, मीता (2014)** के अध्ययन स्वरूप पाया गया कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है। स्त्री–पुरूष को समानता का आधार देने के बावजूद भी अन्तर देखने को मिलता है। **कम्बो, प्रेरणा (2005)** ने मलीन बस्तियों में रहने वाले बालक–बालिकाओं के शैक्षिक स्वरूप का शोध किया जिसमें इनकी शिक्षा की स्थिति अति निम्न है। शैक्षिक अभाव के कारण ही ये लोग इस तरह जीवनयापन करने पर मजबूर हैं। **त्रिपाठी, अनुराधा (2009)** ने अपने शोध कार्य में भारत में स्त्री शिक्षा के बदलते आयाम का शोध कार्य किया। इस शोध कार्य में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि रूढ़िवादिता, शिक्षा के प्रति रूचि न होना, अज्ञानता, भेदभाव आदि कारक हैं जो शिक्षा की दशा को प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार इन सब शोध कार्यों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी स्त्री शिक्षा की दशा अच्छी नहीं है। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति स्त्रियों को जागरूक करने की जरूरत है। तभी स्त्री शिक्षा की दशा को सुधारा जा सकता है। अभी जो स्थिति स्त्रियों की शिक्षा का होना चाहिए वह प्राप्त नहीं है। इस प्रेरणा को स्त्रियों में ज्ञापित करने की जरूरत है।

शोधार्थी की शोध समस्या का दूसरा स्तर स्त्री शिक्षा की दिशा है। स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित अध्ययन शोधार्थी ने किया, जिसमें कुछ शोधकर्ताओं के शोध का अध्ययन किया गया। स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित शोध साहित्य का अध्ययन करने से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्त्री शिक्षा की दिशा को किस–किस रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्त्री शिक्षा की दिशा से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधार्थी के लिए पथ–प्रदर्शक का कार्य करती है। स्त्री शिक्षा की दिशा को जानने के लिए **श्रीवास्तव, रश्मि (2016), सलीम, मोहम्मद (2016), नायर, शैलजा वी0 (2014), शांतीलिन, एस0 (2014), गुप्ता, सत्येन्द्र (2013), महर्षि, शर्मा निम्मी (2013), कौर, रविन्दर, नागिन्दर और हरमन प्रीति (2013), जैन, नेहा (2011), चौहान, नीति (2011), दिवाकर, रजत (2010), द्विवेदी, किरन (2009), चट्टोपाध्याय, कमला देवी (2008)** का शोध अध्ययन किया। सभी ने किसी न किसी रूप में स्त्री शिक्षा की दिशा को समझने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

श्रीवास्तव, रश्मि (2016) के शोध अध्ययन करने पर परिणामस्वरूप देखने को मिला कि बालिका शिक्षा की दिशा अति पिछड़ापन लिए हुए है और इस पिछड़ेपन का कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण को मुख्य कारण के रूप में पाया गया।

सलीम, मोहम्मद (2016) के शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में स्त्रियों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा से स्त्रियों की शैक्षिक दिशा को अग्रसर करने के लिए उच्च शिक्षा की अति आवश्यकता है।

नायर, शैलजा वी0 (2014) के शोध अध्ययन का निष्कर्ष है कि स्त्री और पुरूष के साथ समानता का व्यवहार होता है। यही समानता स्त्री की दिशा को तय करती है। स्त्री और पुरूषों की शैक्षिक दृष्टिकोण को समान आकार दिया गया है। नायर जी का कहना है कि अहमदाबाद की बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं स्त्री शिक्षा को दिशा प्रदान कर रही हैं, जिससे स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। यह शोध स्त्रियों की दिशा को दर्शाता है।

शांतिलिन, एस (2014) के शोध अध्ययन करने पर यह देखने को मिला कि महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके कारण महिला शिक्षा को दिशा मिल रही है। महिला सशक्तिकरण इसका एक जीवंत उदाहरण है। शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की दिशा तय करने के कार्य किये जा रहे हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्त्रियों या महिलाओं को दिशा प्रदान की जा रही है।

गुप्ता, सत्येन्द्र (2013) ने बुन्देलखण्ड के सन्दर्भ में शोध कार्य किया जिसके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस जिले में प्रत्येक वर्ष एक शैक्षिक संस्था की स्थापना की गयी जिसका लाभ बालक और बालिकाओं की दिशा तय कर रहा है। यहाँ पर शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं।

महर्षि, शर्मा निम्मी (2013) ने अपने शोध में महिलाओं में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इस शोध अध्ययन में यह देखने को मिला कि स्त्रियों को कानूनी अधिकारों का उपयोग करने की दिशा प्रदान की गयी है। स्त्री–पुरूष को कानून में समान अधिकार प्राप्त है। इस शोध में स्त्रियों को चहारदीवारी से बाहर निकलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा दिखायी गयी।

जैन, नेहा (2011) के लघु शोध अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं की नामांकन संख्या बढ़ रही है। सरकार द्वारा बालिकाओं के प्रति इस योजना को चलाकर बालिकाओं की शिक्षा की दिशा प्रशस्त की है।

चौहान, नीति (2011) के शोध का अध्ययन करने पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन की स्थिति काफी बेहतर हुई है।

दिवाकर, रजत (2010) के शोध अध्ययन से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रति बालिकाओं की प्रवृत्ति बढ़ी है।

द्विवेदी, किरन (2009) के शोध अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियाँ व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रदर्शित कर रही हैं।

चट्टोपाध्याय, कमला देवी (2008) के शोध अध्ययन का परिणाम यह है कि स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में स्थान प्राप्त होना चाहिए। स्त्रियों की दिशा चारों तरफ तय की जाय। इस प्रकार इन सबके शोध का अध्ययन करने से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी ने स्त्री शिक्षा की दिशा को किसी न किसी रूप में अग्रसारित करने का प्रयास किया है। इससे शोधार्थी को स्त्री शिक्षा की दिशा पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ।

शोधार्थी के शोध समस्या का तीसरा स्तर स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित है। शोधार्थी ने स्त्री शिक्षा के विकास से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधार्थी को स्त्री शिक्षा के विकास के बारे में जानने का अवसर मिला। कुछ शोध–कर्ताओं ने स्त्री शिक्षा के विकास पर शोध कार्य किया है। स्त्री शिक्षा के विकास को जानने के लिए **कौशिक, विभा (2016), सिंह, कुमुद (2016), नसीमा, अख्तर (2016), नाथ, विनीता (2015), सुल्तान, रजिया (2013), पाण्डेय (2013), शेखर (2014), शर्मीला, एन0 अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013), एम, जजीत और एम0 जयन्ता (2012), चौहान, सी0 पी0 एस0 (2011), सिंह, रघुराज (2009), गुप्ता, कोमल (2008), रामचन्द्रन, विमला (2016), जैन, कमलेश (2014), चट्टोपाध्याय, अरून्धती (2012), कुमार, नीरज (2007), किशोर, राज (2011), जावली, नन्दनी (2005)** का शोध अध्ययन किया। इन सभी शोधकर्ताओं ने स्त्री शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने शोध की समस्या लिया। सभी शोधकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में स्त्रियों के विकास के बारे में शोध अध्ययन किया।

कौशिक, विभा (2016) ने अपने शोध में यह बताने का प्रयास किया है कि बालिका सशक्तिकरण एक रचनात्मक प्रयास नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण बालिका के विकास से सम्बन्धित है। इन्होंने ने अपने शोध में करके सीखने पर जोर दिया है।

सिंह, कुमुद (2016) ने अपने शोध में महिला सशक्तीकरण के राजनीति शास्त्रीय विश्लेषण किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार भी केन्द्रीय सरकार के पद–चिन्हों को लेकर महिला को सशक्त और विकसित करने के कार्य में जुड़ी हुई है।

नसीमा, अख्तर (2016) ने जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा के वैयक्तिक विकास का अध्ययन किया जिसके परिणामस्वरूप यह पाया गया कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास में महिला शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

नाथ, विनीता (2015) ने महिला शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा के विकास दर को बढ़ाना है।

सुल्तान, रजिया (2015) ने भी दारांग जिले में स्त्री शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा दर को गिरने से रोकना था।

पाण्डेय (2013) ने अपने लेख में, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सशक्त करने का प्रयास किया।

शेखर (2014) ने अपने लेख में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण उत्कृष्ट किया है।

शर्मीला, एन0 अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013) ने महिला शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में वर्णन करते हुए कहती हैं कि महिला देश की आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती है। महिला शिक्षा का विकास अति आवश्यक है।

एम0, जजीत और एम0 जयन्ता (2012) ने अपने पत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण और शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया कि महिलाओं को अपने विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना अति आवश्यक है।

चौहान, सी0 पी0 एस0 (2011) ने अपने पत्र में महिलाओं को बराबरी के भागीदारी का वर्णन किया है।

सिंह, रघुराज (2009) ने वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के प्रति अध्ययन करके उनकी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया।

गुप्ता, कोमल (2008) ने आवासीय विद्यालयों में रह रही बालिकाओं के उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया।

रामचन्द्रन, विमला (2016) ने भी बालिका शिक्षा के प्रति भारतीय परिदृश्य के बारे में अपने आलेख में वर्णन किया। इसमें महिलाओं को लैंगिक समानता के बारे में जागरूक किया गया।

जैन कमलेश (2014) ने अपने आलेख में वर्णन किया कि स्त्रियों की मनःस्थिति को समझना अति आवश्यक है। अपनी इसी दबी स्थिति के कारण महिलायें तनाव का शिकार हो जा रही हैं।

चट्टोपाध्याय, अरून्धती (2012) ने अपने आलेख में लिखा है कि स्त्रियों को अपने अधिकारों का पता नहीं है, जिसका मुख्य कारण अशिक्षा है।

कुमार, नीरज (2007) ने अपने लेख में लिखा है कि स्त्रियों के बेसिक मापदण्डों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। स्वतंत्र भारत की स्थिति बेहतर है।

किशोर, राज (2011) ने अपने लेख में महिला साक्षरता दर को दर्शाने की कोशिश की है। साक्षरता दर में सभी का सहयोग आवश्यक है।

जावली, नन्दनी (2005) ने अपने शोध अध्ययन में बालिकाओं की उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में स्त्री शिक्षा की दशा, दिशा व विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षित महिला ही समाज के उत्थान में अपना पूर्ण योगदान दे सकती है। महिलाओं को इसके लिए स्वयं आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा परिवार से मिलने की जरूरत है। परिवार के प्रोत्साहन पर बालिका शिक्षा की दर बढ़ सकती है। हम सभी को मिलकर महिला शिक्षा की दशा को सुधारने की आवश्यकता है।

***

तृतीय अध्याय

===

शोध अभिकल्प (Research Design)

3.1 प्रस्तावना (Introduction):-

किसी भी शोध की सफलता उसके व्यवस्थित नियोजन (Planning) एवं कार्य–प्रणाली (Action) पर निर्भर करता है। किसी भी शोधार्थी के लिए केवल शोध सम्बन्धी उपकरणों एवं विधियों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जब तक वह पूरी तरह से यह जान ले कि किस प्रकार उपकरण उसके शोध कार्य के लिए उपयोगी है और उपकरणों की विशेषताएँ व सीमाएँ क्या है। शोध कार्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता व मानकीकरण है या नहीं, वस्तुनिष्ठता जैसे प्रत्येक पक्ष का ज्ञान अति आवश्यक है। शोध अभिकल्प शोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक योजना (Plan) या रूपरेखा (Outline) है। एक शोधार्थी में उपकरणों के निर्माण, उपयोग तथा प्रदत्तों के विश्लेषण के कौशल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शोध अभिकल्प शोधार्थी को शोध के वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करता है।

शोधार्थी अपनी समस्या के अध्ययन के लिए अज्ञात व नवीन तथ्यों के अन्वेषण के लिए शोध से सम्बन्धित विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकता है। सफल शोध परिणाम के लिए उपकरणों का विशेष महत्व है। शोधार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपकरण का चयन करता है। विभिन्न उपकरणों में से अपने शोध कार्य के लिए उपयुक्त उपकरण का चयन करके शोध उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस कार्य की पूर्ति में शोध

निर्देशक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समुचित शोध विधि के चयन में अधिकतम सावधानी से प्रमाणिक निष्कर्ष प्राप्त होंगे।

3.2 शोध के उद्देश्य (Aim of Research):-

किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। दिशा निर्देश ही लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उद्देश्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। शोध समस्या के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शोधार्थी प्रयासशील होता है। उद्देश्य के द्वारा विषयों का अवबोधन करते हैं। उद्देश्यों के माध्यम से शोधार्थी शोध के परिणाम तक पहुँचने में प्रयासरत रहता है।

3.3 शोध की परिकल्पनाएँ (Hypothesis of Research):-

परिकल्पना शोध की आधारशिला होती है। परिकल्पना शोध समस्या की अस्थायी समाधान (Tantative Solution) होती है। स्पष्ट रूप से कहें तो किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जाँचनीय उत्तर ही प्राकल्पना या परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को शाब्दिक अर्थ में 'पूर्व चिन्तन' के रूप में लिया जाता है। परिकल्पना के अभाव में शोधार्थी के लिए शोध सम्बन्धी तथ्यों का एकत्रीकरण करना कठिन है। शोधार्थी समस्या से सम्बन्धित कार्य–कारण भाव की कल्पना एवं तद्नुरूप सिद्धान्त निर्मित करने की चेष्टा करता है, जिसके आधार पर किसी पुष्ट निष्कर्ष पर अग्रसर हुआ जा सके। एक अच्छी परिकल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए–

- ❖ परिकल्पना को जाँचनीय होना चाहिए। (Hypothesis should be testable)
- ❖ अध्ययन किये जाने वाले क्षेत्र की अन्य परिकल्पनाओं (Hypothesis) का बनायी गयी परिकल्पना के साथ तालमेल (Hormony) होना चाहिए। (Formulated Hypothesis should be general hormony with other hypothesis of the held)
- ❖ परिकल्पना मितव्ययी होना चाहिए। (Hypothesis should be persimonious)

- परिकल्पना में तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होना चाहिए। (Hypothesis should have the trail of logical unity and comprehensiveness)
- परिकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धान्त एवं तथ्यों से सम्बन्धित होना चाहिए। (Hypothesis should be related to the existing body of theory and facts)
- परिकल्पना को सम्प्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। Hypothesis should be conceptually clear)

3.4 शोध विधि (Research Method):-

शोध की विधि सर्वेक्षण प्रकार की है जिसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से जानकारी एकत्रित करके वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा एवं दिशा के बारे में अध्ययन करके उनके विकास का वर्णन किया जाता है। सर्वेक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'सर्वे और वेयर'। जिसका अर्थ है ऊपर देखना या निरीक्षण करना है। इस विधि का प्रयोग सामान्य सामाजिक व शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। जब शोधार्थी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कम समय में करना चाहता है, तब सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।

करलिंगर के अनुसार, **"सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक, वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि है जो छोटी तथा बड़ी जनसंख्याओं का अध्ययन किये गये सदस्यों के द्वारा सापेक्ष घटनाओं में अन्तर सम्बन्धों तथा सामाजिक एवं वैज्ञानिक चरों के माध्यम से किया जाता है।"**[54] वर्तमान में विद्यमान तत्वों का अध्ययन तथा व्याख्या करना सम्बन्धित अध्ययन कहलाता है।

सर्वेक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के शोध की महत्वपूर्ण तकनीकी है जो स्वयं में विश्वसनीय व तर्कानुसार है। सर्वेक्षण उपागम प्रदत्त को एकत्रित करने और प्रदत्त विश्लेषण की विधि है। सर्वेक्षण शोध से सम्बन्धित मापनी से किया जाता है, जिसमें कई क्षेत्रों से प्रदत्त एकत्रित किये जाते हैं। यह प्रदत्त संरचित और प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार से उपलब्ध किया जाता है। शोधार्थी का उद्देश्य सामान्यतया उस जन समुदाय का वर्णन करने से है जिसका अध्ययन कर रही है।

3.4.1 सर्वेक्षण अनुसंधान के उद्देश्य (Aim of Servey Research)

- मानवीय व्यवहारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
- शैक्षिक नियोजन में वैज्ञानिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उपयोग करना।
- मानवीय व्यवहार के दिशा व दशा का अध्ययन करना।
- सामाजिक वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण तथा भावी नियोजन परिवर्तन में सहायता प्रदान करना।
- भावी अनुसंधान के प्राथमिक स्रोतों की प्राप्ति में सहायता करना।

3.5 शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरणः—

शोध प्रक्रिया में चरों का परिभाषीकरण अति महत्वपूर्ण बिन्दु है। परिभाषीकरण के द्वारा अध्ययन के बिन्दु को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तुत शोध में स्त्री शिक्षा का अर्थ वर्तमान में जो शिक्षा स्त्रियों के लिए उपलब्ध है एवं जो शिक्षा उनको दी जा रही है, का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया हैः—

3.5.1. स्त्री शिक्षा की दशाः— वर्तमान समय में जो शिक्षा स्त्रियों को दी जा रही है, उसकी स्थिति का अध्ययन करना।

3.5.2. स्त्री शिक्षा की दिशाः— वर्तमान समय में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्त्रियों को दी जाने वाली शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

3.5.3. स्त्री शिक्षा के विकासः— वर्तमान समय में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्त्रियों को जो शिक्षा दी जा रही है, उसके विकास का अध्ययन करना।

3.5.4. बालिका सशक्तिकरणः— सशक्तीकरण से तात्पर्य 'शक्ति से युक्त' होना है। अर्थात बालिकाओं को सशक्त बनाकर उनको समाज में समान अवसर राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण के समान 'रूप से भागीदारी और आत्मनिर्भरता से है।

3.6 अध्ययन के चर (Variable of Study):-

प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुण को चर (Variable) कहा जाता है। चर वह विशिष्ट लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा प्रत्येक ईकाई में किसी माप के आधार पर विभिन्नता होती है तथा परिवर्तित होती रहती है। शोध के आधार पर चरों की भूमिकायें बदलती रहती हैं। चरों के भूमिका का निर्धारण परिकल्पना द्वारा होता है। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध में चर का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। चर वह है जो समय और परिस्थति के अनुसार बदलता रहता है। प्रस्तुत शोध में दो प्रकार के चरों का अध्ययन किया जा रहा है।

3.6.1. स्वतंत्र चर (Independent Variable):

(i) स्त्री शिक्षा की दशा।

(ii) स्त्री शिक्षा की दिशा।

3.6.2. आश्रित चर (Dependent Variable):

(i) स्त्री शिक्षा के विकास।

अर्थात प्रस्तुत शोध में स्त्री शिक्षा की दशा व दिशा को स्वतंत्र चर के रूप में अध्ययन के लिए लिया गया है और स्त्री शिक्षा के विकास को आश्रित चर के अध्ययन के रूप में लिया गया है।

3.7 शोध की जनसंख्या (Population of Research):-

प्रत्येक शोध के लिए जनसंख्या का निर्धारण आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या से प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। इकाइयों के समूचे समूह जिससे न्यादर्श का सम्पूर्ण

प्रतिनिधित्व होता है और चर के मान निकालने में अभीष्ट है, उसे जनसंख्या (Population) कहते हैं।

प्रस्तुत शोध में लखनऊ जनपद में स्थिति विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं स्वापित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार लखनऊ जनपद के विभिन्न विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में अध्ययनरत महिला विद्यार्थी इस शोध के जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

3.8 शोध के न्यादर्शन (Sampling of Research):-

शोधार्थी अपने शोध के लिए जनसंख्या (Population) से निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों या वस्तुओं का चयन (Selection) कर लेता है। इस चयनित संख्या (Selected Number) को ही व्यवहारपरक शोध (Behavioural Research) में प्रतिदर्श या न्यादर्श (Sampling) कहा जाता है तथा प्रतिदर्श चयन करने की प्रविधि को प्रतिदर्शन (Sampling) कहा जाता है।

करलिंगर के अनुसार, "किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है।"[55]

न्यादर्श मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है–

(i) सम्भावित न्यादर्शन (Probability Sampling)

(ii) असम्भावित न्यादर्शन (No-Probability Sampling)

सम्भावित न्यादर्श के प्रमुख तीन प्रकार हैं:–

(i) साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन (Simple random sampling)

(ii) क्षेत्र या गुच्छ न्यादर्शन (Area or cluster sampling)

(iii) स्तरित यादृच्छिक न्यादर्शन (Stratified random sampling)

असम्भावित न्यादर्श के कई प्रकार हैं जो निम्न हैं–

(1) कोटा न्यादर्शन (Qota sampling)

(2) प्रासंगिक न्यादर्शन (Accidental or incidental sampling)

(3) उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन (Purposive sampling)

(4) क्रमबद्ध न्यादर्शन (Systematic sampling)

(5) हिमकन्दुक न्यादर्शन (Snowball sampling)

(6) संतृप्ति न्यादर्शन (Saturation samping)

(7) घनीभूत न्यादर्शन (Dense Sampling)

न्यादर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समूह पर लागू किया जाता है। लखनऊ जनपद के विभिन्न सरकारी व निजी विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक स्तर के 400 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जो अपने जनसंख्या का सही से प्रतिनिधित्व करते हों। समग्र रूप से छोटे होते हुए भी इसमें समूह के समस्त गुण विद्यमान होते हैं।

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिक–न्यादर्श–प्रतिचयन विधि का अनुसरण करते हुए विभिन्न सरकारी व निजी विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विभिन्न महिला विद्यार्थियों को विभिन्न मापदण्डों के आधार पर चयन किया गया है।

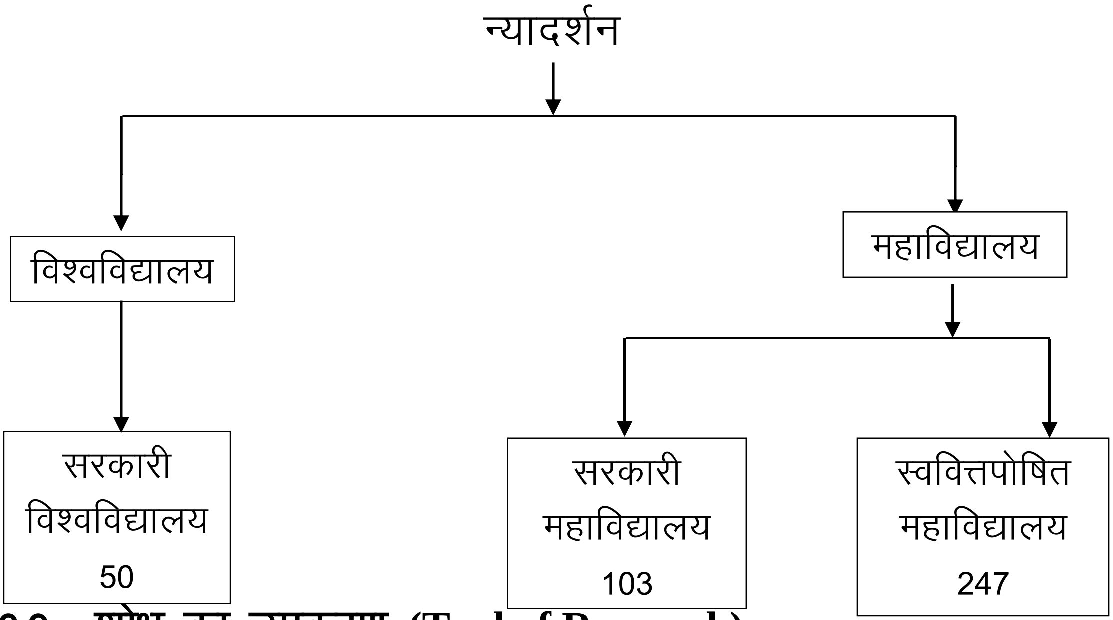

3.9 शोध का उपकरण (Tool of Research):-

प्रस्तुत शोध के लिए मानकीकृत उपकरण (Tool) का प्रयोग किया गया है। मानकीकृत उपकरण के उपायों के आधार पर वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा की

दिशा एवं दशा का अध्ययन किया गया है। इस शोध में डॉ0 देवेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं डॉ0 अल्पना सिंह द्वारा मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है। इस उपकरण के द्वारा मापनी के 7 स्तर पर स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा का अध्ययन किया गया है जो निम्नवत् है:–

1. अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व (Power and Entitlements):

इस मापनी में घर के अन्दर व बाहर महिलाओं के विभिन्न अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं। जैसे– घर के निर्णयों में अपना विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता व निर्णय लेने का अधिकार, समयानुसार परिस्थिति में बदलाव करने की स्वतंत्रता, अपने अनुकूल जीवन के आवश्यक तथ्यों में चयन का अधिकार इत्यादि।

2. स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता (Autonomy and Self-Reliance):

इस मापनी के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य करने की स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं। जैसे– सामाजिक संगठनों में कार्य करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, अपने मित्रों व अन्य लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने की स्वायत्तता, परिवार में आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने की आत्मनिर्भरता इत्यादि।

3. निर्णय प्रक्रिया (Decision Making):

इस मापनी के अन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्र, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे सेवा एवं आर्थिक खर्च करने जैसे निर्णय से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं।

4. भागीदारी (Participation):

इस मापनी के अन्तर्गत गलत मूल्यों के विरूद्ध आवाज उठाना, आय व खर्च में भागीदारी, हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाना व दूसरे परिवार के सदस्यों को उचित सलाह देना से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं।

5. क्षमता विकास (Capacity Building):

इस मापनी के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों का प्रबन्ध, आर्थिक ढाँचे का विकास, गतिशीलता विकसित करना है। राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक तथा विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं।

6. सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता (Social, Political and Legal Awareness):

इस मापनी के अन्तर्गत सामाजिक, राजनीतिक व कानून से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं।

7. सूचना माध्यमों की उपयोगिता (Exposure to Information Media):

इस मापनी के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय, ग्राहक अधिकार व बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं।

3.10 प्रदत्तों का एकत्रीकरण (Collection of Data):-

डाटा एकत्रीकरण के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों से आज्ञा लेकर सम्बन्धित विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित करके उनको अपने शोध के बारे में विस्तृत जानकारी देकर शोध उपकरण भरने को कहा गया। इसके लिए महिला विद्यार्थियों को शोध उपकरण भरने के बारे में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया एवं शोधार्थी द्वारा समय–समय पर सहयोग करके विद्यार्थियों से शोध उपकरण को भली–भांति पूरा कराया गया।

3.11 प्रदत्तों की प्रकृत्ति (Nature of Data):-

शैक्षिक अनुसंधानों का सम्बन्ध समूह के गुणों से होता है। गुणों का मापन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों रूप में किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदत्तों की प्रकृति गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों रूप में प्रस्तुत की गई है, जिससे परिमाणात्मक रूप को प्राप्त किया जा सके।

3.12 प्रदत्तों का विश्लेषण (Analysis of Data):-

संकलित किये गये प्रदत्त प्रारम्भिक रूप में बड़े जटिल तथा बिखरे होते हैं। जिन्हें सार्थक बनाने तथा विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व से एक रूपरेखा प्रदान करना आवश्यक होता है। प्रदत्तों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही प्रदत्तों का विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण प्रक्रिया में शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों का सम्पादन, वर्गीकरण, सारणीकरण एवं तत्पश्चात् प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषण से शोध प्रदत्तों की व्याख्या करना आसान हो जाता है।

3.13 शोध में प्रयुक्त उपकरण (Equipment used in research):-

प्रयुक्त शोध अध्ययन में शोधार्थी ने अधोलिखित उपकरण का प्रयोग किया–

- किशोर बालिका सशक्तिकरण मापनी डॉ0 देवेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं डॉ0 अल्पना सिंह।
- किशोर बालिका सशक्तिकरण मापनी के सात बिन्दु।
- अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व।
- स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता।
- निर्णय प्रक्रिया।
- भागीदारी।

- क्षमता विकास।
- सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी जागरूकता।
- सूचना माध्यमों की उपयोगिता।

3.14 सांख्यिकीय प्रविधियाँ (Statistical Techniques):-

शैक्षिक अनुसंधानों में सांख्यिकीय विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करके जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, वह विश्वसनीय, अर्थपूर्ण व प्रामाणिक होती है इसमें व्यक्तिनिष्ठता की सम्भावना समाप्त हो जाती है। शोधार्थी शोध कार्य में प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है–

(i) एनोवा या एफ परीक्षण (ANOVA *OR* F-Test)

(ii) टी परीक्षण (T-Test)

(iii) मध्यमान (Mean)

(iv) प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation)

(i) एनोवा या एफ परीक्षण (ANOVA OR F-test)

ANOVA एक विस्तृत रूप है– Analysis of Variance का जिसका हिन्दी रूपान्तरण प्रसरण विश्लेषण है। ANOVA ऐसा सांख्यिकी परीक्षण (Statistical test) है जिसके द्वारा शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूहों के माध्यों के अन्तर की सार्थकता की जाँच करता है। इस सांख्यिकी के प्रतिपादन आर0ए0 फिशर (R.A. Fisher) द्वारा किया गया। इसे F परीक्षण भी कहते हैं। जब दो समूहों से अधिक समूहों की सार्थकता (Significance) की जाँच की आवश्यकता होती है तो हम ANOVA या F परीक्षण का प्रयोग करते हैं। वैसे तो t परीक्षण से भी काम चल सकता है लेकिन दो से अधिक समूह की जाँच के लिए अलग–अलग t परीक्षण को प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें शोधार्थी को अधिक समय और श्रम लगेगा।

ANOVA को स्वतंत्र चर के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है।

(i) साधारण प्रसरण विलेषण (simple analysis of variance)

(ii) जटिल प्रसरण विश्लेषण (complex analysis of variance)

साधारण ANOVA में प्रसरण को दो भागों में बाँटा गया है–

(i) वाह्य प्रसरण (Between or among variance)

(ii) आन्तरिक प्रसरण (Within variance)

'वाह्य प्रसरण' तथा 'भीतरी प्रसरण' के अनुपात को F अनुपात कहा जाता है। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है–

$$F = \frac{\text{Among variance}}{\text{within variance}} \quad \text{or} \quad \frac{\text{Larger variance}}{\text{Smaller variance}}$$

(ii) टी परीक्षण (T-Test)

सामान्यतः t परीक्षण या अनुपात (t test or ratio) दो माध्यों (means) के बीच के अन्तर (difference) की सार्थकता (Significance) की जाँच करने का एक महत्वपूर्ण प्राचलिक सांख्यिकी (Parametric Statistic) है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रयोग सिर्फ माध्यों के अन्तर की सार्थकता की जाँच करने में किया जाता है वास्तविकता तो यह है कि इसका प्रयोग अन्य सांख्यिकी जैसे पियरसन आर (Pearson R) अंक–द्विपंक्तिक सहसम्बन्ध (Point-biserial R) कोटि अन्तर सहसम्बन्ध (Rank-difference method) आदि की सार्थकता की जाँच करने में भी किया जाता है।

वास्तव में t अनुपात (t ratio) दो माध्यों के अन्तर तथा इस अन्तर के मानक त्रुटि (standrd error) का एक अनुपात होता है। t अनुपात की व्याख्या सबसे पहले डब्लू0 एस0 गैसेट (W.S. Gosset) ने किया। बाद में फिशर ने इसे काफी विकसित किया t परीक्षण को इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैंः–

$$t = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\theta_D}$$

यहाँ, t = टी परीक्षण (t Test)

$\overline{x_1}$ = एक प्रतिदर्श का माध्य (Mean of First Sample)

$\overline{x_2}$ = दूसरे प्रतिदर्श का माध्य (Mean of Second Sample)

θ_D = दो प्रतिदर्शों को माध्यों के बीच के अन्तर की मात्रक त्रुटि (Standard error of the difference between two sample means)

(iii) मध्यमान (Mean)

केन्द्रीय प्रवृत्ति का यह सबसे सरल परन्तु सबसे उपयोगी प्रमाण या माप है। यह किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान है जहाँ से प्राप्तांकों का वितरण दो समान भागों में बंट जाता है। इसे संकेत के रूप में M से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने की विधि अधोलिखित हैं–

सूत्रः– (i) मध्यमान, $(M) = \frac{\Sigma x}{N}$

जहाँ Σx = प्राप्तांकों का योग

N = प्राप्तांकों की संख्या

(ii) मध्यमान, $(M) = \frac{\Sigma fx}{N}$

जहाँ f = वर्ग की आवृत्ति

x = वर्ग का मध्य बिन्दु

Σfx = विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व मध्य बिन्दुओं का गुणा का योग

N = कुल आवृत्ति

(iii) मध्यमान, (M) = A.M. = $\frac{\Sigma fd}{N}$

जहाँ A.M. = कल्पित मध्यमान

fd = मध्यमान अन्तर

M = कुल आवृत्ति।

(iv) प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation)

मानक विचलन विचलनशीलता के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला गुणांक है। सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिये गये विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि सभी प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन या अन्तर लेकर इन अन्तरों का वर्ग करके जोड़ लें तथा इन योगफल को प्राप्तांकों की संख्या से भाग करके प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात कर लें तो मानक विचलन प्राप्त हो जायेगा। मानक विचलन का मान सदैव धनात्मक होता है। मानक विचलन को S.D. or σ (ग्रीक अक्षर सिग्मा) से व्यक्त करते हैं। अतः

मानक विचलन $S.D. = \sqrt{\frac{\Sigma(X-M)^2}{N}}$

जहाँ x = प्राप्तांक

M = मध्यमान

$\Sigma(X-M)^2$ = प्राप्तांकों का मध्यमान से लिये विचलनों के वर्गों का योग

N = प्राप्तांकों की कुल संख्या

क्योंकि सुविधा के लिए मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों अर्थात X-M को X अक्षर से लिखते हैं, इसलिए मानक विचलन के सूत्र को दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है–

मानक विचलन, $\theta = \frac{\Sigma X^2}{N}$

***

चतुर्थ अध्याय

==

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शैक्षिक अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना आवश्यक है। आंकड़ों का विश्लेषण शोध अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया है। तत्पश्चात् आंकड़ों का व्याख्या किया गया है।

तालिका संख्या 4.1

स्थानीय आधार पर न्यादर्श का वितरण

स्थानीय	आवृत्ति	प्रतिशत
शहरी	189	47.3
मेट्रो शहरी	135	33.8
ग्रामीण	76	19.0
कुल	400	100.00

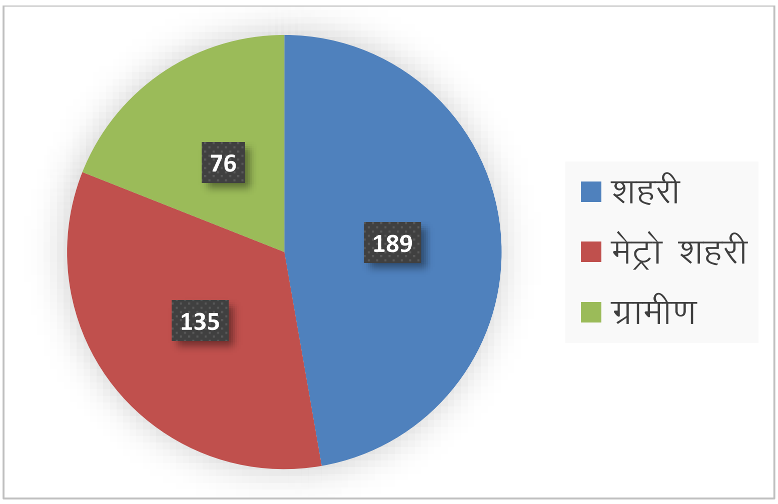

चित्र संख्या–4.1

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन में कुल स्थानीय आधार पर बालिका विद्यार्थियों की संख्या 400 है। जिसमें 189 शहरी विद्यार्थियों की संख्या है जो 47.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार 135 मेट्रो शहरी विद्यार्थियों की संख्या है जो 33.8 प्रतिशत है। ग्रामीण विद्यार्थियों की संख्या 76 है जो 19 प्रतिशत है। इस प्रकार स्थानीय आधार पर न्यादर्श का वितरण किया गया है जो पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानीयता के आधार पर न्यादर्श के वितरण की संख्या कहीं ज्यादा तो कहीं कम है।

तालिका संख्या 4.2

पाठ्यक्रम के आधार पर न्यादर्श का वितरण

पाठ्यक्रम	आवृत्ति	प्रतिशत
बी0 एड0	237	59.3
डी0एल0एड0	31	7.8
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	6.5
बी0 काम0	3	.8
बी0ए0	103	25.8
कुल	400	100.00

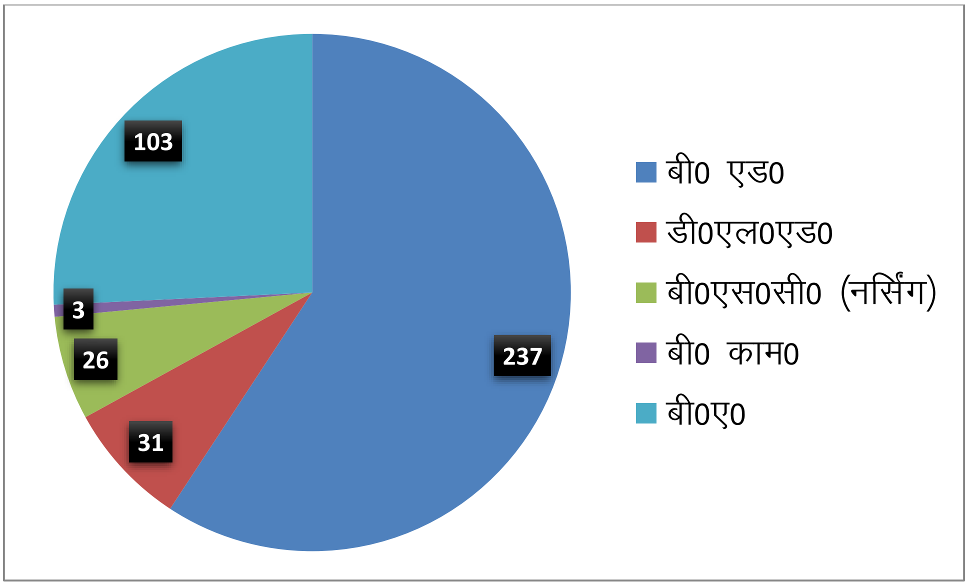

चित्र संख्या–4.2

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन में पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की संख्या 400 है। जिसमें बी0एड0 पाठ्यक्रम में 237 विद्यार्थी हैं जो 59.3 प्रतिशत है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है जो 7.8 प्रतिशत है। बी0एस0सी0 में विद्यार्थियों की संख्या 26 है जो 6.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार बी0काम0 में विद्यार्थियों की संख्या 103 है जो 25.8 प्रतिशत है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या 103 है जो 25.8 प्रतिशत है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो यादृच्छिक विधि (Random Method) से लिया गया है।

तालिका संख्या 4.3

परिवार के आधार पर न्यादर्श का वितरण

परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
एकल	212	53.0
संयुक्त	188	47.0
कुल	400	100.0

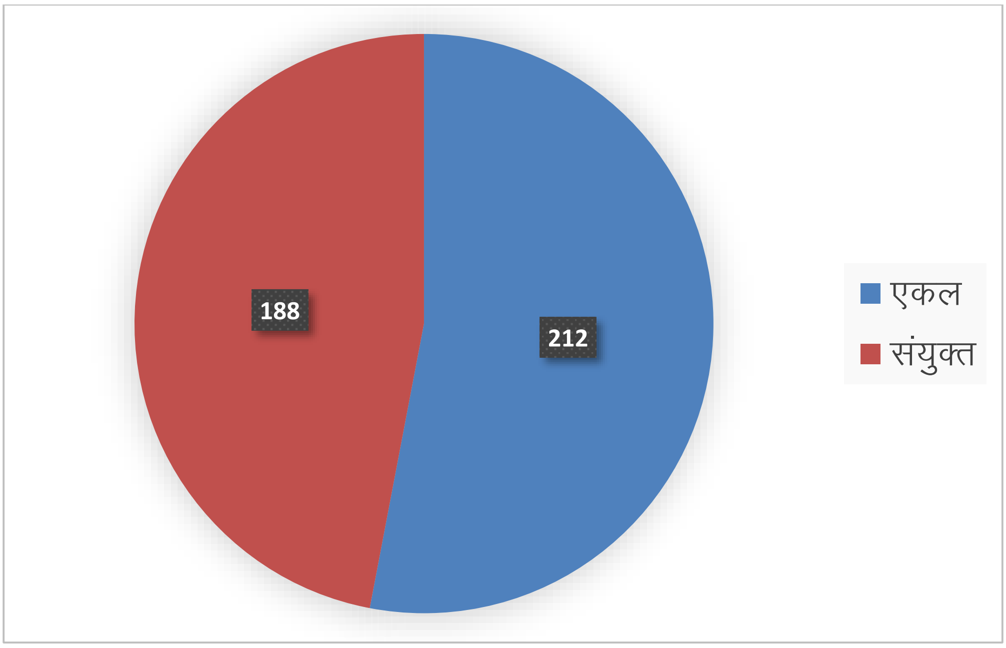

चित्र संख्या–4.3

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन में परिवार के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की संख्या 400 है। जिसमें एकल परिवार की संख्या 212 है जो 53.0 प्रतिशत है। संयुक्त परिवार की संख्या 188 जो 47.0 प्रतिशत है। इस सारणी से ज्ञात होता है कि एकल परिवार की संख्या संयुक्त से ज्यादा है। यह परिवार की संख्या संयुक्त से ज्यादा है। यह परिवार की संख्या वर्तमान समय में रहने के आधार पर दर्शाता है।

परिकल्पना 1– वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.4

एनोवा

दशा	वर्गों का योग	स्वतंत्रता के अंश	मध्य वर्ग	f अनुपात	सार्थकता
वर्गों का मध्य	706.524	2	353.262	3.715	सार्थक अन्तर है
वगों के अन्दर	37755.974	397	95.103		
योग	38462.497	399			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर सार्थक अन्तर है। तीनों स्थानों के वर्गों के मध्य वर्गों का योग 706.524 है तथा स्वतंत्रता के अंश 2 है। मध्य वर्ग 353.262 है। इसी प्रकार वर्गों के अन्दर योग 37755. 974 तथा स्वतंत्रता के अंश 397 एवं मध्य वर्ग 95.103 है। वर्गों के मध्य तथा वर्गों के अन्दर F अनुपात 3.715 है जो कि .05 एवं .01 दोनों ही सार्थकता के स्तरों पर सार्थक है। इसका अर्थ यह है कि रहने के स्थान के आधार पर बालिका विद्यार्थियों में अन्तर है। सारणी से स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों में अन्तर है। बालिका विद्यार्थियों में रहने का स्थान दशा को प्रभावित करता है। सभी वर्गों का योग 38462.497 तथा स्वतंत्रता के अंश 399 है।

परिकल्पना 1.1– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी और मेट्रो क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.5

क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-322)	सार्थकता
शहरी	189	87.69	9.144	1.840	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है
मेट्रो	135	89.82	11.004		

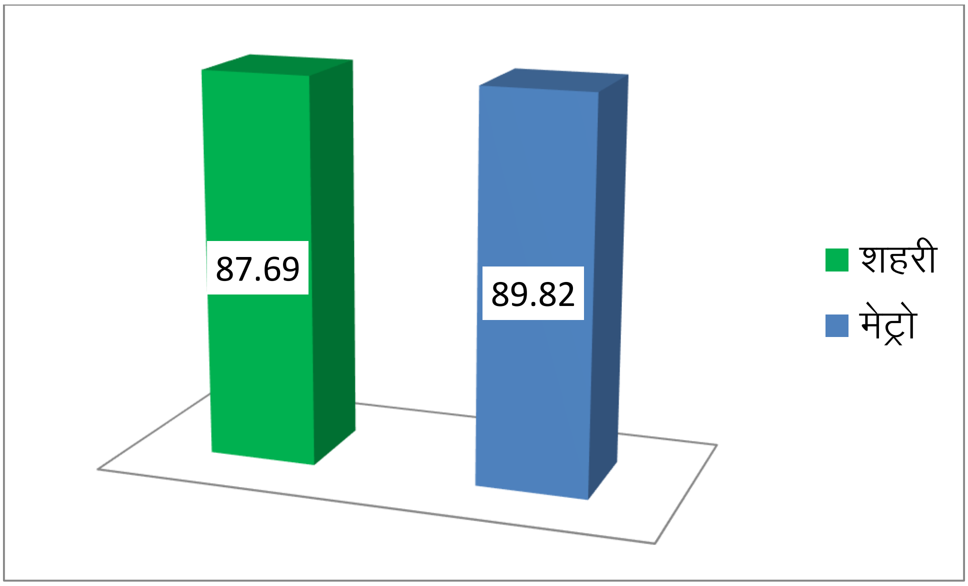

चित्र संख्या–4.4

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बालिका विद्यार्थियों की दशा में शहरी और मेट्रो क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं है। शहरी क्षेत्र की संख्या 189 तथा मेट्रो की संख्या 135 है। शहरी क्षेत्र का मध्यमान 87.69 है मेट्रो क्षेत्र का मध्यमान 89.82 है। शहरी क्षेत्र का मानक विचलन 9.144 है तथा मेट्रो क्षेत्र का मानक विचलन 9.144 है तथा मेट्रो क्षेत्र का मानक विचलन 11.004 है। दोनों क्षेत्रों का टी–मूल्य 1.840 है जो . 05 एवं .01 स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी और मेट्रो बालिका विद्यार्थियों की दशा में क्षेत्र के आधार पर अन्तर नहीं है। अर्थात बालिका विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर उनकी दशा में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता।

परिकल्पना 1.2– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.6

क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-263)	सार्थकता
शहरी	189	87.69	9.144	1.237	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है
ग्रामीण	76	86.20	8.802		

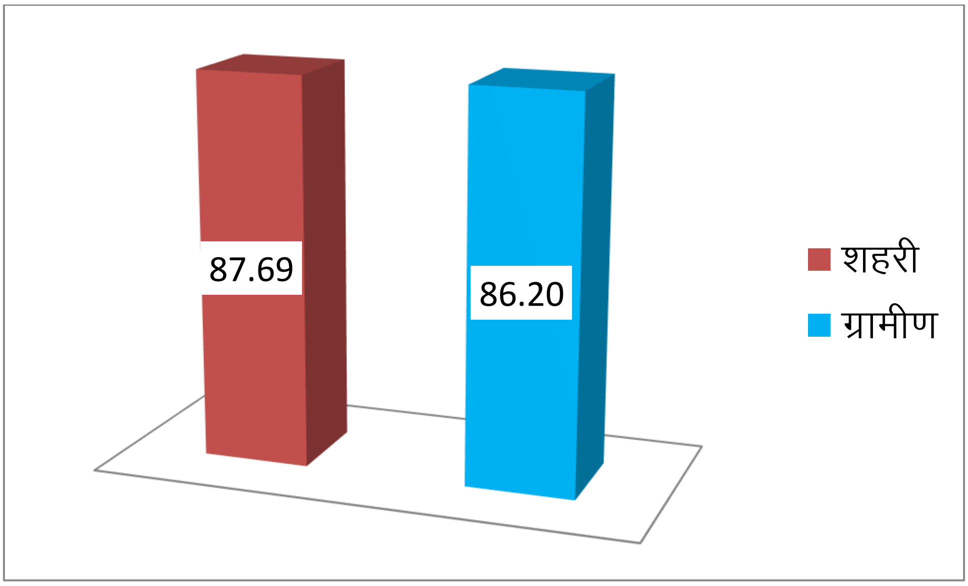

चित्र संख्या–4.5

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की दशा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं है। शहरी क्षेत्र की संख्या 189 तथा ग्रामीण क्षेत्र की संख्या 76 है। शहरी क्षेत्र का मध्यमान 87.69 तथा ग्रामीण क्षेत्र का मध्यमान 86.20 है। शहरी क्षेत्र का मानक विचलन 9.144 है तथा ग्रामीण क्षेत्र का मानक विचलन 8.802 है। दोनों क्षेत्रों की टी–मूल्य 1.237 है जो .05 तथा .01 स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की दशा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों क्षेत्रों का बालिका विद्यार्थियों की दशा पर कोई प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना 1.3– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में मेट्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.7

क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-209)	सार्थकता
मेट्रो	135	89.89	11.004	2.619	.05 स्तर पर सार्थक है
ग्रामीण	76	86.20	8.802		

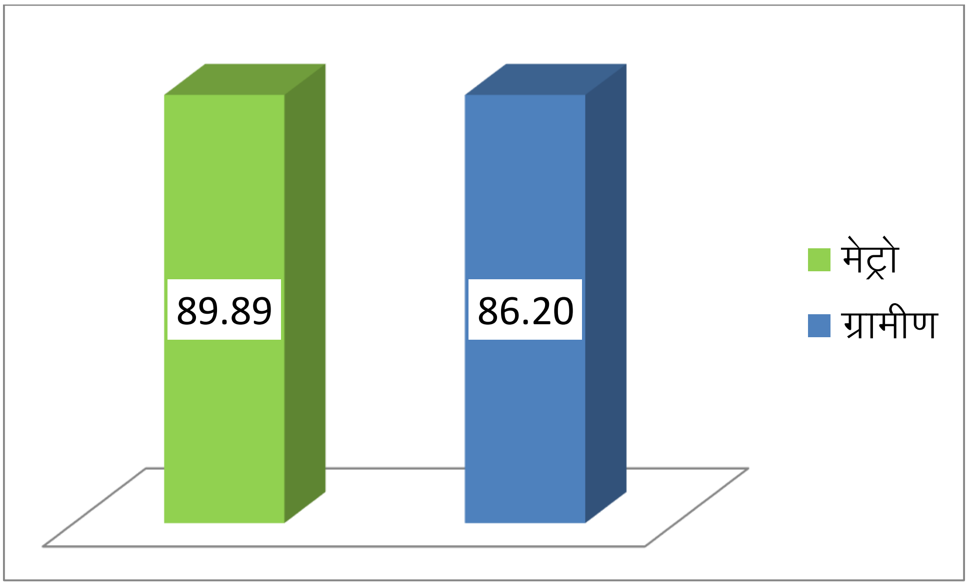

चित्र संख्या–4.6

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की दशा में मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर है। मेट्रो क्षेत्र की संख्या 135 तथा ग्रामीण क्षेत्र की संख्या 76 है। मेट्रो क्षेत्र का मध्यमान 89.82 तथा ग्रामीण क्षेत्र का मध्यमान 86.20 है। मेट्रो क्षेत्र का मानक विचलन 11.004 है तथा ग्रामीण क्षेत्र का मानक विचलन 8.809 है। दोनों क्षेत्रों की टी–मूल्य 2.619 है जो .05 तथा .01 स्तर पर सार्थकता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की दशा में अन्तर को दर्शाता है। दोनों क्षेत्रों का बालिका विद्यार्थियों की दशा पर प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 2– वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.8

(एनोवा क्षेत्र)

दिशा	वर्गों का योग	स्वतंत्रता के अंश	मध्य वर्ग	f अनुपात	सार्थकता
वर्गों का मध्य	915.417	2	457.709	1.724	सार्थक अन्तर नहीं है
वर्गों के अन्दर	105421.693	397	265.546		
योग	106337.110	399			

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। तीनों स्थानों के वर्गों के मध्य वर्गों का योग 915.417 है तथा स्वतंत्रता के अंश 2 हैं। मध्य वर्ग 457. 709 है। इसी प्रकार वर्गों के अन्दर योग 105421.693 है। स्वतंत्रता के अंश 397 हैं। मध्य वर्ग 265.546 है। वर्गो के मध्य तथा वर्गों के अंदर f अनुपात 1.724 है जो कि .05 व .01 स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। सभी वर्गों का योग 106337.110 है स्वतंत्रता के अंश 399 हैं।

परिकल्पना 3– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.9

एनोवा (पाठ्यक्रम दशा)

दशा	वर्गों का योग	स्वतंत्रता के अंश	मध्य वर्ग	f अनुपात	सार्थकता
वर्गों का मध्य	1918.793	4	479.698	5.185	सार्थक अन्तर है।
वर्गों के अन्दर	36543.704	395	92.516		
योग	38462.498	399	92.516		

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर सार्थक अन्तर पड़ता है। पाँचों पाठ्यक्रमों के वर्गों के मध्य वर्गों का योग 1918.793 है। स्वतंत्रता के अंश 4 है। मध्य वर्ग का योग 479.698 है तथा वर्गों के अन्दर वर्गों का योग 36543. 704 है तथा स्वतंत्रता के अंश 395 है। वर्गों के मध्य वर्गों के अन्दर f अनुपात 5.185 है जो कि .05 व .01 स्तर पर सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम शिक्षा की दशा को प्रभावित करते हैं। सभी पाठ्यक्रम के वर्गों का कुल योग 38462.498 है जिसका स्वतंत्रता का अंश 399 है।

परिकल्पना 3.1– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.10

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-966)	सार्थकता
बी0एड0	237	86.87	8.790	0.960	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
डी0एल0एड0	31	85.52	7.478		

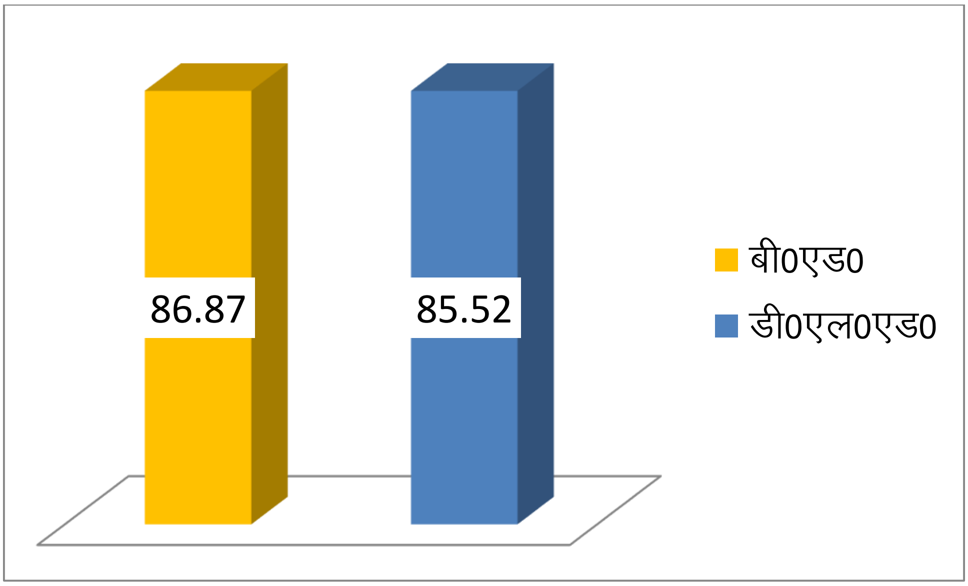

चित्र संख्या–4.7

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बी0एड0 और डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एड0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या 237 है। मध्यमान 86.87 तथा मानक विचलन 8.790 है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है जिसका मध्यमान 7.478 है, मानक विचलन 7.478 है। दोनों पाठ्यक्रमों टी–मूल्य 0.960 है जो सार्थकता के दोनों स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व डी0एल0एड के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं।

परिकल्पना 3.2– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.11

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मूल्य	सार्थकता
बी0एड0	237	86.87	8.790	1.084	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
बी0एस0सी0	26	89.15	10.322		

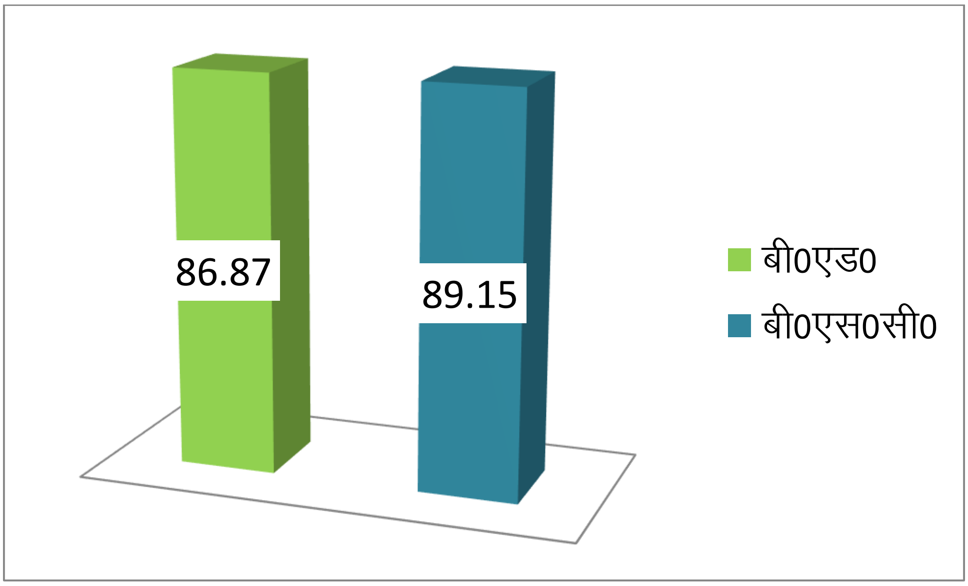

चित्र संख्या—4.8

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बी0एड0 और बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एड0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या 237 है। मध्यमान 86.87 और मानक विचलन 8.790 है। बी0एस0सी0 विद्यार्थियों की संख्या 26 है जिसका मध्यमान 89.15 है, मानक विचलन 10.322 है। दोनों पाठ्यक्रमों टी—मूल्य 1.084 है जो .05 तथा .01 स्तर पर सार्थक नहीं है। अर्थात बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रमों का शिक्षा के दशा पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 3.3— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.12

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मान विचलन	टी–मूल्य (df-238)	सार्थकता
बी0एड0	237	86.87	8.790	0.501	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
बी0कॉम0	3	84.67	7.572		

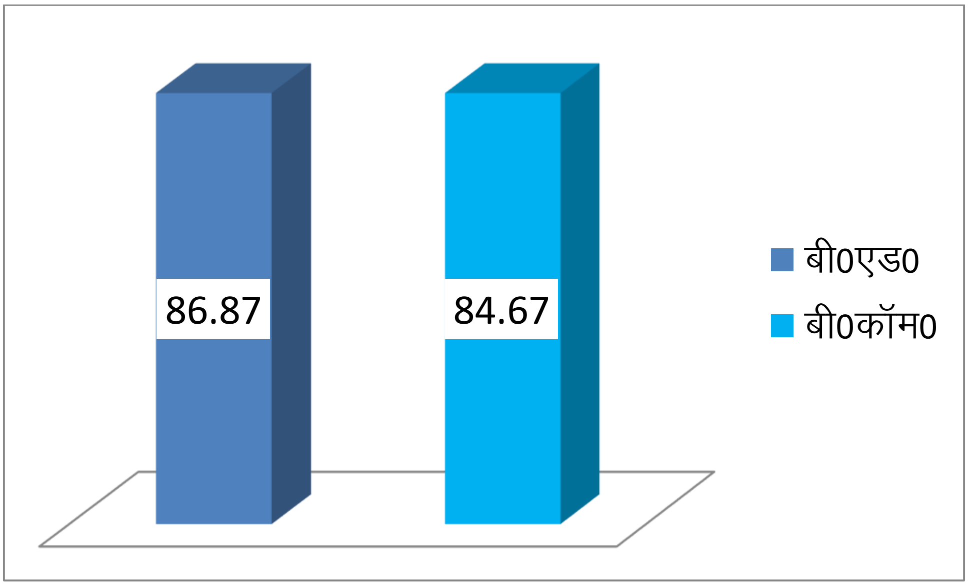

चित्र संख्या–4.9

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बी0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एड0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या 237 है जिसका मध्यमान 86.87 तथा मानक विचलन 8.790 है तथा बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या 3 है जिसका मध्यमान 84.67 है, मानक विचलन 7.572 है। दोनों पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का टी–मूल्य 0.501 है जो दोनों सार्थकता के स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि बी0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा प्रभावित नहीं होती है।

परिकल्पना 3.4– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.13

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-338)	सार्थकता
बी0एड0	237	86.87	8.790	3.717	.05 स्तर पर सार्थक है।
बी0ए0	103	91.64	11.654		

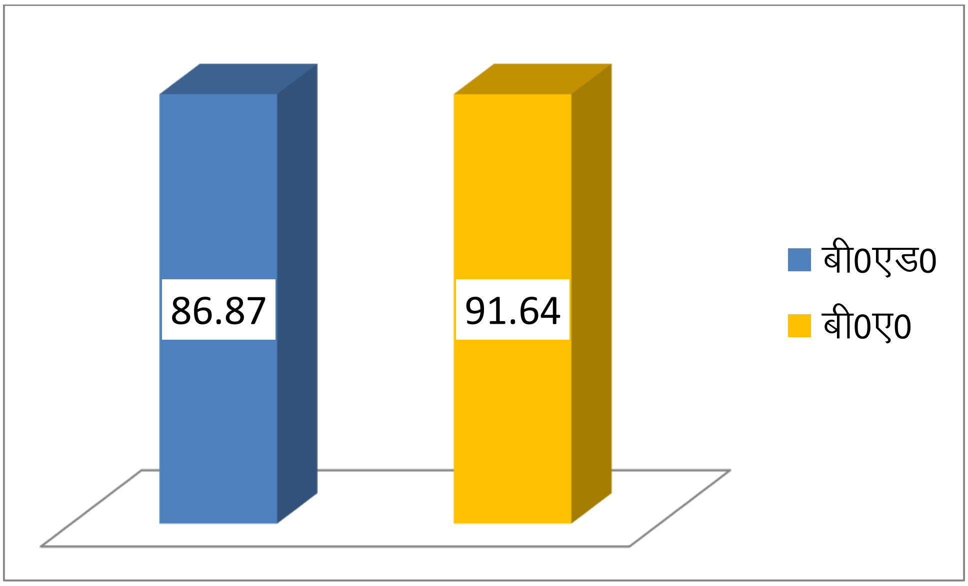

चित्र संख्या–4.10

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बी0एड0 और बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर सार्थक अन्तर पड़ता है। बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 237 है, जिसका मध्यमान 86.87 तथा मानक विचलन 8.790 है। बी0ए0 विद्यार्थियों की संख्या 103 है जिसका मध्यमान 91.64 है, मानक विचलन 11.654 है। दोनों पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के टी–मूल्य 3.717 है जो दोनों सार्थकता के स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि बी0एड0 व बी0ए0 के पाठ्यक्रम बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा को प्रभावित करते हैं।

परिकल्पना 3.5– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.14

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-55)	सार्थकता
डी0एल0एड0	237	86.87	8.790	1.497	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	89.1	10.322		

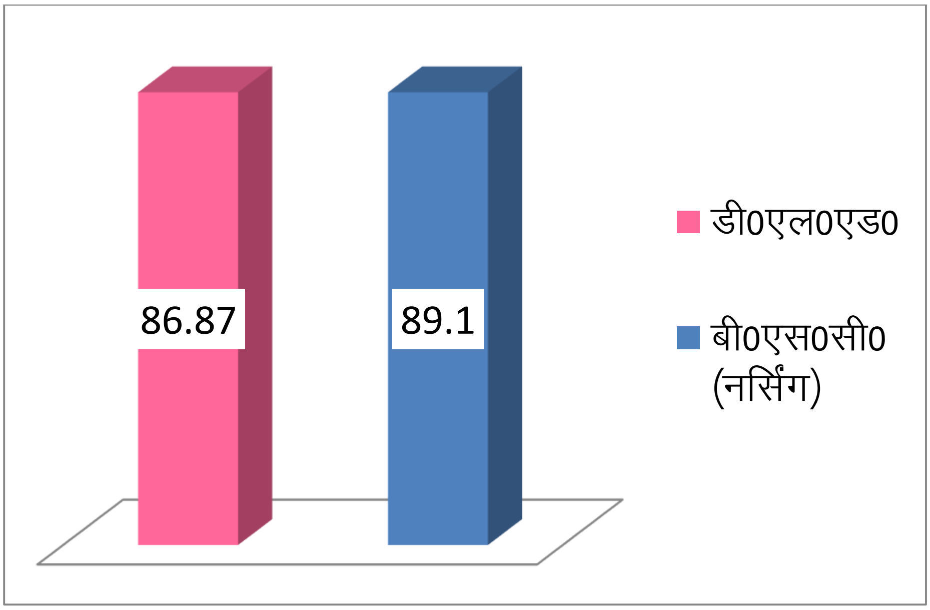

चित्र संख्या–4.11

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है, जिसका मध्यमान 85.52 है, मानक विचलन 7.478 है। बी0एस0सी0 विद्यार्थियों की संख्या 26 है जिसका मध्यमान 89.15 है, मानक विचलन 10.497 है जो सार्थकता के दोनों .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा प्रभावित नहीं होती है।

परिकल्पना 3.6– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.15

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-32)	सार्थकता
डी0एल0एड0	31	85.52	7.478	0.186	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
बी0कॉम0	3	84.67	7.572		

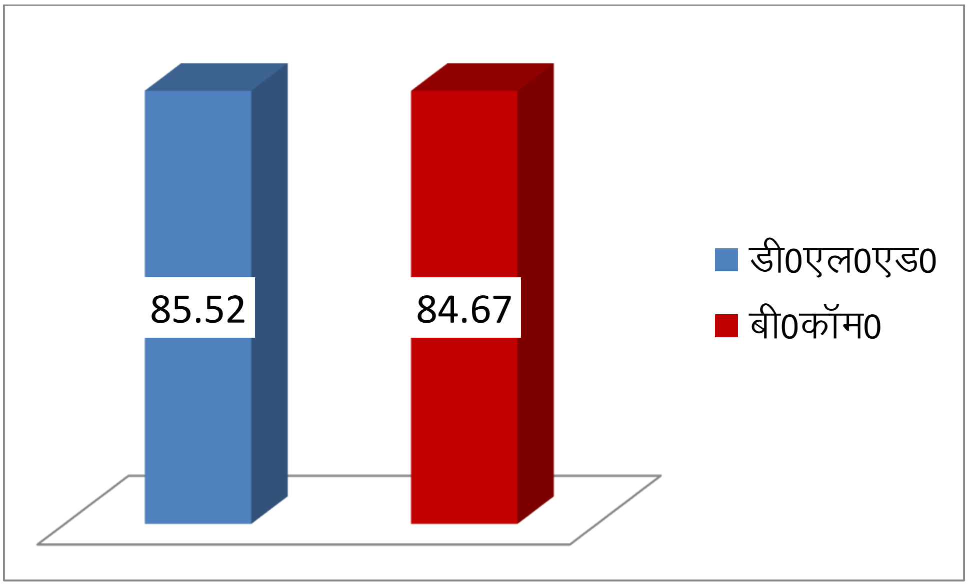

चित्र संख्या–4.12

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है, जिसका मध्यमान 85.52 है, मानक विचलन 7.478 है। बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या मात्र 3 है जिसका मध्यमान 84.67 है तथा मानक विचलन 7.572 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 0.186 है जो सार्थकता के दोनों स्तर .05 व .01 पर सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 के पाठ्यक्रम का आधार बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा के दशा को प्रभावित नहीं करती है।

परिकल्पना 3.7– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.16

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-132)	सार्थकता
डी0एल0एड0	31	85.52	7.478	3.466	.05 स्तर पर सार्थक है।
बी0ए0	103	91.64	11.654		

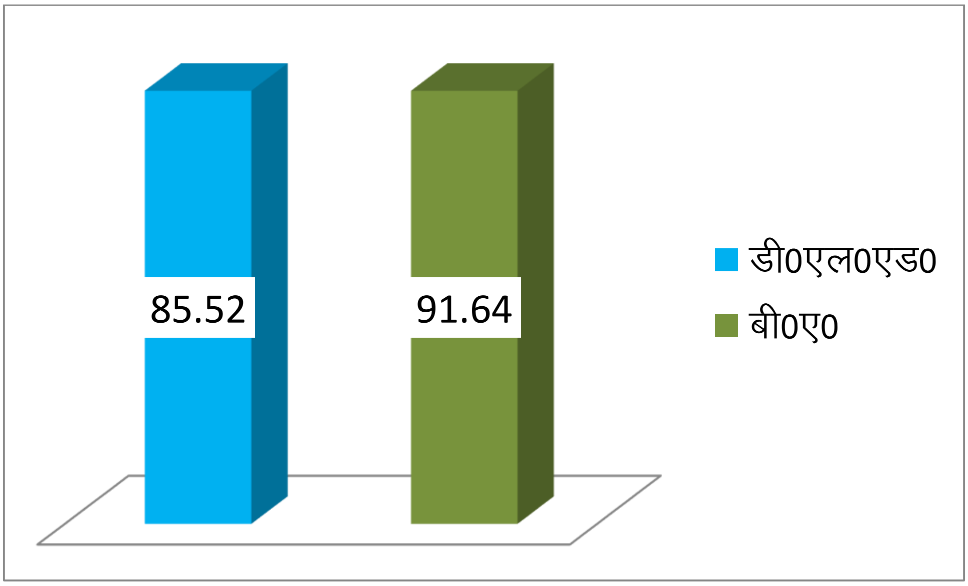

चित्र संख्या–4.13

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है तथा मध्यमान 85.52 है जिसका मानक विचलन 7.478 है। बी0ए0 विद्यार्थियों की संख्या 103 है जिसका मध्यमान 91.64 है, मानक विचलन 11.654 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 3.466 है जो सार्थकता के दोनों स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक है अर्थात दोनों पाठ्यक्रम का प्रभाव अलग–अलग है, जो बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा को प्रभावित करता है।

परिकल्पना 3.8– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.17

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-27)	सार्थकता
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	89.15	10.322	.931	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0कॉम0	3	84.67	7.572		

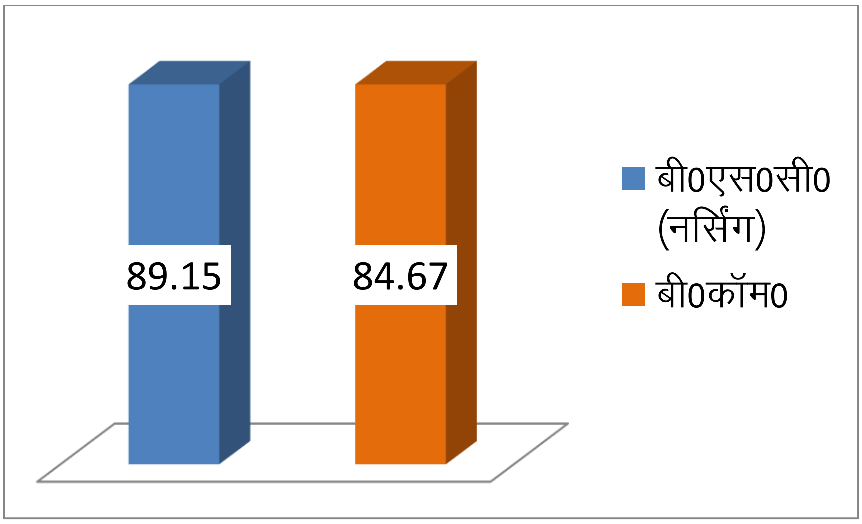

चित्र संख्या–4.14

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एस0सी0 (नर्सिंग) विद्यार्थियों की संख्या 26 है जिसका मध्यमान 89.15 है और मानक विचलन 10.322 है। बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या 3 है जिसका मध्यमान 84.67 है, मानक विचलन 7.572 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य .931 है जो सार्थकता के दोनों स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा की दशा प्रभावित नहीं होती है। पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम का शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

परिकल्पना 3.9– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.18

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-127)	सार्थकता
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	89.15	10.322	1.069	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0ए0	103	91.64	11.654		

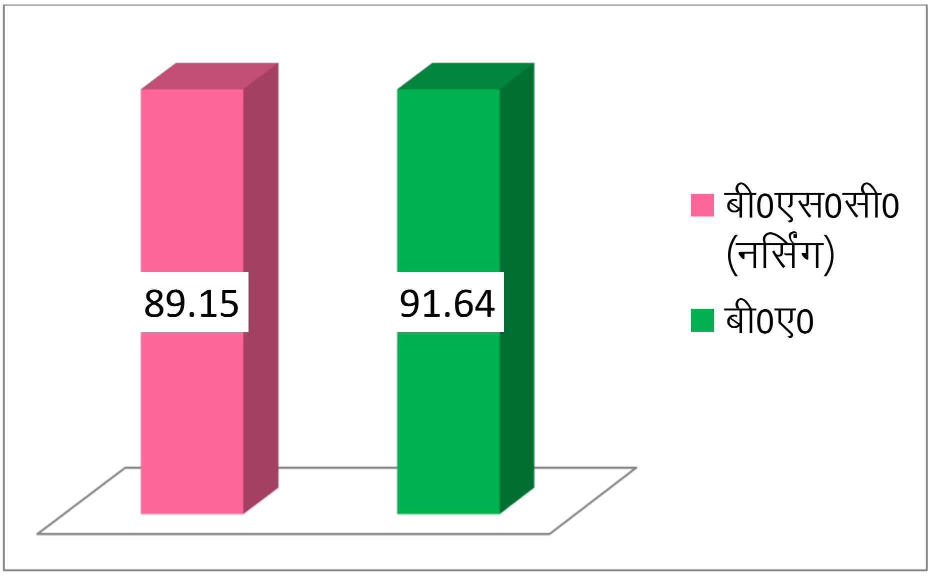

चित्र संख्या–4.15

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एस0सी0 विद्यार्थियों की संख्या 26 है, जिसका मध्यमान 89.15 है और मानक विचलन 10.322 है। बी0ए0 विद्यार्थियों की संख्या 103 है जिसका मध्यमान 91.64 है तथा मानक विचलन 11.654 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 1.069 है जो सार्थकता के दोनों स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि बी0एस0सी0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 4– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.19

योनोवा (पाठ्यक्रम दिशा)

दिशा	वर्गों का योग	स्वतंत्रता के अंश	मध्य वर्ग	f अनुपात	सार्थकता
वर्गों का मध्य	2970.522	4	742.648	2.838	सार्थक अन्तर है।
वर्गों के अन्दर	103366.518	395	261.687		
योग	106337.110	399			

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर सार्थक अन्तर है। पाँचों पाठ्यक्रमों के वर्गों के मध्य वर्गों का योग 2970.592 है। स्वतंत्रता के अंश 4 हैं। मध्य वर्ग का योग 742.648 है। वर्गों के अन्दर वर्गों का योग 103366.518 है। स्वतंत्रता के अंश 395 है जिसका मध्य वर्ग 261.687 है। वगों का योग 106337.110 है। स्वतंत्रता का अंश 399 है। वर्गों के मध्य तथा वर्गों के अन्दर f अनुपात 2.838 है जो सार्थकता के स्तर .05 तथा .01 पर सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पाठ्यक्रम के आधार पर प्रभावित होती है। अलग–अलग पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की दिशा को तय करते हैं। जिससे शिक्षा की दिशा अलग होती है।

परिकल्पना 4.1— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.20

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मूल्य (df-241)	सार्थकता
बी0एड0	237	115.27	14.637	3.178	.05 स्तर पर सार्थक है।
डी0एल0एड0	37	107.68	12.194		

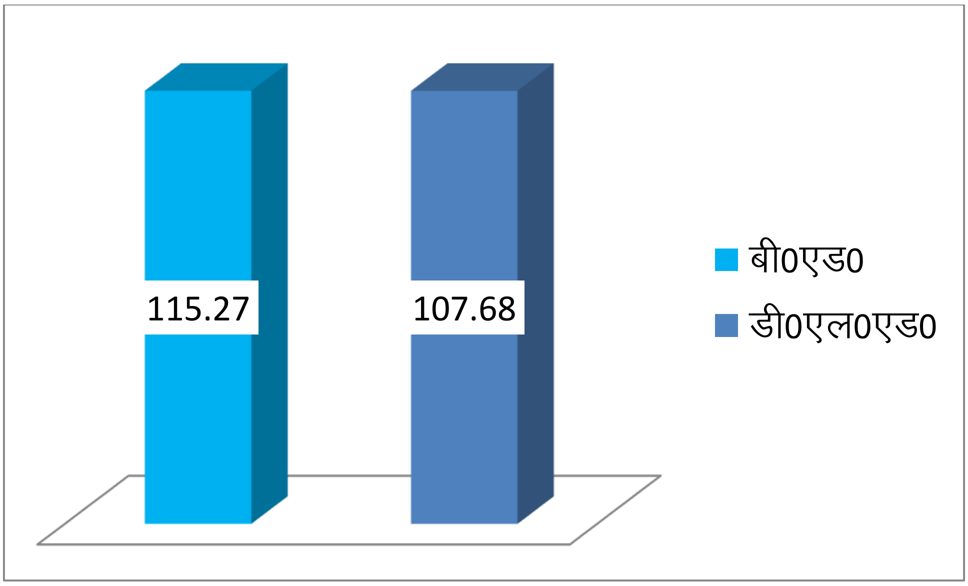

चित्र संख्या—4.16

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर है। बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 237 है, जिसका मध्यमान 115.27 है तथा मानक विचलन 14.637 है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 37 है जिसका मध्यमान 107 है। मानक विचलन 12.194 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी—मूल्य 3.178 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा को प्रभावित करते हैं। दोनों पाठ्यक्रम शिक्षा की अलग—अलग दिशा निर्धारित करते हैं।

परिकल्पना 4.2– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.21

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-261)	सार्थकता
बी0एड0	237	115.27	14.637	1.985	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	109.46	14.100		

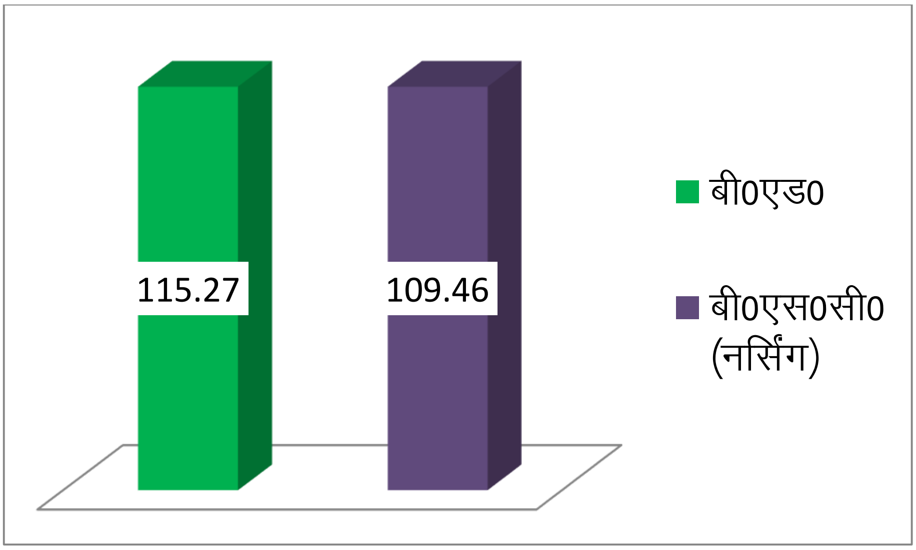

चित्र संख्या–4.17

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 237 है, जिसका मध्यमान 115.27 है तथा मानक विचलन 14.637 है तथा बी0एस0सी0 विद्यार्थियों की संख्या 26 है जिसका मध्यमान 109.46 है तथा मानक विचलन 14.100 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 1.985 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पाठ्यक्रम के आधार पर प्रभावित नहीं होती है। पाठ्यक्रम से शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 4.3– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0काम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.22

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-238)	सार्थकता
बी0एड0	237	115.27	14.637	5.797	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0कॉम0	3	102.00	3.606		

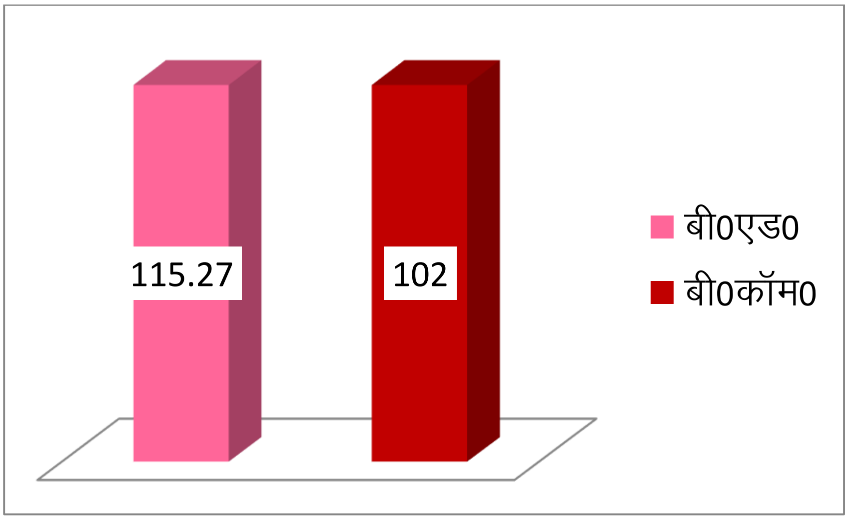

चित्र संख्या–4.18

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर है। बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 237 है, जिसका मध्यमान 115.27 है तथा मानक विचलन 14.635 है तथा बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या 3 है, जिसका मध्यमान 102.00 है तथा मानक विचलन 3.606 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 5.797 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर पूरी तरह सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा प्रभावित होती है। दोनों पाठ्यक्रम का शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बी0एड0 व्यवसायिक पाठ्यक्रम है जबकि बी0कॉम0 डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम है।

परिकल्पना 4.4– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.23

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-338)	सार्थकता
बी0एड0	237	115.27	14.637	0.371	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0ए0	103	116.10	20.614		

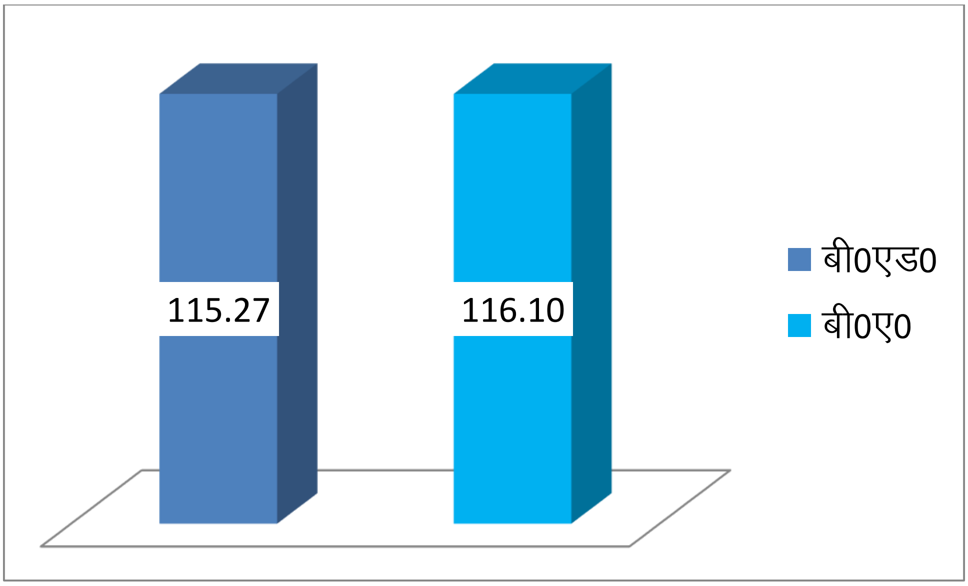

चित्र संख्या–4.19

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 237 है, जिसका मध्यमान 115.27 है तथा मानक विचलन 14.637 है। बी0ए0 विद्यार्थियों की संख्या 103 है, जिसका मध्यमान 116.10 है तथा मानक विचलन 20.614 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 0.371 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0ए0 के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम के शिक्षा की दिशा अलग–अलग है।

परिकल्पना 4.5– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.24

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-55)	सार्थकता
डी0एल0एड0	31	107.68	12.194	0.506	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	109.46	14.100		

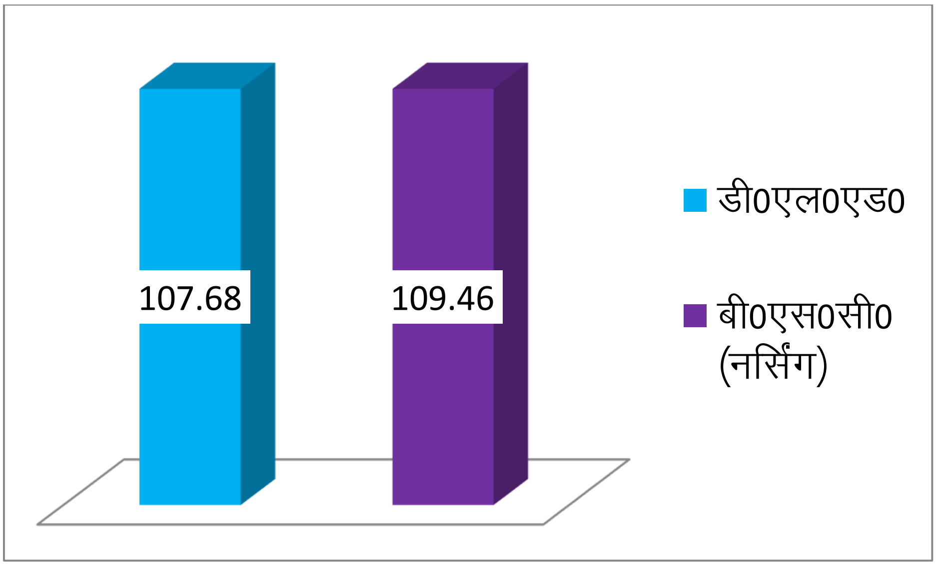

चित्र संख्या–4.20

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है, जिसका मध्यमान 107.68 है तथा मानक विचलन 12.194 है। बी0ए0सी0 (नर्सिंग) विद्यार्थियों की संख्या 96 है, जिसका मध्यमान 109.46 है तथा मानक विचलन 14.100 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 0.506 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा को प्रभावित नहीं करता है।

परिकल्पना 4.6— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.25

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मूल्य (df-39)	सार्थकता
डी0एल0एड0	31	107.68	12.194	1.879	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
बी0कॉम0	3	102.00	3.606		

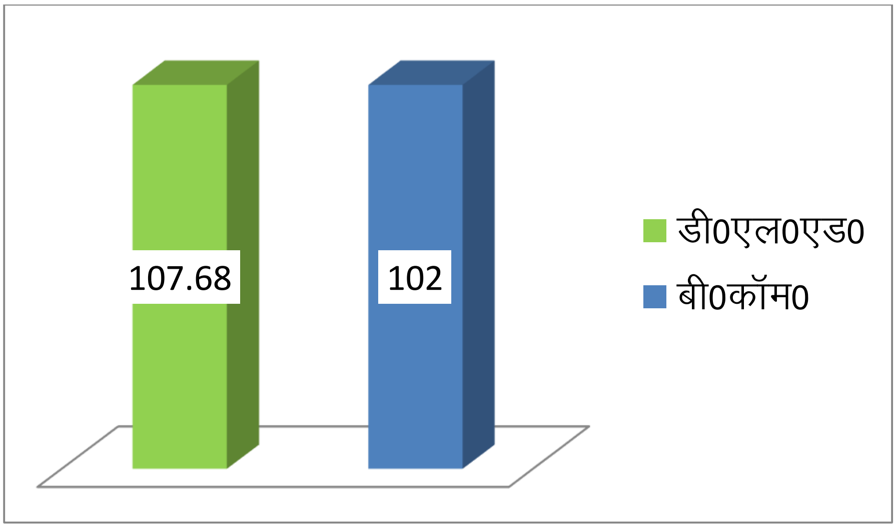

चित्र संख्या—4.21

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। डी0एल0एड0 विद्यार्थियों की संख्या 31 है, जिसका मध्यमान 107.68 है तथा मानक विचलन 12.194 है। बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या मात्र 3 है जिसका मध्यमान 102. 00 है तथा मानक विचलन 3.606 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी—मूल्य 1.879 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 का बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम की अपनी—अपनी दिशा तय है।

परिकल्पना 4.7— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.26

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मूल्य (df-27)	सार्थकता
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	109.46	14.100	2.156	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है।
बी0कॉम0	3	102.00	3.606		

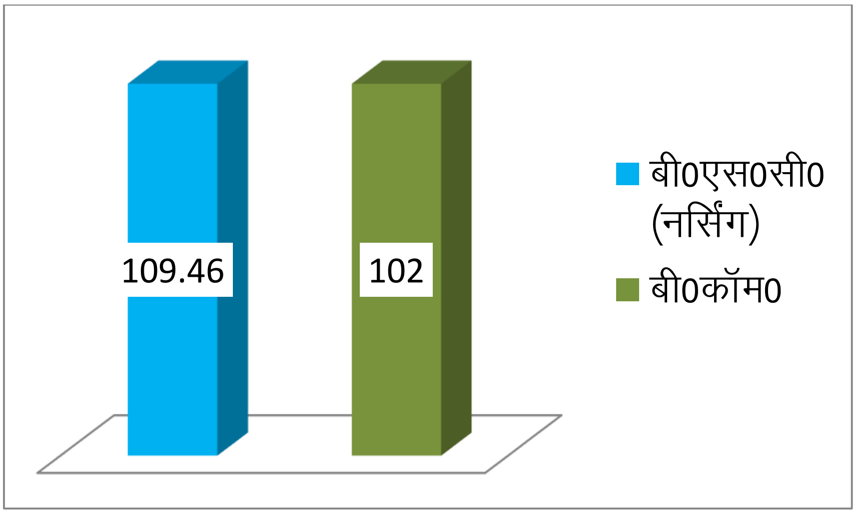

चित्र संख्या—4.22

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक अन्तर है। बी0एस0सी0 विद्यार्थियों की संख्या 26 है, जिसका मध्यमान 109.46 है तथा मानक विचलन 14.100 है तथा बी0कॉम0 विद्यार्थियों की संख्या केवल 3 है जिसका मध्यमान 102.00 है तथा मानक विचलन 3.606 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी—मूल्य 2.156 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 के आधार पर प्रभावित होता है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा की अलग—अलग दिशा निर्धारित करती है।

परिकल्पना 4.8– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.27

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-137)	सार्थकता
बी0एस0सी0 (नर्सिंग)	26	109.46	14.100	1.934	.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है।
बी0ए0	103	116.10	20.614		

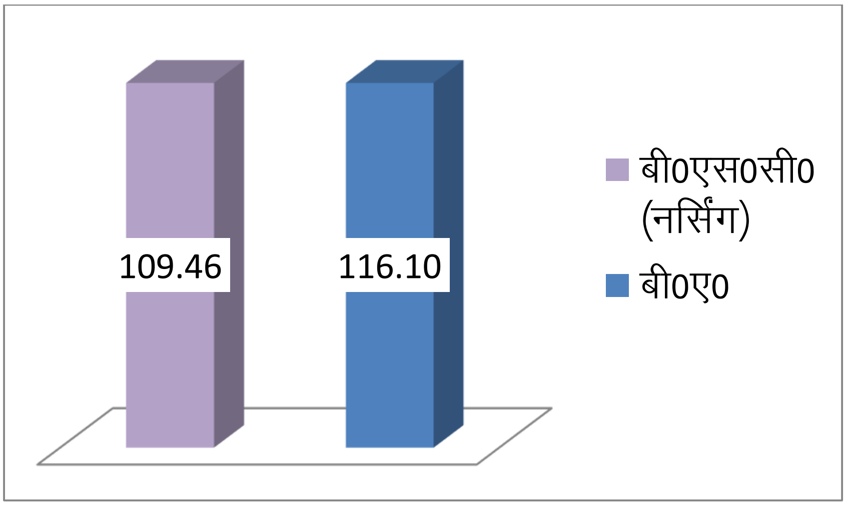

चित्र संख्या–4.23

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। बी0एस0सी0 (नर्सिंग) विद्यार्थियों की संख्या 26 है, जिसका मध्यमान 109.46 है तथा मानक विचलन 14.100 है तथा बी0ए0 विद्यार्थियों की संख्या 103 है जिसका मध्यमान 116.10 है तथा मानक विचलन 20.614 है। दोनों पाठ्यक्रम का टी–मूल्य 1. 934 है जो सार्थकता के स्तर पर .05 तथा .01 पर सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा बी0एस0सी0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर प्रभावित नहीं होती है। इन दोनों पाठ्यक्रम का शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 5– वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.28

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-398)	सार्थकता
एकल	212	88.51	9.512	.833	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
संयुक्त	188	87.69	10.160		

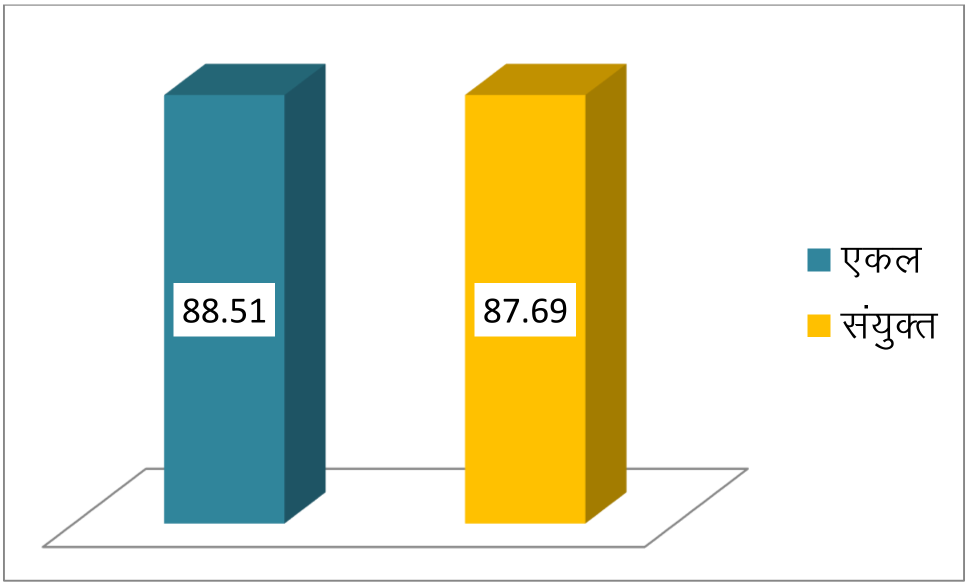

चित्र संख्या–4.24

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। एकल परिवार की संख्या 212 है, जिसका मध्यमान 88.51 है तथा मानक विचलन 9.512 है तथा संयुक्त परिवार की संख्या 188 है जिसका मध्यमान 87.69 है। मानक विचलन 10. 160 है। दोनों परिवार का टी–मूल्य .833 है जो सार्थकता के स्तर .05 व .01 पर सार्थक नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा पर एकल व संयुक्त परिवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार एकल व संयुक्त दोनों शिक्षा के लिए उपयुक्त है।

परिकल्पना 6– वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.29

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य (df-398)	सार्थकता
एकल	219	115.68	15.386	1.643	.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
संयुक्त	188	112.98	17.253		

चित्र संख्या–4.25

उपरोक्त तालिका विवरण से ज्ञात होता है कि बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। एकल परिवार की संख्या 212 है, जिसका मध्यमान 115.68 है तथा मानक विचलन 15.386 है। संयुक्त परिवार की सख्या 188 है जिसका मध्यमान 112.98 तथा मानक विचलन 17.253 है। दोनों परिवार का टी–मूल्य 1.643 है जो सार्थकता के स्तर .05 व .01 पर सार्थक नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिवार एकल हो या संयुक्त शिक्षा की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात् बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा का परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। एकल या संयुक्त परिवार में रहकर बालिका विद्यार्थी अपने शिक्षा की दिशा को निर्धारित कर सकती हैं।

***

पंचम अध्याय

==

परिणाम, शैक्षिक निहितार्थ एवं आगामी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

इस अध्याय में अध्ययन के परिणाम, शैक्षिक निहितार्थ और आगामी शोध हेतु सुझाव सम्मिलित है जिससे भविष्य में आने वाले शोधार्थी इसका लाभ उठा सकें एवं अध्ययन के परिणाम को सही रूप में लागू किया जा सके। शोध के परिणाम का सही उपयोग ही एक शोध की सार्थकता है। शोध अध्ययन के माध्यम से शोध परिणाम को प्राप्त करके भविष्य में परिणाम का सही दिशा में प्रयोग करना ही सही मायने में शोध है।

5.1 अध्ययन के परिणामः–

आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात शोध के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।

5.1.1 उद्देश्य– स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना– "वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।"

परिणाम— प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन शून्य परिकल्पना के माध्यम से करने पर आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकल कर आया कि वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा में अन्तर पाया गया। बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा का यह अन्तर शहरी, ग्रामीण व मेट्रो शहरी क्षेत्रों पर निर्भर करता है।

परिकल्पना 1.1— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी और मेट्रो क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि शहरी और मेट्रो क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में अन्तर नहीं है अर्थात शहरी और मेट्रो क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा स्थान के आधार पर प्रभावित नहीं होती है।

परिकल्पना 1.2— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्षस्वरूप पाया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में कोई अन्तर नहीं है। क्षेत्र का बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 1.3— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा में मेट्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्षस्वरूप पाया गया कि मेट्रो क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर बालिका विद्यार्थियों

की शिक्षा की दशा पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात् मेट्रो क्षेत्र के विद्यार्थी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी की दशा अलग–अलग है जिसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। स्थान का प्रभाव शिक्षा को प्रभावित करती है।

5.1.2 उद्देश्य– वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना– वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों में रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– प्रस्तुत शोध का दूसरा उद्देश्य वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण से निष्कर्ष पाया गया कि वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके रहने के स्थान के आधार पर शिक्षा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात् स्थान या क्षेत्र से शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थी शहरी हो, ग्रामीण हो या मेट्रो में रहने वाला हो शिक्षा की दिशा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षा की दिशा उनके उद्देश्य के अनुसार प्राप्त हो सकती है।

5.1.3 उद्देश्यः– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन परिकल्पना परीक्षण के आधार पर

आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि स्नातक स्तर की विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा को प्रभावित करते हैं या पाठ्यक्रम का शिक्षा की दशा पर प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 3.1– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 और डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि बी0एड0 व डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात दोनों पाठ्यक्रम में समानता देखने को मिलता है। दोनों पाठ्यक्रम व्यावसायिक स्तर के हैं।

परिकल्पना 3.2– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि बी0एड0 व बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम का बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा को प्रभावित नहीं करते हैं। जो स्थिति थी वहीं बनी रहती है।

परिकल्पना 3.3– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्षस्वरूप पाया गया कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् पाठ्यक्रम बी0एड0 हो या बी0कॉम0 शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

परिकल्पना 3.4– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिणाम परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्षस्वरूप पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0ए0 से शिक्षा की दशा प्रभावित होती है। अर्थात् शिक्षा की दशा पर बी0एड0 का अलग प्रभाव है और बी0ए0 का अलग प्रभाव पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम की दशा बालिका शिक्षा की दशा को प्रभावित करता है।

परिकल्पना 3.5– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के आधार पर शिक्षा की दशा प्रभावित नहीं होती है। अर्थात दोनों पाठ्यक्रम का बालिका शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिकल्पना 3.6– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 और बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् दोनों पाठ्यक्रम शिक्षा की दशा को प्रभावित नहीं करते हैं।

परिकल्पना 3.7– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0कॉम0 के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0कॉम0 के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात शिक्षा की दशा पर दोनों पाठ्यक्रम कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। अर्थात् दोनों में काफी हद तक समानता दिखायी देती है।

परिकल्पना 3.8– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0ए0 के आधार पर शिक्षा की दशा पर प्रभाव पड़ता है अर्थात् दोनों पाठ्यक्रम की दशा अलग–अलग है। बालिका शिक्षा की दशा पर डी0एल0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम का अलग–अलग प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 3.9– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया है कि पाठ्यक्रम में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 के आधार पर बालिका शिक्षा की दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात शिक्षा की दशा पर दोनों पाठ्यक्रम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम काफी हद तक समानता दिखायी देती है।

उद्देश्य 5.1.4– वर्तमान में स्नातक स्तर का विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना 4– वर्तमान में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात् पाठ्यक्रम बालिका शिक्षा की दिशा को प्रभावित करते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रम का अपना अलग–अलग महत्व है। सभी पाठ्यक्रम में समानता नहीं है। कुछ व्यावसायिक स्तर के हैं तो कुछ डिग्री स्तर के हैं।

परिकल्पना 4.1– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व डी0एल0एड0 का बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात् पाठ्यक्रम बी0एड0 व डी0एल0एड0 शिक्षा की दिशा को प्रभावित करते हैं। जबकि दोनों पाठ्यक्रम व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं फिर भी शिक्षा की दिशा को प्रभावित करते हैं।

परिकल्पना 4.2– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) का बालिका शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् शिक्षा की दिशा को दोनों पाठ्यक्रम प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों पाठ्यक्रम व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम हैं।

परिकल्पना 4.3— बालिका विद्यार्थियों में शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। बी0एड0 एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जबकि बी0कॉम0 डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम है। इसलिए दोनों पाठ्यक्रम शिक्षा की दिशा को प्रभावित करते हैं।

परिकल्पना 4.4— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एड0 व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एड0 व बी0ए0 के आधार पर बालिका—विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पाठ्यक्रम में काफी हद तक समानता दिखायी देती है। दोनों स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम हैं।

परिकल्पना 4.5— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम— परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् दोनों पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों पाठ्यक्रम व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम हैं।

परिकल्पना 4.6— बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् दोनों पाठ्यक्रम की दिशा निर्धारित है। दोनों शिक्षा की दिशा को तय करते हैं।

परिकल्पना 4.7– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0कॉम0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि दोनों पाठ्यक्रम की दिशाएं अलग हैं। अर्थात् बालिका शिक्षा की दिशा को पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0कॉम0 दोनों प्रभावित करते हैं। दोनों पाठ्यक्रम का उद्देश्य अलग है।

परिकल्पना 4.8– बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 पाठ्यक्रम के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि पाठ्यक्रम बी0एस0सी0 (नर्सिंग) व बी0ए0 के आधार पर बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात दोनों पाठ्यक्रम बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों पाठ्यक्रम में काफी हद तक समानताएं दिखायी देती हैं।

उद्देश्य 5.1.5– वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना 5– वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिकल्पना परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा पर उनके परिवार के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् शिक्षा की दशा को परिवार प्रभावित नहीं करता है चाहे विद्यार्थी एकल परिवार में रहती हो या संयुक्त परिवार में रहती हो।

उद्देश्य 5.1.6– वर्तमान में स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर स्त्री शिक्षा की दिशा का अध्ययन करना।

परिकल्पना 6– वर्तमान में स्नातक स्तर की बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिणाम– परिणाम परीक्षण के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पाया गया कि बालिका विद्यार्थियों की उनके परिवार के आधार पर शिक्षा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् शिक्षा की दिशा को परिवार प्रभावित नहीं करता है। परिवार एकल हो या संयुक्त दोनों विद्यार्थियों की दिशा के लिए उपयुक्त है। शिक्षा की दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए दोनों परिवार उपयुक्त है। एकल परिवार भी शिक्षा के दिशा को तय कर सकता है और संयुक्त परिवार भी शिक्षा के दिशा को तय कर सकता है।

5.2 अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ–

किसी भी शोध कार्य की सफलता और असफलता उस बात पर निर्भर करती है कि शोधार्थी द्वारा किया गया प्रयास शिक्षा को दिशा प्रदान करता है अथवा नहीं। किसी भी शोध कार्य का महत्व शैक्षणिक महत्व पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों के शैक्षिक निहितार्थ को निम्नलिखित पक्षों से समझा जा सकता है–

5.2.1 अभिभावकों के पक्ष से–

1. अभिभावकों को बालिकाओं की रूचि को समझने का प्रयास करना चाहिए।
2. अभिभावकों को बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र को समझने का प्रयास करना चाहिए।
3. अभिभावकों को बालिकाओं को कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रेरित करनी चाहिए।
4. अभिभावकों को बालिकाओं की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे सही दिशा में पाठ्यक्रम का चयन कर सकें।
5. अभिभावकों को बालिकाओं के लिए उचित वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए।
6. अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए कि बालिकाओं को घरेलू कार्यों की तुलना में शैक्षिक कार्यों को महत्व दें।
7. ग्रामीण क्षेत्रीय अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए कि बालिकाओं को उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करें।
8. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को बालिकाओं को करियर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
9. शहरी या मेट्रो शहरी अभिभावकों को बालिकाओं को रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए।
10. सभी क्षेत्र के अभिभावकों का प्रयास होना चाहिए कि बालिकाओं को उनके रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करने दें।
11. सभी क्षेत्र के अभिभावकों को बालिकाओं को मानसिक स्तर पर समझने का प्रयास करना चाहिए।
12. सभी क्षेत्र के अभिभावकों को बालिकाओं की सृजनात्मक क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए।
13. सभी अभिभावकों को बालक व बालिका के अन्तर को समाप्त कर देना चाहिए।

14. अभिभावकों की आर्थिक स्थिति उच्च न होने की दशा में बालिकाओं को स्कॉलर योजना के प्रति जागरूक करना चाहिए।
15. सभी क्षेत्र के अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए कि वे बालिकाओं में उत्तरदायित्व व निर्णय लेने की भावना जागृत करें।

5.2.2 छात्रों के पक्ष से–

1. बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र का चयन रूचि के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए।
2. बालिकाओं को क्षेत्र चयन की योजना बनानी चाहिए।
3. बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र का चयन अवसरों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।
4. बालिकाओं को पाठ्यक्रम का चयन रूचि के अनुसार करनी चाहिए।
5. बालिकाओं को पाठ्यक्रम की दशा का ध्यान रखते हुए चयन करना चाहिए।
6. बालिकाओं को पाठ्यक्रम की दिशा का ध्यान रखते हुए चयन करना चाहिए।
7. बालिकाओं को पाठ्यक्रम का चयन कौशल के आधार पर करना चाहिए।
8. बालिकाओं को पाठ्यक्रम का चयन करते समय अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
9. बालिकाओं को ऐसे पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए जो सही दिशा का निर्माण करें।
10. बालिकाओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए।
11. बालिकाओं को शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए।
12. बालिकाओं को अपनी सृजनात्मक क्षमता को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
13. बालिकाओं को अपने परिवार को कौशल आधारित शिक्षा के बारे में बताना चाहिए।
14. बालिकाओं को अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए।

15. बालिकाओं को स्वयं में निर्णय क्षमता को विकसित करना चाहिए। शिक्षा से इसे गति देना चाहिए।

5.2.3 शिक्षकों के पक्ष से–

1. शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की रूचि व क्षमता को जानने का प्रयास करना चाहिए जिससे वे उचित कॅरियर निर्माण में मदद कर सकें।
2. शिक्षकों को विद्यार्थियों में कॅरियर विश्लेषण की क्षमता (योग्यता) का विकास करना चाहिए।
3. शिक्षकों को कॉलेजों में कॅरियर से सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन करते रहना चाहिए जिससे विद्यार्थियों तक सूचनाओं का प्रसारण होता रहे।
4. शिक्षकों को विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को भली–भांति समझना चाहिए।
5. शिक्षकों को विद्यार्थियों के उचित विकास के लिए शिक्षक–अभिभावक मीटिंग करनी चाहिए।
6. शिक्षकों को विद्यार्थियों की दशा का उचित ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी के क्षेत्र, आर्थिक स्थिति व मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए।
7. शिक्षकों को विद्यार्थियों की दिशा का उचित ध्यान रखना चाहिए। कॅरियर की दिशा को मार्गदर्शित करने का कार्य शिक्षकों को करना चाहिए।
8. शिक्षकों को विद्यार्थियों को सही क्षेत्र का चयन करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।
9. शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमता (योग्यता) के अनुसार उन्हें दिशा में आगे के लिए प्रेरित करना चाहिए।
10. शिक्षकों को विद्यार्थियों के विकास के लिए उचित दिशा में क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
11. शिक्षकों को सभी वर्ग के छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए।
12. शिक्षकों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए।

13. शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि औसत से कम के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें।
14. शिक्षकों को विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने विचारों को शिक्षकों से व्यक्त कर सकें।
15. शिक्षकों को विद्यार्थियों को अभिप्रेरणात्मक घटनाओं के बारे में बताना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को अभिप्रेरणा मिल सके।

5.2.4 प्रशासकों के पक्ष से–

1. महाविद्यालयों में मापदण्ड के अनुसार अनुमोदित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय को इस मापदण्ड का ध्यान रखना चाहिए।
2. महाविद्यालयों में अनुमोदित व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से शिक्षा प्रभावित होती है।
3. विश्वविद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुमोदित शिक्षकों को मापदण्ड के अनुसार वेतन व सुविधा प्रदान करना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों के साथ हो रहे शोषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
5. प्रबन्ध समिति को विद्यार्थियों की सुविधा व समस्या का ध्यान रखना चाहिए।
6. प्रबन्ध समिति को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा को व्यावसायिक स्तर से ऊपर उठकर छात्रहित में भी सोचें।
7. प्रशासकों को शिक्षा के गिरते स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए।
8. प्रशासकों को छात्र व शिक्षक हित में ठोस कदम उठाना चाहिए।
9. महाविद्यालय प्रशासन को उच्च शिक्षित समन्वयक का चयन करना चाहिए, जिससे छात्रों को उचित मार्गदर्शन कर सकें।
10. महाविद्यालय प्रशासन को सभी शिक्षकों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।
11. प्रशासक द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार से शिक्षा प्रभावित होती है, जिससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

12. प्रशासकों द्वारा छात्रहित का ध्यान रखना चाहिए।
13. प्रशासकों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए।
14. आर्थिक बचत के कारण शिक्षा की गुणवत्ता निम्न से निम्नतर होती जा रही है।
15. प्रशासकों को ध्यान रखना चाहिए कि छात्र व शिक्षक महाविद्यालय के अंग हैं। इनके अभाव में विकास नहीं हो सकता। दोनों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।

5.3 भावी शोध हेतु सुझाव–

प्रस्तुत शोध सीमित संसाधनों के कारण सीमित कर दिया गया है। शोध के निष्कर्षों तथा शोधकर्ता के अनुभवों के आधार पर भावी शोध हेतु सुझाव निम्नलिखित है:–

1. प्रस्तुत शोध केवल लखनऊ जिले तक ही सीमित रहा। भावी शोध अन्य जिलों के विद्यार्थियों पर किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध केवल स्नातक स्तर के बालिका विद्यार्थियों तक सीमित रहा। भावी शोध परास्नातक के विद्यार्थियों पर किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध क्षेत्र, पाठ्यक्रम व परिवार तक सीमित रहा। भावी शोध रूचि व विभिन्न महाविद्यालय की स्थिति पर भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर तक सीमित रहा। भावी शोध अलग–अलग स्तर पर किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध में सरकारी व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के स्तर तक सीमित रहा। भावी शोध में दोनों को अलग–अलग स्तर पर शोध किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत शोध विद्यार्थियों की स्नातक स्तर की दशा तक सीमित रहा। भावी शोध विद्यार्थियों की परास्नातक स्तर तक की दशा का अध्ययन किया जा सकता है।
7. प्रस्तुत शोध विद्यार्थियों की स्नातक स्तर की दिशा तक सीमित रहा। भावी शोध परास्नातक के विद्यार्थियों की दिशा पर किया जा सकता है।

8. प्रस्तुत शोध स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा तक सीमित रहा। भावी शोध महाविद्यालयों की दशा पर किया जा सकता है।
9. भावी शोध स्ववित्तपोषित व एडेड महाविद्यालयों की दशा पर किया जा सकता है।
10. प्रस्तुत शोध विद्यार्थियों की शिक्षा की दशा व दिशा तक सीमित रहा। भावी शोध शिक्षकों की दशा व दिशा पर किया जा सकता है।

***

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. लाल, रमन बिहारी (2011), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, डॉ0 एस0 पी0, गुप्ता, डॉ0 अल्का (2015), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, पब्लीकेशन्स, प्रयागराज।
3. पाठक, सुमेधा, (2012), स्त्री शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. —————— वही ——————
5. —————— वही ——————
6. International Journal of Multidisciplinary Education and Research ISSN: 2455-4588: Impact Factor: RJIF5.12
7. लाल, रमन बिहारी (2011), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
8. गुप्ता, डॉ0 एस0 पी0, गुप्ता, डॉ0 अल्का (2015), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, पब्लीकेशन्स, प्रयागराज।
9. सारथी कुमारी (2020), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन।
10. पाण्डे, एम0 आर0 (2017), मराठाबाड़ा में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं का उनकी बौद्धिक क्षमता और व्यक्तित्व विकास में योगदान एक अभ्यास।
11. बैरवा, मुकेश कुमार (2016), बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन का अध्ययन सवाई माधोपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में।
12. दिशा, लेख (2017), भारत में महिला शिक्षा की समस्यायें और मुद्दे।
13. बोनेला, गणपति, आरजू, डॉ0 पी0 (2014), स्त्रियों के शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

14. यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013), अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन।
15. सिंह, गीता (2014), मुस्लिम महिलाओं की दो पीढ़ियों की शैक्षिक महत्व के सन्दर्भ में अध्ययन।
16. कम्बो, प्रेरणा (2005), मलीन बस्तियों में रहने वाले बालक—बालिकाओं के शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।
17. त्रिपाठी, अनुराधा (2009), भारत में स्त्री शिक्षा बदलते आयाम का समालोचनात्मक अध्ययन।
18. यादव, शशिकला (2013), कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की स्थिति।
19. महर्षि, शर्मा, निम्मी (2013), महिलाओं में कानूनी अधिकारों के प्रति राजनैतिक संचेतन एक अध्ययन।
20. कौर, रवीन्दर, नगिन्दर एवं हरप्रीत (2013), महिला शिक्षकों की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन।
21. सलीम, मोहम्मद (2016), भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन।
22. चट्टोपाध्याय, कमला देवी (2008), भारत में स्त्रियों की राजनीतिक भूमिका के इतिहास का अध्ययन।
23. शांतलीन, एस0 (2014), महिलाओं का शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण का वैयक्तिक अध्ययन।
24. यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013), अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा की दशा का अध्ययन।
25. दिवाकर रजत (2010), उच्च माध्यमिक स्तर की शहरी व ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।
26. चौहान, नीति (2011), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन पर अध्ययन।

27. गुप्ता, सत्येन्द्र (2013), सरस्वती विद्या मन्दिर संस्थाओं के शैक्षणिक संस्थान का अध्ययन।
28. जैन, नेहा (2011), बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के योगदान के सन्दर्भ में टॉक जिले का अध्ययन।
29. नायर, शैलजा बी0 (2014), अहमदाबाद शिक्षा समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान का वैयक्तिक अध्ययन।
30. द्विवेदी, किरन (2009), भारत की दिशा विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा में महिला भागीदारी पर शोध अध्ययन।
31. श्रीवास्तव, रश्मि (2016), लैंगिक विषमता और बालिका शिक्षा का पिछड़ापन और उसके उपचारी मापन पर अध्ययन।
32. कौशिक, विभा (2016), बालिका शिक्षा का एक कक्षा के रूप में विश्लेषणात्मक अध्ययन।
33. सिंह, कुमुद (2016), उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का राजनीतिशास्त्रीय विश्लेषण।
34. नसीमा, अख्तर (2016), जम्मू–कश्मीर में बड़गाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा का विधिक अध्ययन।
35. नाथ, विनिता (2015), दारांग जिले में महिला शिक्षा के विकास का अध्ययन।
36. सुल्तान, रजिया (2013), सन् 1947 के बाद से दारांग जिले में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन।
37. पाण्डेय (2013), महिला ग्राम प्रधान ने कायम की मिसाल, नामक लेख।
38. शेखर (2014), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, लेख।
39. शर्मिला, एन0 अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013), अपने समाज में महिला शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में वर्णन।
40. एम0 जजीत और एम0 जयन्ता (2012), महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा, सम्बन्धित पत्र।

41. चौहान, सी0 पी0 एस0 (2011), उच्च शिक्षा में महिलाओं की बराबर भागीदारी, पत्र।
42. सिंह, रघुराज (2009), वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च अध्ययन को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन।
43. गुप्ता, कोमल (2008), आवासीय विद्यालयों में रह रही बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्राप्ति में आने वाली तरह–तरह की समस्याओं का अध्ययन।
44. रामचन्द्रन, विमला (2016), बालिका शिक्षा के प्रति भारतीय परिदृश्य, पत्रिका।
45. जैन, कमलेश (2014), नारी सशक्तिकरण कल, आज और कल, पत्रिका।
46. चट्टोपाध्याय, अरूंधती (2015), भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तिकरण, पत्रिका।
47. कुमार, नीरज (2007), स्त्रियों के बेसिक मापदण्ड, आलेख।
48. किशोर, राज (2011), जिन्होंने सम्भाली पढ़ाई लिखाई की कमान, लेख।
49. जावली, नन्दनी (2005), आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं पर पड़ते प्रभाव का विश्लेषण।
50. एलिजाबेथ (2004), वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के माध्यम में आने वाली बाधाओं का अध्ययन।
51. श्रीवास्तव, गौरी (2003), ग्रोथ इन हायर एजूकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया, शोध अध्ययन।
52. श्रीवास्तव, माधवी (2002), उच्च शिक्षा के प्रगति का शोध अध्ययन।
53. नायर, ऊषा (1991), भारत में महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी एवं वृत्तिक शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने हेतु उपायों का अध्ययन।
54. सिंह, डॉ0 अरून कुमार (2017), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास जवाहर नगर, दिल्ली।
55. ——— वही ———
56. SPSS 2020

ग्रन्थ सूची

1. बोकड़े, सुनीता (2017), नारी सशक्तिकरण का उनकी निर्णय क्षमता और वृत्तिक परिपक्वता पर प्रभाव का अध्ययन।
2. परमार, शुभ्रा (2015), नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार ओरियंट ब्लैकश्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
3. श्रीवास्तव, रश्मि (2021), भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान।
4. सचिव, वेद प्रकाश (2004), दिशा निर्देश 10वीं योजना पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान, यू0जी0सी0 नई दिल्ली।
5. ठाकुर, यतीन्द्र (2020), समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
6. शर्मा, आर0 के0, दूबे, श्रीकृष्ण (2008), दूरवर्ती शिक्षा, राधा प्रकाशन, आगरा।
7. सक्सेना, एन0 आर0 स्वरूप, संजय कुमार (2013), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
8. द्विवेदी, डा0 किरन (2019), शिक्षा में नवाचार, ठाकुर पब्लिकेशन प्रा0 लि0, लखनऊ।
9. गुप्ता, डॉ0 एस0 पी0, गुप्ता, डॉ0 अल्का (2015), व्यावहारपरक विज्ञानों में सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रयागराज।
10. सिंह, डॉ0 अरून कुमार (2018), शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकाशक, भारती भवन, नई दिल्ली।
11. मंगल, एस0 के0 (2008), शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकाशक, अशोक कुमार घोष, PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
12. एल0 पी0 यू0 (2012) अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लक्ष्मी पब्लिकेशन लि0 113, नई दिल्ली।

13. कपिल, एच0 के0 (2012), अनुसंधान विधियाँ, एच0 पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
14. कौल, लोकेश (2005), शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिकेशन, दिल्ली।
15. गुप्ता, अल्का (2015), यू0 जी0 सी0 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षाशास्त्र, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
16. त्रिपाठी, लाल बचन एवं अन्य (2017), मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ, एच0 पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
17. श्रीवास्तव, डी0 ए0 (2005), अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
18. श्रीवास्तव, अभिषेक एवं श्रीवास्तव, आर0 एन0 लाल0 (2019), विद्यालयी वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक चिंता पर प्रभाव, भारतीय आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 39(3), 11–25
19. सिंह, लाभ प्रसाद, द्वारका तथा भार्गव, महेश (2008), मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी के मूल आधार, एच0 पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
20. https://m.jagran.com.
21. www.scotbuzz.org.
22. https://hi.m.wikipedia.corg.
23. www.jslps.org.
24. www.91sarkariyojaza.in.
25. www.yojanahindipm.in
26. www.pmmodiyojanaye.in
27. www.msde.gov.in
28. www.educationjournal.in
Volume 4 : Issue 4 : July 2019: page No. 106-108

***

परिशिष्ट

T. M. Regd. No. 564838
Copyright Regd. No. © A-73256/2005 Dt. 13.5.05

Dr. Devendra Singh Sisodia *(Udaipur)*
Dr. Alpana Singh *(Udaipur)*

Consumable Booklet of

AGES-SS

(Hindi Version)

कृपया निम्न प्रविष्ठियों की पूर्ति करें– दिनांक 1 0 0 5 2 0 2 3

नाम कीर्ति चवन पिता का नाम प्रकाश चवन

जन्म तिथि 0 1 0 1 1 9 9 8 आयु ______ वर्ष ______ माह ______

कक्षा B. Ed. संकाय : कला ☑ विज्ञान ☐ वाणिज्य ☐ तकनीकि ☐

संस्थान ______ स्थान ______

क्षेत्र : महानगरीय ☐ नगरीय ☐ ग्रामीण ☑

परिवार का प्रकार : संयुक्त ☑ एकल ☐

निर्देश

आगे के पृष्ठों पर 49 कथन दिये गये हैं जो सात क्षेत्रों में वितरित हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में सात कथन हैं।

प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपना उत्तर दिये गये पाँच उत्तर विकल्प, यथा, ***पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत*** तथा ***पूर्णतः असहमत*** में से जो विकल्प आपके विचार के निकटतम हो, के खाने में सही ☑ का चिह्न लगा दें।

कृपया सभी 49 कथनों के उत्तर अवश्य दें।

विश्वास रखें, आपके उत्तर गोपनीय रखे जायेंगे।

फलांकन तालिका

Raw Score								z-Score	Grade	Level of Empowerment
Areas	I	II	III	IV	V	VI	VII			
Raw Score										
Total										

Estd. 1971 www.npcindia.com ☎:(0562) 2601080

NATIONAL PSYCHOLOGICAL CORPORATION

UG-1, Nirmal Heights, Near Mental Hospital, Agra-282 007

क्र.सं.	कथन	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत	प्राप्तांक
	क्षेत्र– I						
1.	**घरेलू** कार्य करने व घर में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करने या कराने का अधिकार रखती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
2.	**समय** के साथ मैं स्वयं की धारणा या निर्णय बदलने का अधिकार रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
3.	**अपने** साथी समूह में मैं एक अच्छा उच्च स्थान रखती हूँ तथा मेरे समूह में मेरी राय व सलाह को अहमियत (वरीयता) दी जाती है।	☐	☑	☐	☐	☐	4
4.	**भविष्य** में स्वयं के लिये उपयुक्त व्यवसाय चुनने का मुझे अधिकार है।	☐	☐	☑	☐	☐	3
5.	**घर** में मुझे वह प्रत्येक अधिकार प्राप्त हैं जो मेरे भाई को प्राप्त हैं जैसे—लाइब्रेरी जाना, दोस्तों में समय बिताना, पिक्चर देखना।	☐	☐	☑	☐	☐	3
6.	**खाने**-पीने की वस्तुओं व जेब खर्च पर जितना मेरे भाई को अधिकार है उतना ही मुझ को।	☐	☐	☐	☑	☐	2
7.	**घर** में कुछ चीजें जैसे—घड़ी, टेपरिकार्डर, सोने का जेवर मेरे स्वयं के हैं।	☐	☐	☐	☑	☐	2
						कुल प्राप्तांक क्षेत्र I	23
	क्षेत्र – II						
1.	**किसी** भी समय कोई भी कार्य करने के लिये स्वतंत्र हूँ।	☐	☐	☑	☐	☐	3
2.	**किसी** महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावशाली एवं योग्य रूप से करने में अपने गुणों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
3.	**किसी** रिश्तेदार को आर्थिक या सामाजिक योगदान की जरूरत पड़े तो मैं दे सकती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
4.	**मैं** अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
5.	**मेरे** समूह में या कार्यक्षेत्र में मेरा शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा माना जाता है।	☐	☐	☑	☐	☐	3
6.	**मेरे** साथी एवं घर के सदस्य बाजार में खरीददारी करते समय मेरी राय जरूर लेते हैं।	☐	☑	☐	☐	☐	4
7.	**खरीददारी** करने, पिक्चर देखने, गाँव या शहर से बाहर घूमने या शहर में ही अकेले घूमने या मित्र व रिश्तेदार के यहाँ अकेले जाने की स्वतंत्रता है।	☐	☑	☐	☐	☐	4
						कुल प्राप्तांक क्षेत्र II	28

क्र.सं.	कथन	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत	प्राप्तांक
	क्षेत्र – III						
1.	**घर** के महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णयों में मेरी भागीदारी रहती है।				✓		2
2.	**मुझे** जो जेब खर्च मिलता है उसे किस तरह उपयोग करना है उस पर मैं स्वयं निर्णय लेती हूँ।			✓			3
3.	**मैं** अपने भविष्य में जैसे—पढ़ाई, नौकरी व शादी के बारे में निर्णय लेने को स्वतंत्र हूँ।		✓				4
4.	**अगर** कहीं डॉक्टर के पास उपचार हेतु जाना पड़े तो उसका निर्णय स्वयं लेती हूँ।				✓		2
5.	**स्वयं** के पैसों को कैसे खर्च करना है उसका निर्णय स्वयं लेती हूँ।			✓			3
6.	**स्वयं** की आय व खर्चे पर नियन्त्रण स्वयं करती हूँ।				2		2
7.	**जब** भी कोई घटना घटती है और अन्य पारिवारिक सदस्य निर्णय लेने योग्य नहीं होते हैं तो मैं स्वयं निर्णय लेती हूँ।		✓				4
				कुल प्राप्तांक क्षेत्र III			20
	क्षेत्र – IV						
1.	**परिवार** की आय व खर्च में मेरा भी योगदान रहता है।			✓			3
2.	**मेरी** दैनिक दिनचर्या में मेरे स्वयं के निर्णय ही होते हैं।		✓				4
3.	**समाज** या विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी लेती हूँ।		✓				4
4.	**यदि** किसी व्यक्ति द्वारा उसके परिवार वालों या नौकरों पर अत्याचार करते देखती हूँ तो इसका विरोध करती हूँ।			✓			3
5.	**विद्यालय** या कॉलेज में राजनैतिक उम्मीदवार के प्रचार–प्रसार में पूरी भागीदारी रहती है।		✓				4
6.	जब कभी कोई घटना होती है तब अन्य पारिवारिक सदस्य या मित्र समूह के सलाह मशवरा में मेरी भी भागीदारी रहती है।		✓				4
7.	**मेरे** विद्यालय में अन्य गतिविधियाँ जैसे–N.S.S., N.C.C. में मेरी भी भागीदारी रहती है।		✓				4
				कुल प्राप्तांक क्षेत्र IV			26

क्र.सं.	कथन	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत	प्राप्तांक
	क्षेत्र – V						
1.	मैं जानती हूँ कि अपने आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मैं कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ एवं उसे करने की योग्यता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
2.	मैं आर्थिक रूप से सम्पन्न होने हेतु स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक रोजगारों को शुरू करने की योग्यता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
3.	मैं बिना किसी झिझक के सार्वजनिक स्थान पर अपरिचित लोगों से बात करने की क्षमता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
4.	मैं बिना किसी झिझक के लड़कों से भी बात कर सकती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
5.	मैं बिना किसी झिझक के अपने साथी समूहों के अधिकारों की चर्चा करने की क्षमता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
6.	मैं बिना किसी झिझक के होने वाले विभिन्न अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
7.	अपनी उम्र के अनुसार मैं हर कार्य करने का कौशल, आत्मविश्वास व योग्यता रखती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
				कुल प्राप्तांक क्षेत्र V			35
	क्षेत्र – VI						
1.	मैं अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानती हूँ।	☑	☐	☐	☐	☐	5
2.	रजिस्टर्ड विवाह क्या होता है, इसकी मुझे जानकारी है।	☑	☐	☐	☐	☐	5
3.	उत्तराधिकार क्या होता है उसके क्या कानून हैं मुझे जानकारी है।	☑	☐	☐	☐	☐	5
4.	युवाओं में होने वाली नशीली दवाओं की लत (Drug addict) की जानकारी मुझे है।	☑	☐	☐	☐	☐	5
5.	विद्यालय या कॉलेज में राजनैतिक उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार में पूरी भागीदारी रहती है।	☐	☑	☐	☐	☐	4
6.	मुझे परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण ज्ञान है।	☐	☐	☑	☐	☐	3
7.	मैं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिये मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों के अनुसार सहायक / विकल्प व्यवसायों की भी जानकारी रखती हूँ।	☐	☐	☑	☐	☐	3
				कुल प्राप्तांक क्षेत्र VI			30
	क्षेत्र – VII						
1.	मैं प्रतिदिन रेडियो, टी.वी. एवं अखबार इसलिये देखती व पढ़ती हूँ क्योंकि मैं इसकी उपयोगिता जानती हूँ।	☐	☐	☑	☐	☐	3
2.	मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय में प्रतिदिन जाकर समाचार-पत्र पढ़ती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
3.	मैं प्रतिदिन टी.वी. पर समाचार देखती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
4.	बाजार से खरीददारी करते समय आवश्यक नियमों का ध्यान रखती हूँ, जैसे–लेबल, वजन, उत्पादन की तारीखें आदि।	☐	☐	☑	☐	☐	3
5.	मैं डाकघर तथा बैंक के कार्य कर लेती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
6.	मैं महिलाओं से सम्बन्धित आलेख वाली पुस्तक जरूर पढ़ती हूँ	☐	☐	☑	☐	☐	3
7.	बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित जैसे–टीकाकरण, पोषाहार के समाचार पढ़ती हूँ।	☐	☑	☐	☐	☐	4
				कुल प्राप्तांक क्षेत्र VII			25

© All rights reserved. Reproduction in any form is a violation of Copyright Act. Consumable Booklet of Adolescent Girls' Empowerment Scale (AGES-ss) (Hin.) RP19